

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

Constituted by

**Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Central Zone
Bench, vide Order Dated 13.09.2024**

In O.A No. 217/2024

Prabhat Mohan Pandey

Vs

State of Madhya Pradesh & Ors.



Member of the Committee :-

- 1. Dr.Yogendra Kumar Saxena, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal (M.P.) .**
- 2. Shri Nilesh Kumar Sharma, SDM, Gopad Banas, Sidhi (M.P.) .**
- 3. Shri Sanjeev Mohan Pandey, Regional Head, Regional Office of Geology & Mining, Rewa (M.P.) .**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Introduction	01
2.	Constitution of the Joint Committee	01-02
3.	Site inspection by the Joint Committee	02
4.	Clarification of Hon'ble NGT Case No 217/2024	03-10
5.	Factual Observations of Sand Mines	11-46
6.	Observations of the Joint Committee	47-51
7.	Action Taken	51
8.	Recommendations	51-52
9.	Photographs	53
10.	Annexure-1: Copy of Hon'ble NGT order dated 13.09.2024 & 23-10-2024.	54-56
11.	Annexure-2: Copy of letter by MPPCB Rewa (Nodal Agency), complainant nomination letter, nomination of committee members and Attendance sheet.	57-63
12.	Annexure-3: e-tender cum auction notice on 28.06.2023.	64
13.	Annexure-4: The District Collector of Sidhi had declared the monsoon period from midnight of 30.06.2023 until 01.10.2023 for year 2023.	65
14.	Annexure-5: The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, through letter no. रेत/Sidhi/2023/733 dated 04.09.2023, declared M/s National Energy Trading and Services Limited as the successful bidder in the e-tender process for the Sidhi sand group. Tripartite agreement for a three-year term starting 02.11.2023 among the Collector Sidhi District, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, and M/s National Energy Trading and Services Limited.	66-85
15.	Annexure-6: M/s National Energy Trading and Services Limited, surrendered the 18 sand quarries of The Sidhi sand group on 28.06.2024.	86
16.	Annexure-7: The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, reissued an e-tender-cum-auction notice on 21.08.2024.	87-110
17.	Annexure-8: The District Collector of Sidhi had declared the monsoon period from midnight of 30.06.2024 until 01.10.2024.	111
18.	Annexure-9: Participating Contractors/Bidders have submitted an undertaking.	112-116
19.	Annexure-10: As per letter no. 2189-93/Mineral/2022 dated 22.02.2023 issued by the Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh,	117-119

	instructions were given to all Collectors (Mineral Branch) to provide necessary documents.	
20.	Annexure-11: Office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.), provided an updated status of the identified and approved sand mines in the district, in the prescribed format.	120-125
21.	Annexure-12: Work order appointing Mr. Ashok Kumar Thakur through a tender process to prepare a mining plan for a five-year period and do replenishment study and to obtain approval from the competent authority.	126-134
22.	Annexure-13: The mining plan for 18 approved sand mines in Sidhi district was approved.	135-154
23.	Annexure-14: The Madhya Pradesh State Mining Corporation was granted mining leases for sand mines for a term of 10 years.	155-156
24.	Annexure-15: Illegal mining/transportation/storage cases registered by Mineral resource department Sidhi.	157-161
25.	Annexure-16: 04 stock licenses sanctioned in Sidhi district.	162
26.	Annexure-17: Mineral Resource Department authorized the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited to obtain all possible statutory approvals.	163
27.	Annexure-18: The Madhya Pradesh State Mining Corporation, through letter no./२३/२०२३/२.१. 251/16 dated 17.04.2023, designated Mr. Ram Lakhan Soni, Junior Manager (General) at the District Office, Singrauli, to obtain various statutory approvals.	164-167
28.	Annexure-19: The Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh instructed all District Collectors to group sand mines before upcoming e-tendering. Accordingly, all 18 mines in Sidhi district were grouped together, and a list with the sand quantities available was submitted.	168-170
29.	Annexure-20: The Office of District Collector (Mining Branch) has asked the general manager, Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited to provide updated replenishment study of all the sand mines of Sidhi sand group.	171

**Factual and Action Taken Report of the Joint Committee constituted
in the O.A No. 217/2024. Hon'ble National Green Tribunal (NGT)
Central Zone Bench, vide Order Dated 13.09.2024.**

1. Introduction:

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 217/2024 vide its order dated 13.09.2024 issued following instructions directed under para 1, 5 and 6 as: -

1. Issue raised in this application is non compliance of Sustainable Sand and Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for sand Mining 2020 and the respondent has not properly assessed the sufficient quantity of mineable sand and not carried out any replenishment study.

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One Representative from the Central Pollution Control Board

(ii) One Representative from the Collector Sidhi, (M.P.)

(iii) One Representative from the Directorate, Geology and Mining, State of MP.

6. "The Committee is directed to submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

2. Constitution of the Joint Committee:

Accordingly, in compliance of the order of Hon'ble NGT OA 217/2024 (CZ) dated 13.09.2024, a Joint Committee comprising of following officials from concerned departments has been constituted, the details of which are as under: -

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One representative from the Central Pollution Control Board.	Dr. Yogendra Kumar Saxena Scientist 'C' Central Pollution Control Board Regional Directorate, Bhopal (M.P.).

2.	One Representative from the Collector Sidhi, (M.P.)	Shri Nilesh Kumar Sharma SDM Gopad Banas, Sidhi (M.P.).
3.	One Representative from the Directorate, Geology and Mining, State of MP.	Shri Sanjeev Mohan Pandey Regional Head Regional Office of Geology & Mining, Rewa (M.P.).

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 217/2024 vide its order dated 23-10-2024 has adjourned the Matter on the request of learned counsel for the respondents and scheduled to be listed on 05.12.2024. (Copy of Hon'ble NGT order dated 13.09.2024 & 23-10-2024 enclosed as **Annexure-1.**)

Regional office MPPCB Rewa (Nodal Agency), informed the complainant of this joint visit vide letter No. 1615/प्रनिबो/छेका-रीवा/एन.जी.टी./2024 dated 04.11.2024 by WhatsApp. But the complainant was not present during the date of visit. The complainant had nominated Shri Abhijeet Singh. Copy of letter by MPPCB Rewa (Nodal Agency), complainant nomination letter, nomination of committee members and Attendance sheet is attached as **Annexure-2.**

3. Site inspection by the Joint Committee:

MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with the concerned department and fixing the date of site visit. The committee visited the site during 07.11.2024 and 08.11.2024. Following officials, Shri Nilesh Kumar Sharma SDM Gopad Banas Sidhi, Shri Sanjeev Mohan Pandey Regional Head Regional Office of Geology & Mining Rewa, Dr. Yogendra Kumar Saxena Scientist 'C' Central Pollution Control Board Regional Directorate Bhopal, Mr. Mata Prasad Tiwari Sub Engineer MPPCB Rewa and complainant nominee Shri Abhijeet Singh were also present during the site visit.

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visits.

4. Clarification of Hon'ble NGT Case No 217/2024 :-

(The following information was provided by Office of District Collector (Mining Branch) Sidhi, Dist. Sidhi, M.P.): -

As per the Hon'ble NGT in the Order dated 13/09/2024. (Issues raised in Original Application No 217/2024)	Comments/ Views of the Joint Committee
<p>Because, the Respondents erred in floating a tender for excavation of sand mineral in the district of Sidhi during the monsoon period and further compelling the contractors/bidders to participate in the bid only after the physical verification of the Sand Quarries which is legally and practically impossible as all the sand quarries are submerged in water.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ As per District Survey Report and approved mining plan, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited issued an e-tender cum auction notice on 28.06.2023 for appointing a Mine Developer cum Operator (MDO) for a three-year term for the Sidhi sand group, covering all 18 sand mines with a total volume of 16,00,000 cubic meters per year, at a base price of ₹40,00,00,000 (at the rate of ₹250 per cubic meter). Annexure-3➤ The District Collector of Sidhi had declared the monsoon period from midnight of 30.06.2023 until 01.10.2023 for year 2023. Mining activities in all sand mines were completely prohibited during monsoon period. Annexure- 4➤ The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, through letter no. रेत/Sidhi/2023/733 dated 04.09.2023, declared M/s National Energy Trading and Services Limited as the successful bidder in the e-tender process for the Sidhi sand group, with a bid amount of ₹80,31,13,889. A tripartite agreement for a three-year term starting 02.11.2023 was executed among the Collector Sidhi District, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, and M/s National Energy Trading and Services Limited. Annexure-5

- M/s National Energy Trading and Services Limited informed the Managing Director of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Bhopal that due to lack of statutory approvals for the tendered sand quantity, they were incurring losses and thus surrendered the 18 sand quarries of The Sidhi sand group on 28.06.2024. **Annexure-6**
- As per District Survey Report and approved mining plan, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal, reissued an e-tender-cum-auction notice on 21.08.2024 for appointing a new Mine Developer-cum-Operator (MDO) following the surrender of the Sidhi Sand Group by the previous Mine Developer-cum-Operator (MDO) for all 18 sand mines in the Sidhi Sand Group. The tendered quantity remains the same as in the previous tender: 16,00,000 cubic meters, with an initial base price of ₹40,00,00,000 (at the rate of ₹250 per cubic meter) for a period of three years. The process of appointing a new Mine Developer-cum-Operator (MDO) for the Sidhi Sand Group is currently under process. **Annexure-7**
- The District Collector of Sidhi had declared the monsoon period from midnight of 30.06.2024 until 01.10.2024 for year 2024. Mining activities in all sand mines were completely prohibited during monsoon period. **Annexure-8**
- Participating Contractors/Bidders have submitted an undertaking stating that, prior to participating in the e-tender cum auction for the Sidhi Sand Group, they have conducted an on-site inspection of the sand mines included in the group, they have also personally verified the availability of sand, access routes, and

	<p>other relevant aspects pertaining to the sand mines in the group. Annexure -9</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Office of District Collector (Mining Branch) Sidhi Dist. Sidhi, MP declared monsoon period (from 30.06.2023 midnight to 01.10.2023) and (from 30.06.2024 midnight to 01.10.2024). Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Bhopal floated e-tenders on 28.06.2023 and 21.08.2024 during monsoon period. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited should take care that e-tender cum auction should not be floated during monsoon period. ➤ The e-tender cum auction for 18 mines of Sidhi district was floated by Madhya Pradesh State Mining Corporation during the monsoon period. Therefore, the e-tender cum auction dated 21.08.2024 should be cancelled and e-tender cum auction be floated again.
<p>Because, the Respondents have committed a grave mischief by firstly not carrying out the work of demarcation, identification and quantity estimation of mineral sand in the district of Sidhi and then by not following the District Survey Report which mandates carrying out Annual Replenishment before auctioning the Sand Quarries.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ As per letter no. 2189-93/Mineral/2022 dated 22.02.2023 issued by the Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh, instructions were given to all Collectors (Mineral Branch) to provide necessary documents, such as demarcation, identification, and quantity estimation of mineral sand in the Sidhi Sand Group, in an 11-point prescribed format for obtaining various statutory approvals, including mining plans, environmental approvals, and water and air consents for the operation of sand mines in the state. Annexure-10 ➤ Consequently, the office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.), provided an updated status of the identified and approved sand mines in the district, in the prescribed format. This

	<p>includes Point 2, which refers to the demarcation and declaration of 18 sand quarries of the Sidhi Sand Group; Point 9.1, which pertains to the Replenishment Study requiring inspections twice a year and the estimation of sand availability based on the reports; and Point 9.2, which addresses the estimation of actual sand availability in the mines as per the District Survey Report. Annexure-11</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ According to the above-mentioned documents it is found that there was no immediate replenishment study was done to quantify the available and mineable sand in the 18 sand mines of Sidhi sand group before the e-tender cum auction process started on 21.08.2024.
<p>Because, there is a grave violation of the MP Sand Mining Rules, 2019 at the behest of the Respondent authorities, as the work of demarcation and declaration of Sand Quarries in terms of Rule 5 has been done without application of mind and without actually carrying out any physical assessment of the site. Had the authorities carried out physical survey of the area in question, it would be crystal clear that the 18 Sand quarries auctioned are submerged in water not only during the monsoon period but more than half a year. Moreover, the estimation of available quantity of sand done in pursuance of Rule 6 is also incorrect as no estimation can be done without a pre monsoon and post monsoon survey.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Before the auction related to the tender floated on 28.06.2023, the office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.), provided an updated status of the demarcated and declared sand mines in the district in the prescribed format to The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal. The information provided included Point 2, which refers to the demarcation and declaration of 18 sand quarries of the Sidhi Sand Group; Point 9.1, which pertains to the Replenishment Study requiring inspections twice a year (pre-monsoon and post-monsoon surveys) and the estimation of sand availability based on the reports; and Point 9.2, which addresses the estimation of actual sand availability in the mines as per the District Survey Report. Annexure-11 ➤ The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited had done the identification, demarcation and

	<p>declaration according to MP Sand Mining Rules 2019, rule 5 but the replenishment study for quantity estimation was not done before e-tender cum auction floated on 21.08.2024.</p>
<p>Because, in the State of Madhya Pradesh, there is a ban of sand mining activities from 1st of July 2024 till 31st of October 2024 and the exercise of identification, demarcation and auctioning of Sand Quarries in the district of Sidhi is a blatant abuse of powers by the Respondent authorities by gravely violating the Legislative intent of environmental norms.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ The District Collector of Sidhi had declared the monsoon period from midnight of 30.06.2024 until 01.10.2024. Mining activities in all sand mines were completely prohibited during monsoon period. Annexure-8 ➤ Before the tender cum auction for a three-year term for the Sidhi sand group covering all 18 sand mines with a total volume of 16,00,000 cubic meters per year, floated on 28.06.2023; the office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.), provided an updated status of the demarcated and declared sand mines in the district in the prescribed format to The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal by letter no. 181/खनिज/2023 sidhi, Dated: 07.03.2023. Annexure-11 ➤ In the e-tender cum auction issued on 28.06.2023, after the successful MDO (Mine Developer cum Operator) operated the Sidhi Sand Group for only one year out of the three-year term, and subsequently surrendered, a new e-tender cum auction notice has been issued on 21.08.2024 for the appointment of a new MDO for a three-year term. Demarcation, identification and declaration of 18 sand mines was done based on the records of previous e-tender cum auction.
<p>Because there is a blatant violation of the sustainable sand mining guidelines issued by the Ministry of</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ By letter no. 181/खनिज/2023 sidhi, Dated: 07.03.2023 of the office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.) The

Environment and Forest in the year 2016 and 2020, which has been issued pursuant to observations by the Hon'ble Apex Court as well as the Hon'ble Tribunal and the same prescribes the procedure of not only identification and demarcation of the sand quarries, but also mandating the need for carrying out annual replenishment study before making the sand quarry susceptible towards excavation.

information regarding identification, demarcation of the sand quarries and annual replenishment study (pre monsoon and post monsoon survey) according to The Government of India, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, New Delhi, under the Sustainable Sand Management Guidelines 2016 and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, has been provided to The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Bhopal.
Annexure-11

➤ The Madhya Pradesh State Mineral Corporation, via Order No. Sand/RQP_25/2023/702 dated 31.03.2023, issued a work order appointing Mr. Ashok Kumar Thakur through a tender process to prepare a mining plan for a five-year period and do replenishment study and to obtain approval from the competent authority.
Annexure-12

➤ As per letter no. 376/Mineral/2023 Sidhi dated 23.05.2023, the mining plan for 18 approved sand mines in Sidhi district, prepared by Registered Qualified Person Mr. Ashok Kumar Thakur, was approved for a period from July 2023 to June 2028 (five years). **Annexure-13**

➤ According to the above-mentioned documents it is found that there was no immediate replenishment study was done to quantify the available and mineable sand in the 18 sand mines of Sidhi sand group before the e-tender cum auction process started on 21.08.2024.

Because the district survey report prepared for the district of Sidhi has not been followed in letter and spirit, as the district survey report of district Sidhi says auction has to be done on basis of replenishment rate of the river, whereas in the instant case the replenishment has not been done at all and it is merely on basis of the previous records the tender has been floated. The actual procedure which should have been adopted by the respondent authorities was to carry out a pre and post monsoon survey in order to actually quantify the minable quantity of sand and thereafter come up with a tender with the condition that the bidders can physically inspect the sand mining leases wherein excavation has to be done.

➤ The Government of India, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, New Delhi, under the Sustainable Sand Management Guidelines 2016 and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, has mandated that the sand mines undergo a replenishment study for sand mineral assessment. The mines are to be inspected twice (immediately after the monsoon ends in the months of October and November, and before the monsoon begins in May and June) and, if necessary, an additional inspection may be conducted. Based on previous records and inspection reports prepared during previous tender floated on 28.06.23, the available quantity of sand in the mines was estimated, and the information was provided to Madhya Pradesh Mining Corporation Limited, Bhopal.

Annexure-11

➤ Following this, M/s National Energy Trading Services Limited, Bhopal, was appointed as the Mine Developer and Operator (MDO) for the Sidhi district group's 18 mines, with a tendered quantity of 16,00,000 cubic meters per year, effective from 02.11.2023 for a three-year term. However, M/S National Energy Trading Services Limited, Bhopal, surrendered the Sidhi Sand Group on 28.06.2024, after just one year.

Annexure-6

➤ Subsequently a new e-tender cum auction notice has been issued with a tendered quantity of 16,00,000 cubic meters per year estimated as per previous records on 21.08.2024 for the appointment of a new MDO for a three-year term. **Annexure -7**

Because the consequence of bidders accepting bid in the instant case would certainly tantamount to illegal excavation of sand as none of the bidders have or are in a position to physically verify the site before quoting the bid for the same and in case the bid amount quoted is higher than the quantity of sand available, the bidder would have to carry out illegal excavation of sand in order to make good his losses.

The e-tender cum auction process should be conducted during non monsoon period so that participants/bidders can physically verify the quantity available and status of sand mines.

5. Factual Observations of Sand Mines: -

Joint Committee inspected 18 sand mines of Sidhi district from 07.11.2024 to 08.11.2024. The inspection report of each sand mine is as follows (The following information was provided by office of District Collector (Mining Branch) Sidhi Dist. Sidhi, M.P.): ,

(01) Sand mines in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Nidhipuri-2	
Tehsil	Majhauri	
District	Sidhi	
Survey Number	176	
Khasra Number	176	
Lease Area (Hectare)	1.450	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°07'17.13"	81°52'49.02"
	B 24°07'14.17"	81°52'47.04"
	C 24°07'17.97"	81°52'43.48"
	D 24°07'20.34"	81°52'45.95"
Contractor	No contractor at present.	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	13050 M ³ /Year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 12000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Lakhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 12.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 12000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza,	

	Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 24.03.2021.
New EC transferred by MPSEIAA on	NA
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted on 13.02.2024 by MPPCB valid up to 30/06/2028.
Observation of Committee	Approximately 40% Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.
Date of Visit of Committee	07.11.2024

(01) Imagery of Site Sand Mine: - Nidhipuri-2



Site Photograph During Visit:- Nidhipuri-2



(02) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Bharuhi	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	396	
Khasra Number	396	
Lease Area (Hectare)	4.800	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°22'35.78"	82°09'20.82"
	B 24°22'38.19"	82°09'25.52"
	C 24°22'47.52"	82°09'19.87"
	D 24°22'44.58"	82°09'15.01"
E 24°22'41.00"	82°09'18.17"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	72,000 M ³ /Year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 72000 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 nearby Shishu Shiksha Sadan School, 485775 on 06.05.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 15.05.2024 valid up to 05/05/2029	
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.	
Date of Visit of Committee	08.11.2024	

(02) Imagery of Site Sand Mine:- Bharuhi



Site Photograph During Visit:- Bharuhi



(03) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Gotra-3	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	1, 571	
Khasra Number	1, 571	
Lease Area (Hectare)	35.440	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°06'42.95"	81°54'20.49"
	B 24°06'45.04"	81°54'25.00"
	B1 24°06'57.39"	81°54'16.97"
	B2 24°07'07.48"	81°53'34.92"
	C 24°07'10.44"	81°53'12.61"
	D 24°07'04.21"	81°53'11.16"
	D1 24°07'02 .07"	81°53'22.00"
	D2 24°07'01.72"	81°53'41.66"
	D3 24°06'56.42"	81°54'08.70"
D4 24°06'52.76"	81°54'13.50"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	425280 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 300000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited- Authorized person Shri Ram Laxhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 300000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201,	

	202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 17.05.2021.
New EC transferred by MPSEIAA on	NA
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 04.02.2024 valid up to 16/05/2026
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.
Date of Visit of Committee	07.11.2024

(03) Imagery of Site Sand Mine:- Gotra-3



Site Photograph During Visit:- Gotra-3



(04) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Pondi	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	46	
Khasra Number	46	
Lease Area (Hectare)	4.900	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°04'47.46"	81°54'47.59"
	B 24°04'50.26"	81°54'49.14"
	C 24°04'58.49"	81°54'33.37"
	D 24°04'55.93"	81°54'31.43"
E 24°04'52.89"	81°54'36.91"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	29387 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 29,387 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 08.10.2023.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 26/10/2023 valid up to 07/10/2028	
Observation of Committee	Approximately 40% Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11.2024	

(04) Imagery of Site Sand Mine:- Pondi



Site Photograph During Visit:- Pondi



(05)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Dol-2	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	21	
Khasra Number	21	
Lease Area (Hectare)	4.250	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°24'52.12"	82°11'13.75"
	B 24°24'55.48"	82°11'26.19"
	C 24°25'05.68"	82°11'17.75"
D 24°25'05.68"	82°11'17.75"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	25,500 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 25,500 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 08.10.2023.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 27.10.2023 valid up to 30.09.2028	
Observation of Committee	Approximately 10 % Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.	
Date of Visit of Committee	08.11.2024	

(05)Imagery of Site Sand Mine:- Dol-2



Site Photograph During Visit:- Dol-2



(06)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Guduadhar-2	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	173	
Khasra Number	173	
Lease Area (Hectare)	12.100	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°03'58.85"	81°56'51.01"
	B 24°03'54.28"	81°56'48.46"
	B1 24°03'57.48"	81°56'44.99"
	B2 24°04'02.41"	81°56'37.45"
	C 24°04'08.87"	81°56'20.77"
	D 24°04'14.27"	81°56'23.15"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	1,45,200 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 90000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Laxhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 90000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 13.05.2021	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	

Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 04.02.2024 valid up to 14.05.2026.
Observation of Committee	Approximately 05 % Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.
Date of Visit of Committee	07.11.2024

(06) Imagery of Site Sand Mine:- Guduadhar-2



Site Photograph During Visit:- Guduadhar-2



(07)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Guduadhar-1	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	1	
Khasra Number	1	
Lease Area (Hectare)	7.180	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°04'18.56"	81°56'12.12"
	B 24°04'14.48"	81°56'09.55"
	C 24°04'23.82"	81°55'46.54"
	D 24°04'26.27"	81°55'47.37"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	86160 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 55000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Lakhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 55000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 13.05.2021	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 04.02.2024 valid up to 12.05.2026.	
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	

Date of Visit of Committee

07.11.2024

(07)Imagery of Site Sand Mine:- Guduadhar-1



Site Photograph During Visit:- Guduadhar-1



(08)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Dalapiper	
Tehsil	Majhauri	
District	Sidhi	
Survey Number	1351	
Khasra Number	1351	
Lease Area (Hectare)	2.00	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°10'50.73"	81°53'34.42"
	B 24°10'50.79"	81°56'43.04"
	C 24°10'47.95"	81°56'43.04"
	D 24°10'47.95"	81°56'34.64"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	12000 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 12,000 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 08.10.2023.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 12/10/2023 valid up to 30/06/2028	
Observation of Committee	Approximately 30 % Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11.2024	

(08) Imagery of Site Sand Mine:- Dalapiper



Site Photograph During Visit:- Dalapiper



(09)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Pondi-2	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	1667	
Khasra Number	1667	
Lease Area (Hectare)	7.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°19'45.58"	81°06'46.49"
	B 24°19'47.99"	81°06'48.76"
	C 24°20'03.89"	81°06'29.66"
	D 24°20'01.25"	81°06'26.63"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	63000 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 45000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Laxhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 45000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 24.03.2021	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 30/01/2024 valid up to 23/03/2026	

Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.
Date of Visit of Committee	08.11.2024

(09) Imagery of Site Sand Mine:- Pondi-2



Site Photograph During Visit:- Pondi-2



(10)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Pondi-1	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	1667	
Khasra Number	1667	
Lease Area (Hectare)	8.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°19'14.25"	81°06'56.80"
	B 24°19'11.92"	81°06'58.09"
	B1 24°19'19.62"	81°07'02.34"
	B2 24°19'32.55"	81°07'00.25"
	B3 24°19'41.33"	81°06'55.12"
	C 24°19'47.28"	81°06'59.59"
	D 24°19'45.02"	81°06'47.43"
	D1 24°19'39.99"	81°06'59.76"
	D2 24°19'20.52"	81°07'00.44"
D3 24°19'14.25"	81°06'56.08"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	120000 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 60000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Laxhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 26.03.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 60000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201,	

	202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 24.03.2021.
New EC transferred by MPSEIAA on	NA
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 21/05/2024 valid up to 23/03/2026
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.
Date of Visit of Committee	08.11.2024

(10) Imagery of Site Sand Mine:- Pondi-1



Site Photograph During Visit:- Pondi-1



(11) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Dol-1	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	619	
Khasra Number	619	
Lease Area (Hectare)	4.300	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°23'0.62"	82°10'24.40"
	B 24°22'57.00"	82°10'32.50"
	C 24°22'55.37"	82°10'36.71"
	D 24°22'59.29"	82°10'37.04"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	25800 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 12,000 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 30.09.2023.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 27/10/2023 valid up to 29/09/2028	
Observation of Committee	Approximately 90 % Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.	
Date of Visit of Committee	08.11.2024	

(11) Imagery of Site Sand Mine:- Dol-1



Site Photograph During Visit:- Dol-1



(12)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Bhumka	
Tehsil	Majhauri	
District	Sidhi	
Survey Number	1229	
Khasra Number	1229	
Lease Area (Hectare)	23.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°08'42.83"	81°53'19.38"
	B 24°08'41.95"	81°53'23.65"
	B1 24°08'15.59"	81°53'03.23"
	C 24°08'53.15"	81°52'42.72"
	D 24°07'52.47"	81°52'36.23"
	D1 24°08'09.72"	81°52'51.76"
	D2 24°08'17.48"	81°52'00.00"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	345000 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 345000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Lakhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 345000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 24.03.2021.	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	

Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 04/02/2024 valid up to 23/03/2026
Observation of Committee	Approximately 80 % Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.
Date of Visit of Committee	07.11.2024

(12) Imagery of Site Sand Mine:- Bhumka



Site Photograph During Visit:- Bhumka



(13) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Gotra-2	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	571	
Khasra Number	571	
Lease Area (Hectare)	3.700	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°06'24.87"	81°54'26.46"
	B 24°06'25.71"	81°54'32.64"
	C 24°06'33.35"	81°54'29.70"
	D 24°06'32.36"	81°54'24.95"
E 24°06'29.01"	81°54'26.08"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	33300 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 33330 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 29.05.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 02.06.2024 valid up to 17.05.2029	
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11.2024	

(13) Imagery of Site Sand Mine:- Gotra-2



Site Photograph During Visit:- Gotra-2



(14)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Padari	
Tehsil	Gopad banas	
District	Sidhi	
Survey Number	2142	
Khasra Number	2142	
Lease Area (Hectare)	4.980	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°18'06.59"	81°03' 58.51"
	B 24°18'04.25"	81°03' 58.10"
	B1 24°18'06.81"	81°04' 12.13"
	C 24°18'10.93"	81°04' 22.54"
	D 24°18'13.29"	81°04' 21.55"
	D1 24°18'09.33"	81°04' 21.56"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	44,820 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 44820 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 30.09.2023.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 27/10/2023 valid up to 29/09/2028.	
Observation of Committee	Approximately 10 % Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.	
Date of Visit of Committee	08.11.2024	

(14) Imagery of Site Sand Mine:- Padari



Site Photograph During Visit:- Padari



(15)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Nidhipuri-1	
Tehsil	Majhauri	
District	Sidhi	
Survey Number	176	
Khasra Number	176	
Lease Area (Hectare)	5.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	PA 24°07'7.78"	81°53'3.05"
	PB 24°07'10.97"	81°53'5.11"
	PC 24°07'16.90"	81°52'48.87"
	PD 24°07'14.17"	81°52'47.04"
Contractor	No Contractor	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	45,000 M ³	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 45000 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 29.05.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 06/06/2024 valid up to 28/05/2029.	
Observation of Committee	Approximately 80 % Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11.2024	

(15) Imagery of Site Sand Mine:- Nidhipuri-1



Site Photograph During Visit:- Nidhipuri-1



(16)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Pondi-3	
Tehsil	Bahari	
District	Sidhi	
Survey Number	1667	
Khasra Number	1667	
Lease Area (Hectare)	7.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	B 24°18'59.68"	82°06'30.18"
	C 24°19'02.74"	82°06'29.27"
	C1 24°19'7.29"	82°06'41.64"
	D 24°19'13.94"	82°06'55.76"
E 24°19'11.68"	82°06'57.84"	
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	63000 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC transfer for sand quarry of production capacity of 45000 cubic meter per annum was granted to The State Mining Corporation Limited-Authorized person Shri Ram Lakhan Soni, Address Paryavas Bhawan, Block A, Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal 462011 on 05.01.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	Previously Prior EC for sand quarry of production capacity of 45000 cubic meter per annum was granted to M/S Sainik Industries pvt ltd, Authorized person Shri Litesh Jha, Flat No. 201, 202, Vikas Plaza, Building Number 02, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi 110091 on 24.03.2021	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 30.01.2024 valid up to 23/03/2026.	

Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 08.11.2024.
Date of Visit of Committee	08.11.2024

(16) Imagery of Site Sand Mine:- Pondi-3



Site Photograph During Visit:- Pondi-3



(17) Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Gotra	
Tehsil	Kusami	
District	Sidhi	
Survey Number	1936	
Khasra Number	1936	
Lease Area (Hectare)	4.400	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 24°06'16.95"	81°54'32.66"
	B 24°06'16.51"	81°54'27.06"
	C 24°06'16.87"	81°54'26.46"
	D 24°06'25.71"	81°54'32.64"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	39,640 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC for sand quarry of production capacity of 39640 cubic meter per annum was granted to Shri Ram Soni, Address Amarpatan, Ward 2 near by Shishu Shiksha Sadan School 485775 on 29.05.2024.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent Granted by MPPCB on 06/06/2024 valid up to 28/05/2029.	
Observation of Committee	Not Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11.2024	

(17) Imagery of Site Sand Mine:- Gotra



Site Photograph During Visit:- Gotra



(18)Sand Quarries in the district of Sidhi		
Title of Details	Description	
State	Madhya Pradesh	
Name of River	Gopad	
Village	Tikari	
Tehsil	Majhauri	
District	Sidhi	
Survey Number	2152	
Khasra Number	2152	
Lease Area (Hectare)	3.200	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	C 24°09'10.95"	81°53'30.06"
	D 24°09'11.07"	81°53'26.63"
	E 24°09'01.18"	81°53'25.78"
	F 24°09'01.27"	81°53'29.88"
Contractor	No Contractor at present	
Address	NA	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual as well as Mechanized Mode (Optional)	
Mining Plan Approved on	23.05.2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	19200 M ³ /year	
MPSEIAA to grant EC	EC not granted by MPSEIAA	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NA	
New EC transferred by MPSEIAA on	NA	
Consent Granted by MPPCB and validity	Consent not Granted by MPPCB .	
Observation of Committee	Approximately 40 % Submerged in the River at the time of visit on dated 07.11.2024.	
Date of Visit of Committee	07.11. 2024	

(18) Imagery of Site Sand Mine:- Tikari



Site Photograph During Visit:- Tikari



6. Observations of the Joint Committee: -

Based on the information made available by the Mining Department Sidhi M.P. and site inspection of the Joint Committee, observations of the Joint Committee are as follows: -

1. 18 sand mines were inspected between 07/11/2024 and 08/11/2024. Out of 18 sand mines, one sand mine was found approximately 90% submerged, two sand mines were found approximately 80% submerged, one sand mine was found approximately 30% submerged, three Sand Mines were found to be approximately 40% submerged, two Sand Mines were found to be approximately 10% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 05% submerged and eight Sand Mines were not submerged in the river. During the time of site inspection, 06 mines found to be submerged in 40% or more water. Additionally, out of the 18 mines in the Sidhi sand group, 04 mines were found to be submerged in 30% or less water. In these 18 mines, sand was observed at first glance.
2. District Collector (Mining Branch) Sidhi Dist. Sidhi, MP declared monsoon period (from 30.06.2023 midnight to 01.10.2023) and (from 30.06.2024 midnight to 01.10.2024). Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Bhopal floated e-tenders on 28.06.2023 and 21.08.2024 during monsoon period.
3. It was found that there was no immediate replenishment study was done to quantify the available and mineable sand in the 18 sand mines of Sidhi sand group before the e-tender cum auction process started on 21.08.2024.
4. As per the quantity of sand approved in e-tender cum auction 28.06.2023 was considered in the e-tender cum auction issued on 21.08.2024. however, no replenishment study was conducted immediately prior to the tender process.
5. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited had done the identification, demarcation and declaration according to MP Sand Mining Rules 2019, rule 5.
6. By letter no. F 19-2-2019-Twelve-1-Part-6 Bhopal, dated 31.05.2023, the Madhya Pradesh State Mining Corporation was granted mining leases for sand mines for a term of 10 years from the date of contract execution, under the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage, and Trade) Rules, 2019. The leases for all sand mines in Sidhi district were executed on 27.09.2023 by the authorized person, Mr. Ram Lakhan Soni Junior manager (General) District Office Singrauli. The Madhya Pradesh State Mining

Corporation Limited appointed M/S National Energy Trading Services Limited Shakti Nagar house number 247, third floor, sector-02, Habibganj, Bhopal (M.P.) as Mine Developer cum Operator (MDO) by letter number रेत/सीधी/2023/733 dated 04.09.2023. M/S National Energy and Services Limited surrendered Sidhi sand group on 28.06.2024. Currently, no Mine Developer cum Operator (MDO) has been appointed for Sidhi sand group consisting 18 sand mines. The process of appointment of a new Mine Developer Cum Operator (MDO) for Sidhi sand group consisting 18 sand mines is ongoing.

Annexure-14

7. Base price (upset price) of 40,00,00,000/- rupees was fixed for tendered quantity of 16,00,000 cubic meters of sand group Sidhi consisting 18 sand mines according to tender notices dated 28.06.2023 and 21.08.2024.
8. As per the record provided by mineral resource department Sidhi, mineral resource department Sidhi has registered 85 cases of illegal sand transportation and 01 case of illegal sand stock from 29th November 2023 to 23rd October 2024 according to Madhya Pradesh Mineral (Prevention of illegal mining, transportation and storage) rule 2022. Total 61,53,603/- Rs was imposed to all 86 cases. 77 cases were resolved Out of 86 registered cases and 49,17,645/- rupees of penalty was collected. 09 registered cases are still pending at Honorable Collector Court Sidhi. **Annexure-15**
9. Following 04 stock licenses of 2,50,000 cubic meters capacity for sand mineral were sanctioned to M/S National Energy Trading Services Limited Shakti Nagar house number 247, third floor, sector-02, Habibganj, Bhopal (M.P.) in Sidhi District: - **Annexure-16**

S. No.	Village	Tehsil	Survey Number	Area (Hect.)	Validity	Consent issued for storage by MPPCB S.No./Date
1	Chandwahi	Bahri	269, 270	1.631	From 17.01.2024 till Contract Validity	15872/28.02.2024
2	Dol Kothar	Gopad Banas	369/2	1.100	From 17.01.2024 till Contract Validity	15836/05.02.2024
3	Padri	Gopad Banas	314	4.110	From 17.01.2024 till	15991/19.06.2024

					Contract Validity	
4	Kanjwar	Majhauri	312, 313	0.792	From 17.01.2024 till Contract Validity	15990/19.06.2024

10. Out of 18 sand mines of Sidhi Sand Group for 1 sand mine (Tikri 3.2 Hectares) Environmental Clearance and Water and Air consent has not been issued by MPSEIAA and MPPCB respectively yet. The State Mining Corporation Limited has submitted an application to MPSEIAA under category B-1 in this regard.
11. As per the information provided by The Office of District Collector (Mining Branch) Sidhi, Environmental Clearance (EC) granted by MPSEIAA for Sidhi sand group for total quantity of 12,65,647 cubic meters of sand mineral and Environmental Clearance (EC) for the remaining quantity of sand mineral out of the tendered quantity of 16,00,000 cubic meters of sand mineral is still process.
12. Chronological events leading to e-tender cum auction process done in Sidhi District for Sidhi sand group consisting 18 sand mines: -

I. Under Order No. 711-1150385/2023/MRD-12 dated 17.02.2023 issued by the Government of Madhya Pradesh, Mineral Resource Department authorized the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited to obtain all possible statutory approvals such as mining plans, environmental approvals, Water and Air Consents, etc. for sand mines in the state for a period of five years.

Annexure-17

II. As per letter no. 2189-93/खनिज/2022 dated 22.02.2023 by the Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh, instructions were issued to all Collectors (Mining Branch) to provide necessary documents for obtaining various statutory approvals like mining plans, environmental approvals, water and air consents for the operation of sand mines in the state. Consequently, the office of the Collector (Mining Branch), District Sidhi (M.P.) provided an updated status of identified and approved sand mines in the district, including information on 11 points prescribed format through letter number 181/खनिज/2023 dated 07.03.2023. **Annexure-10 & 11**

III. The Madhya Pradesh State Mining Corporation, via Order No. Sand/RQP_25/2023/702 dated 31.03.2023, issued a work order appointing Mr. Ashok Kumar Thakur through a tender process to prepare a mining plan

for a five-year period and obtain approval from the competent authority.

Annexure-12

IV.The Madhya Pradesh State Mining Corporation, through letter no./स्था./2023/न.क्र. 251/16 dated 17.04.2023, designated Mr. Ram Lakhan Soni, Junior Manager (General) at the District Office, Singrauli, to obtain various statutory approvals on behalf of the Corporation for sand mines located in Sidhi district. **Annexure-18**

V.The Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh, in letter no. 5965/Group-3/न.क्र.-19/2023 dated 18.05.2023, instructed all District Collectors to group sand mines before upcoming e-tendering. Accordingly, all 18 mines in Sidhi district were grouped together, and a list with the sand quantities available was submitted through letter number 378/खनिज/2023 dated 23.05.2023 for further action. **Annexure-19**

VI.As per letter no. 376/खनिज/2023 Sidhi dated 23.05.2023, the mining plan for 18 approved sand mines in Sidhi district, prepared by Registered Person Mr. Ashok Kumar Thakur, was approved for a period from 01.07.2023 to 30.06.2028 (five years). **Annexure-13**

VII.By letter no. F 19-2-2019-Twelve-1-Part-6 Bhopal, dated 31.05.2023, the Madhya Pradesh State Mining Corporation was granted mining leases for sand mines for a term of 10 years from the date of contract execution, under the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage, and Trade) Rules, 2019. The leases for all sand mines in Sidhi district were executed on 27.09.2023 by the authorized person, Mr. Ram Lakhan Soni. **Annexure-14**

VIII.On 28.06.2023, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited issued an e-tender cum auction notice for appointing a Mine Developer cum Operator (MDO) for a three-year term for the Sidhi sand group, covering all 18 sand mines with a total volume of 16,00,000 cubic meters, at a base price of ₹40,00,00,000 (at the rate of ₹250 per cubic meter). **Annexure-3**

IX.The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, through letter no. Sand/Sidhi/2023/733 dated 04.09.2023, declared M/S National Energy Trading Services Limited Shakti Nagar house number 247, third floor, sector-02, Habibganj, Bhopal (M.P.) as the successful bidder in the e-tender process for the Sidhi sand group, with a bid amount of ₹80,31,13,889. A tripartite agreement for a three-year term starting 02.11.2023 was executed among the Collector, Sidhi District, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, and M/s National Energy Trading and Services Limited. **Annexure-5**

X. On 28.06.2024, M/s National Energy Trading and Services Limited informed the Managing Director of the Madhya Pradesh State Mining Corporation that due to a lack of statutory approvals for the allotted sand quantity, they were incurring losses and thus relinquished the Sidhi sand group. **Annexure-6**

XI. On 21.08.2024, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited re-issued an e-tender cum auction notice for the Sidhi sand group comprising all 18 sand mines, with a total volume of 16,00,000 cubic meters for a three-year term, at a base price of ₹40,00,00,000 (at the rate of ₹ 250 per cubic meter). **Annexure-7**

7. Action Taken: -

By पत्र क्रमांक 1637/खनिज/रेत/रिप्ले स्ट./2024 dated 12.11.2024 The Office of District Collector (Mining Branch) has asked the general manager, Madhya Pradesh state mining corporation limited to provide updated replenishment study of all the sand mines of Sidhi sand group. **Annexure-20**

8. Recommendations: -

1. The Madhya Pradesh State Mining State Corporation Limited Bhopal should do the replenishment study to quantify the available and mineable sand in the sand mines before floating e-tender cum auction.
2. The e-tender cum auction for 18 mines of Sidhi district was floated by Madhya Pradesh State Mining Corporation during the monsoon period, without replenishment study for quantity estimation done before e-tender cum auction floated on 21.08.2024. Therefore, the e-tender cum auction dated 21.08.2024 should be cancelled and e-tender cum auction be floated again only after doing replenishment study for quantity estimation of mineable sand available in all 18 sand mines of Sidhi sand group.
3. District Collector (Mining Branch) Sidhi Dist. Sidhi, MP declared monsoon period (from 30.06.2023 midnight to 01.10.2023) and (from 30.06.2024 midnight to 01.10.2024). Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Bhopal floated e-tenders on 28.06.2023 and 21.08.2024 during monsoon period. The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited should ensure that e-tender cum auction should not be floated during monsoon period.
4. The e-tender cum auction process should be conducted during non-monsoon period so that participants/bidders can physically verify the quantity available and status of sand mines.

5. The mineral resource department Sidhi should conduct survey for identification of new sand mines and identify new sites as per potential/availability of sand and declare new sand mines as per rules.
6. All sand mines should be regularly monitored by CCTV/Surveillance with night vision and recorded footage should be provided to District Collector (Mining Branch) on regular basis.
7. Out of 18 sand mines of Sidhi Sand Group for 1 sand mine (Tikri 3.2 Hectares) environmental clearance and consent has not been issued by MPSEIAA and MPPCB respectively yet. The State Mining Corporation Limited should take corrective action regarding the same.
8. Environmental Clearance (EC) granted by MPSEIAA for Sidhi sand group for total quantity of 12,65,647 cubic meters of sand excavation per year and Environmental Clearance (EC) for the remaining quantity out of tendered quantity of 16,00,000 cubic meters of sand is still pending. The State Mining Corporation Limited should issue tender only after getting necessary statutory approvals of the tendered quantity of sand mineral.
9. The calculation of submerged part of sand mine area, depth of mineable sand available in the mine and physical verification/ inspection should be done by the State Mining Corporation & Mining Officer, regularly and maintain a record of it.



Sanjeev Mohan Pandey
Regional Head
Regional Office of Geology
& Mining, Rewa (M.P.)



Nilesh Kumar Sharma
SDM, Gopad Banas
Sidhi (M.P.)



Dr. Yogendra Kumar Saxena
Scientist 'C'
Central Pollution Control Board
Regional Directorate, Bhopal (M.P.)

Photographs taken During Joint Committee Inspection



Item No. 02

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No. 217/2024(CZ)

Prabhat Mohan Pandey

Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors

Respondent(s)

Date of Hearing: **13.09.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. Rohit Sharma, Adv.

For Respondent(s): Mr. Prashant M. Harne, Adv.

ORDER

1. Issue raised in this application is non compliance of Sustainable Sand and Management Guidelines 2016 and Enforcement And Monitoring Guidelines for sand Mining 2020 and the respondent has not properly assessed the sufficient quantity of mineable sand and not carried out any replenishment study.
2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/

OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
 - (i) One Representative from the Central Pollution Control Board
 - (ii) One Representative from the Collector Sidhi, (M.P.)
 - (iii) One Representative from the Directorate, Geology and Mining, State of MP.
6. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **23rd October, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

13th September 2024
O.A. No. 217/2024(CZ)
K

Item No.6

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No.217/2024
(I.A.No.101/2024)**

Prabhat Mohan Pandey

Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: **23.10.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL,, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. Rohit Sharma, Adv.

For Respondent(s): Mr. Mehul Bhardwaj, Adv.
Mr. Om Shankar Shrivastava, Adv.
Mr. Gaurvanvit Jain, Adv.

ORDER

1. Learned Counsel for the respondent/State Pollution Control Board sought a short time to file the report of the joint committee. The same may be filed within three weeks.
2. List it on **5th December, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A Senthil Vel, EM

23rd October 2024
O.A.No. 217/2024(CZ)
K

1

O.A.No. 217/2024(CZ)

Prabhat Mohan Pandey vs. State of Madhya Pradesh & Ors



क्षेत्रीय कार्यालय

Annexure-2

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एच. आई. जी.-190,191, नेहरू नगर, रीवा (मध्य प्रदेश)

दूरभाष क्रमांक-07662-297605, ई मेल आईडी-rorewa_pcb@rediffmail.com

क्रमांक 1615 /प्रनिबो//क्षोका-रीवा/एन.जी.टी./2024 रीवा, दिनांक 4/11/2024
प्रति,

श्री प्रभात मोहन पाण्डेय पिता श्री मोहन पाण्डेय
निवासी-डी-17, निखले बंगला, फेस-3
होशंगाबाद रोड
भोपाल (मध्य प्रदेश)

विषय :-

माननीय एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेश के पालन में स्थल निरीक्षण में
उपस्थित रहने बावत् ।


संदर्भ :-

माननीय एन. जी. टी. प्रकरण क्रमांक 217/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध
म. प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 13/09/2024 को पारित आदेश।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य
क्षेत्रीय न्यायापीठ द्वारा एक संयुक्त कमेटी गठित कर स्थल का भौतिक सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन
माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित है। संयुक्त कमेटी में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड के एक प्रतिनिधि, कलेक्टर सीधी के एक प्रतिनिधि तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म.
प्र. भोपाल के एक प्रतिनिधि शामिल है।

संयुक्त जांच समिति द्वारा सीधी जिले की रेत खदानों का निरीक्षण दिनांक
07/11/2024 एवं दिनांक 08/11/2024 को किया जाना प्रस्तावित है।

अतः कृपया दिनांक 07 एवं 08 नवम्बर 2024 को समिति के निरीक्षण के साथ
उपस्थित रहकर निष्पक्षता हेतु भ्रमण में सहयोग करने का अनुरोध है।



(एस. पी. झा)

क्षेत्रीय अधिकारी, रीवा

पृ. क्रमांक 1616 /प्रनिबो//क्षोका-रीवा/एन.जी.टी./2024
प्रतिलिपि :-

रीवा, दिनांक 4/11/24

1. डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री नीलेश शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड गोपद बनास, जिला-सीधी की ओर सूचनार्थ।
3. श्री एस. एम. पाण्डेय, उपसंचालक (तक.), क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय,
भौमिकी तथा खनिकर्म, रीवा की ओर सूचनार्थ।


(एस. पी. झा)

क्षेत्रीय अधिकारी, रीवा

प्रति,

श्री एस.पी. झा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)

विषय : माननीय एन.जी.टी. न्यायालय के प्रकरण क्र. 217/224 में पारित
आदेश दिनांक 13.09.2024 के संबंध में ।

संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1615/प्रनिबो/क्षेका-रीवा/
एन.जी.टी./2024 रीवा दिनांक 04.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के विषय में लेख है कि मेरे द्वारा
माननीय एन.जी.टी. न्यायालय में सीधी जिले की रेत खदानों के सम्बंध में दायर की
गई उक्त पिटीशन में आपके द्वारा गठित की गई कमेटी दिनांक 07 एव 08 नवम्बर,
2024 को स्थल निरीक्षण हेतु जा रही है । उक्त निरीक्षण में मुझे उपस्थित रहने हेतु
आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र मुझे दिया गया है ।

मैं भोपाल में अपनी न्यायालयीन व्यस्तताओं के चलते आपकी कमेटी के
उक्त भ्रमण में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ । मेरे द्वारा मेरे प्रतिनिधि के रूप में
श्री अभिजीत सिंह को अधिकृत किया जा रहा है जो आपसे सम्पर्क कर भ्रमण में कमेटी
का सहयोग करेंगे ।

अधिकृत प्रतिनिधि :-

अभिजीत सिंह

मो.नं. 7905582018

दिनांक 06-11-2024

भवदीय
UP
Pranav

(प्रभात पाण्डेय)

पत्रकार, आर.टी.आई. एक्टिविस्ट
डी-17, निखिल बंगले, फेस-3,
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल नं. 9754444545

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स - 0755-2551795
E-mail - dirgeomn@nic.in

क्रमांक - 11266/न.क्र. /2024
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 09/10/24

श्री एस.एम. पाण्डेय
उप संचालक (तक),
क्षेत्रीय प्रमुख,
क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,
रीवा (म.प्र.)।

विषय :- **Compliance of order in Original Application NO. 217/2024 (CZ) titled as Prabhat Mohan Pandey Vs Stat of Madhya Pradesh & Ors.**

संदर्भ :- राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा ओ.ए. क्रमांक 217/2024 (सीजेड) प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13/09/2024.

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा ओ.ए. क्रमांक 217/2024 (सीजेड) प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13/09/2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश के अनुक्रम में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा एक संयुक्त कमेटी गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें सेन्ट्रल पालुशन कंट्रोल बोर्ड के एक प्रतिनिधि, कलेक्टर सीधी के एक प्रतिनिधि तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अतः उक्त गठित की जाने वाली कमेटी हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रतिनिधि के रूप में आपको नामांकित किया जाता है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

संचालक -
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ. क्रमांक - 11267/न.क्र. /2024

भोपाल, दिनांक - 09/10/24

प्रतिलिपि - रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र. की ओर उनके पत्र क्रमांक NGT-CZB/Jud./2024/365 दिनांक 18/09/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक /1531/ खनिज / 2024
प्रति,

सीधी, दिनांक 09/10/2024

श्री नीलेश शर्मा,
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड गोपद बनास,
जिला-सीधी (म.प्र.)

- विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 217/2024 (प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध शासन व अन्य) में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।
- संदर्भ :- सदस्य-सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक 3087 दिनांक 20.09.2024।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 217/2024 (प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 का अवलोकन करें। पारित आदेशानुसार चार सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का लेख किया गया है। उक्त प्रकरण में आगामी सुनवायी दिनांक 23.10.2024 को नियत है।

अतः उक्त प्रकरण में चार सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये सीधी जिले की ओर से आपको नामित किया जाता है। तदनुसार प्रकरण में निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

BU

कलेक्टर
जिला-सीधी (म0प्र0)

पृ.क्रमांक /1532/ खनिज / 2024
प्रतिलिपि:-

सीधी, दिनांक 09/10/2024

1. संचालक, संचालनालय प्रशासन तथा खनिकर्म म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सदस्य-सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला-सीधी (म0प्र0)

9752508043
09/10/2024



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



CM-13012/61/2024-LAW-RD-Bhopal/19572/1192-119, - दिनांक: 19 सितंबर, 2024

प्रति,

Most urgent
NGT Case

सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल - 462016

विषय: NGT OA No. 217/2024(CZ) "Prabhat Mohan Pandey Vs. State of Madhya Pradesh & Ors" में अधिकारी के नामांकन बाबत ।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 13/09/2024


महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 13/09/2024 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर-सीधी (म.प्र.) तथा निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन, मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार कर चार सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 23/10/2024 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना, वैज्ञानिक 'ग' (मोबाइल नं.- 9425677776, ईमेल- dryksaxena.cpcb@gov.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(पी. जगन)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली -
 - क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., रीवा (म.प्र.)
 - डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना, वैज्ञानिक 'ग', के.प्र.नि.बो., भोपाल
- की ओर कृपया सूचनार्थ ।
की ओर कृपया सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


क्षेत्रीय निदेशक

o/c

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386
क्षेत्रीय निदेशक हायरैक्ट : 0755-2775384
ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

मुख्यालय:
परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
दूरभाष क्र: 011-43102030

"सिंगल यूज़ प्लास्टिक" का करें बहिष्कार"



क्रमांक 3027/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24,
प्रति,

भोपाल, दिनांक /24,

20 SEP 2024

- 1 कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
सीधी (म.प्र.)
- 2 क्षेत्रीय निदेशक,
क्षेत्रीय निदेशालय(मध्य),
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेय कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) ।
- 3 संचालक,
भूविज्ञान व खनिकर्म विभाग
खनिज भवन, 29ए, अरेय हिल्स
भोपाल(म.प्र)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 217/2024 (प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 217/2024 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

" Issue raised in this application is non compliance of Sustainable Sand and Management Guidelines 2016 and Enforcement And Monitoring Guidelines for sand Mining 2020 and the respondent has not properly assessed the sufficient quantity of mineable sand and not carried out any replenishment study.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One Representative from the Central Pollution Control Board
- (ii) One Representative from the Collector Sidhi, (M.P.)
- (iii) One Representative from the Directorate, Geology and Mining, State of MP.

The Committee is directed to submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार चार सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है । प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 23.10.2024 को नियत है।

कृपया आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्न :- एनजीटी आदेश ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की ओर सूचनार्थ । प्रकरण में बोर्ड नोडल एजेंसी होने के कारण निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही करें ।



माननीय
Dr. Y. K. S.
Y. K. S.
20/9/24

Honourable National Green Tribunal
Central Zone Bench, Bhopal

Original Application No. 217/2024 (CZ)

Prabhat Mohan Pandey

Applicant





Vs

State of Madhya Pradesh + Ors

Respondent

Date of Visit : 07.11.24 and 08.11.24

Joint Committee Consisting of -

S.No.	Name	Designation + Dept.	Signature
1.	Dr. Yogendra Kumar Saxena	Scientist-C CPCB RD Bhopal	
2.	Mr. Sanjeev Mohan Pandey	Regional Head Reg. Off. Dir. of geology + Mining	 7.11
3.	Mr. Nilesh Kumar Sharma	SDM, Gopad Banas, Sidhi (M.P.)	 07/11/2024
4.	Mr. Abhijeet Singh	Rep. of Petitioner	 Abhijeet Singh



दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

Annexure-3

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष - (0755) 2763757, 2570343, 2576213, CIN U01410mp1962SGC000937

Website : <http://www.mpsmcl.mp.gov.in>, <https://ekhanij.mp.gov.in> email : info.mpsmc@mp.gov.in



क्र.: ई-निविदा सूचना क्रमांक - रेत/निविदा/2023/

दिनांक:- 28 जून 2023

रेत खनिज की ई- निविदा सह नीलामी (e-Tender cum Auction) सूचना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त घोषित रेत खदानों का उत्खनन, 10 वर्ष की अवधि के लिये, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत इन खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा। निगम, विभिन्न रेत खदानों के समूहों के संचालन हेतु अधिसूचित की गई मात्रा (घन मीटर) एवं आरक्षित मूल्य के आधार पर, 03 वर्ष हेतु एम0डी0ओ0 की नियुक्ति के लिये, ऑनलाइन पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के माध्यम से इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले प्रतिभागियों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रत्येक समूह के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की अवधि 08.07.2023 से 24.07.2023 अपराह्न में 05:00 बजे तक रहेगी। ई- निविदा में तकनीकी रूप से पात्र पाये गये प्रतिभागियों के वित्तीय प्रस्तावों में से अधिकतम राशि को आधार मूल्य बनाकर, ई नीलामी के माध्यम से उच्चतम प्रतिभागी का चयन किया जायेगा।

इच्छुक निविदाकारों की शंकाओं के निराकरण एवं ऑनलाइन ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु सत्र, हाईब्रिड मोड में, निगम मुख्यालय में एवं उपर उल्लेखित पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, दिनांक 03.07.2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक रखा जायेगा।

ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, समूहों का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें आदि <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के अतिरिक्त निगम की वेबसाइट www.mpsmcl.mp.gov.in तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर दिनांक 29.06.2023 (अपराह्न 04:00 बजे) से उपलब्ध रहेगा। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 भी निगम की वेबसाइट एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल info.mpsmc@mp.gov.in पर पृच्छा भेजी जा सकती है, साथ ही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के मुख्य कार्यालय पर्यावास भवन, द्वितीय तल स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में उक्त नम्बरों पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (वलास III) आवश्यक होंगे। समूहवार खदानों की संख्या, निविदत्त मात्रा एवं प्रारंभिक आधार मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रेत खदानों के समूह का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह हेतु निविदत्त मात्रा (घनमीटर)	निविदा हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) ₹. @250 प्रति घनमीटर	क्र.	रेत खदानों के समूह का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह हेतु निविदत्त मात्रा (घनमीटर)	निविदा हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) ₹. @250 प्रति घनमीटर
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	जबलपुर	42	500000	125000000	23	नर्मदापुरम-1	29	2200000	550000000
2	कटनी	49	2000000	500000000	24	नर्मदापुरम-2	39	3000000	750000000
3	छिन्दवाड़ा	37	800000	200000000	25	नर्मदापुरम-3	22	1200000	300000000
4	बालाघाट	65	1500000	375000000	26	हस्ता	16	600000	150000000
5	नर्मदापुर	36	2000000	500000000	27	बैतुल	42	1000000	250000000
6	सियाली	11	225000	56250000	28	घार	19	40000	10000000
7	मंडला	26	800000	200000000	29	बुरहानपुर	9	300000	75000000
8	डिण्डोरी	7	300000	75000000	30	शरणाँन	29	300000	75000000
9	दमोड	24	35000	8750000	31	बडवाली	22	40000	10000000
10	पन्ना	32	1200000	300000000	32	अलीयजपुर	29	175000	43750000
11	छतरपुर	46	1700000	425000000	33	उज्जैन	42	129000	32250000
12	टीकमगढ़	21	390000	97500000	34	देवास	28	800000	200000000
13	सीधी	18	1600000	400000000	35	मंडसौर	8	12000	3000000
14	सिंगरौली	42	2000000	500000000	36	खलाम	14	35000	8750000
15	ग्रहदोत	34	2200000	550000000	37	शजापुर	21	51000	12750000
16	अनूपपुर	18	700000	175000000	38	आनर-गान्धा	4	15000	3750000
17	उमरिया	26	1000000	250000000	39	न्यायियर	9	635000	158750000
18	भोपाल	2	4000	1000000	40	मुना	23	100000	25000000
19	सीहोर	30	2600000	650000000	41	अशोकनगर	6	60000	15000000
20	शरारोन	56	1400000	350000000	42	शिवपुरी	9	160000	40000000
21	सज्जद	23	35000	8750000	43	दतिया	30	700000	175000000
22	विदिशा	16	50000	12500000	44	भिण्ड	72	3000000	750000000

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तों में सुधार कर सकेगा, जिसकी जानकारी केवल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp>, www.mpsmcl.mp.gov.in एवं <https://ekhanij.mp.gov.in> वेबसाइट्स पर ही प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सभी संशोधन प्रतिभागियों पर बंधनकारी होंगे।

M.P. Madhyam/110609/2023

प्रबंध संचालक

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म०प्र०)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक- 540/खनिज/2023,

सीधी- 30/06/2023

// आदेश //

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) म.प्र. के आदेश क्रमांक 1136/ SEIAA/2019 दिनांक 14.06.2019 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES 2016 जारी की गई है, जिसके अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के पत्र दिनांक 18.01.2016 के अनुसार म०प्र० में वर्षा ऋतु के लिये मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित है तथा उक्त निर्देशों एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक 9174 दिनांक 08.06.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जिले में रेत उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित अवधि वर्षाकाल अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः उक्त निर्देशों के पालन में जिले में विगत वर्षा की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र अवधि 30.06.2023 मध्यरात्रि से दिनांक 01.10.2023 तक समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


कलेक्टर

जिला-सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 30/06/2023

पृष्ठांकन क्रमांक 541/खनिज/2023

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, SEIAA भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक जिला-सीधी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सर्व जिला सीधी को सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार सर्व जिला जिला-सीधी को सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला-रीवा को सूचनार्थ प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व जिला सीधी को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व जिला सीधी को सूचनार्थ
12. खनि निरीक्षक सर्व खनिज शाखा सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. (रेत ठेकेदार) मे० मेनिक इंडस्ट्रीज प्रा.लि, अधिकृत व्यक्ति-श्री लितेश झा, 201-202 विकास प्लाजा बिल्डिंग नं. 2, लोकल शॉपिंग सेंटर, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर

जिला-सीधी (म.प्र.)

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

2763391, 2763392, 2763393
0755- 2763394
mail : info.mpsmc@mp.gov.in
website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

आशय-पत्र

क्रमांक : रेत/सीधी/2023/ 733

दिनांक :- 04-09-23

प्रति,

मेसर्स/श्री नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि०,
तीसरी मंजिल, प्लॉट नं० 247, शक्ति नगर,
हबीबगंज, भोपाल (म०प्र०)462022

विषय :- रेत खदानों के समूह सीधी में सम्मिलित रेत खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम०डी०ओ०) की नियुक्ति बाबत आशय-पत्र।

-0-

- 1/ म०प्र० रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 8 के अंतर्गत रेत खदानों के समूह सीधी में सम्मिलित खदानों (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) से रेत खनन एवं विक्रय हेतु निगम द्वारा ई- निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम०डी०ओ० की नियुक्ति बाबत निविदा सूचना रेत/निविदा/2023/322 दिनांक 28.06.2023 को प्रकाशित की गई थी।
- 2/ एम०एस०टी०सी० के माध्यम से संपादित ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया में रेत खदानों के समूह सीधी में मेसर्स/श्री नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि०, से उच्चतम ऑफर राशि रू० 80,31,13,889/- प्राप्त किए जाने के कारण उन्हें सफल निविदाकार घोषित करते उन्हें पत्र क्रमांक रेत/न.क्र./2023/483 दिनांक 11-8-2023 के माध्यम से उच्चतम प्राप्त निविदा राशि की 25 प्रतिशत राशि रूपए 20,07,78,472/- के अंतर की राशि रू० 10,07,78,472/- एवं प्रथम माह की किश्त राशि रू० 2,40,93,417/-, कुल राशि रू० 12,48,71,889/- जमा करने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसके विरुद्ध सफल निविदाकार द्वारा कुल राशि रू० 12,48,71,889/- निगम के निदिष्ट खाते में जमा की गई।
- 3/ तदनुसार मेसर्स/श्री नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि०, को रेत खदानों के समूह सीधी में सम्मिलित खदानों से उत्खनन एवं विक्रय तथा उक्त पर लागू समस्त नियमों का परिपालन करने हेतु एम०डी०ओ० नियुक्त किए जाने बाबत आशय-पत्र जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

-2-

उपरोक्त के संबंध में कृपया संलग्न स्वरूप में नियम 13 (2) के अंतर्गत इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा अनुमत सीमा तक ही खनन किया जावेगा एवं नियम 14 के उप नियम (2) अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप एवं अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



प्रबंध संचालक

पृ. रेत/सीधी/2023/734

दिनांक :- 04-09-23

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खनिज साधन विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल।
3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला सीधी (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (वि./ले.), मुख्य कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रबंध संचालक

किया

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

परिशिष्ट-

ई -निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला- सीधी

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है. में)
1	2	3	4	5	6
1	सीधी	कुसमी	गोतरा-3	1, 571	35.440
2	सीधी	कुसमी	गुडुआधार-2	173	12.100
3	सीधी	कुसमी	गुडुआधार-1	1	7.180
4	सीधी	कुसमी	गोतरा	1936	4.400
5	सीधी	कुसमी	गोतरा-2	571	3.700
6	सीधी	कुसमी	पोंडी	46	4.900
7	सीधी	गोपद बनास	पडरी	2142(95)	4.980
8	सीधी	बहरी	भरुही	396	4.800
9	सीधी	बहरी	पोंडी-1	1067	8.000
10	सीधी	बहरी	पोंडी-2	1667	7.000
11	सीधी	बहरी	पोंडी-3	1667	7.000
12	सीधी	बहरी	डोल-2	21	4.250
13	सीधी	बहरी	डोल-1	619	4.300
14	सीधी	मझौली	भुमका	1229	23.000
15	सीधी	मझौली	निधिपुरी -1	176	5.000
16	सीधी	मझौली	निधिपुरी-2	176	1.450
17	सीधी	मझौली	डालापीपर	1351	2.000
18	सीधी	मझौली	टिकरी	2152	3.200
					142.700

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

1	कुल चिन्हित खदानें	18
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल	142.700
4	निविदा हेतु निधारित खदानें	18
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर	16,00,000
5	निविदाकार मेसर्स/श्री नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि०,	
6	पता- तीसरी मंजिल, प्लॉट नं० 247, शक्ति नगर, हबीबगंज, भोपाल (म०प्र०)462022	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य	रु० 80,31,13,889/- (अस्सी करोड़ इकतीस लाख तेरह हजार आठ सौ नवासी)
8	जमा EMD राशि (ऑनलाईन/BG)	रु० 10,00,00,000/- (दस करोड़)
9	कुल सुरक्षा राशि	रु० 20,07,78,472/- (बीस करोड़ सात लाख अठहतर हजार चार सौ वाहत्तर)
10	बिन्दु क्रमांक 10 राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण	EMD रु० 10,00,00,000/- (on line) dt. 24-07-2023 शेष 10,07,78,472/-(online) dt. 31-8-2023
11	प्रथम माह के किश्त की राशि (माह अगस्त 3%)	रु० 2,40,93,417/-

प्रबंध संचालक

सफल प्रतिभागी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप
रेत खदानों के समूह (जिला सीधी) से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अनुबंध

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम मर्यादित की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री राम लखन सोनी, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य) (जिसे इसमें इसके पश्चात "निगम" कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और द्वितीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह की अवस्थिति के जिला सीधी के कलेक्टर की ओर से नामित प्रतिनिधि (जिसे इसमें इसके पश्चात कलेक्टर कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और तृतीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह सीधी हेतु नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम०डी०ओ०) नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लि० जिला-सीधी (म०प्र) के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) श्री रमेश चन्द्र निवासी खैरतपुर, जिला- खैरतपुर (म०प्र) (जिसे इसमें इसके पश्चात "माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम०डी०ओ०ओ०)" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक ०२ नवंबर माह अक्टूबर सन दो हजार 2023 को अवधि ०२.११.२०२३ से ०३.१२.२०२३ हेतु रेत खदानों के समूह में सम्मिलित रेत खदानों से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु के लिए किया गया है।

यतः निगम ने माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम०डी०ओ०) को उपरदर्शित रेत खदानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया है। समूह में सम्मिलित रेत खदानों का सांकेतिक विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है।

1- परिभाषा -

(1) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67)

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित अथवा दि म०प्र० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.;

(ग) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्रारूप;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "ग्राम पंचायत", "जनपद पंचायत", "जिला पंचायत" और "ग्राम सभा" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;

(च) "रेत खनिज" से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ड.) में परिभाषित किया गया है;


(छ) "नगरपालिका" के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं;

For National Energy Trading And Services Limited



Authorised Signatory


राम लखन सोनी
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)


राम लखन सोनी
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)

- (ज) "भण्डारण अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;
- (झ) "भण्डारण स्थल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किया जाता है;
- (ञ) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद;
- (ट) **माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.):**- निगम द्वारा नियम 8 में विहितप्रक्रिया अनुसार चयनित माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो कि उसे आवंटितसमूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।
- (ठ) "लेखा वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।
- (ड) "अनुबंध" से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-निविदा सह नीलामी की आमंत्रण सूचना, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, उसमें संलग्न परिशिष्ट तथा दस्तावेज से है।
- (ढ) "नियम" से तात्पर्य म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 से है।
- (ध) "अनुबंध की अवधि" नियम 9 में यथा विहित। अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।
- (न) "लागू अधिनियम" से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्योदेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।
- (प) "वैधानिक स्वीकृतियाँ" से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों के अंतर्गत रेत खदानों के संचालन तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।
- (फ) "व्यवसायिक सदप्रथाएँ" से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमत्ता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युक्तियुक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।
- (ब) "पक्षों" से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

For National Energy Trading And Services Limited


Authorised Signatory


राजेश कुमार शर्मा
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लि. लि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)

अभि अधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

- (भ) "निगम के प्रतिनिधि" तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म0प्र0स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि0 भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है।
- (म) "प्रबंध संचालक" से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है एवं प्रदेश में विभिन्न खनिजों के उत्खनन एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। निगम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों यथा माईनिंग प्लान का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त करने का दायित्व दिया गया है एवं उक्त खदानों का निर्वहन, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 (रेत नियम, 2019) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने का कार्य दिया गया है।

निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम 8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निगम द्वारा ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0डी0ओ0 का चयन किया गया है। उक्त निविदा में रेत खदानों के समूह जिला सीधी हेतु उच्चतम बोली रूप ए 803113889/- प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लि0 को उच्चतम प्रतिभागी घोषित किया गया। मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लि0 को पत्र क्रमांक रेत/नं0क्र0/2023/483 दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत दिनांक 02.11.2023 को उपरोक्त अनुसार रेत खदानों के समूह सीधी हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया।


2- कार्य का स्वरूप- इस अनुबंध का मूल तत्व, वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु समूह में सम्मिलित एवं निगम को खनिपट्टा पर आवंटित रेत खदानों से, रेत का उत्खनन एवं विक्रय का अधिकार दिया जाना है। ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में दी गई खदानों की सूची, सूची में दर्शित खदानों का क्षेत्रफल एवं मात्रा आदि सांकेतिक मात्र है।

इस अनुबंध के अनुसरण में एम0डी0ओ0 को समूह की खदानों का तारीख 02.11.2023 से तारीख 30.09.2024 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा। एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।


एमडीओ द्वारा समूह में सम्मिलित खदानों की तत्सम्य उपलब्ध वैधानिक अनुमतियों की सीमा तक उत्खनन किया जा सकेगा। यह मात्रा ठेका राशि के विरुद्ध उपलब्ध कराई गई रेत की मात्रा के अधीन होगी। एमडीओ, नियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मात्रा का विक्रय एवं परिवहन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुबंध के वर्ष की समाप्ति पर तत्सम्य शेष रेत की मात्रा सामान्यतः व्यपगत/ लैप्स हो जावेगी।

इस प्रकार रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार किए जाने पर लागू समस्त नियमों, खनिपट्टा तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी।


For National Energy Trading And Services Limited



Authorised Signatory



मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो. लिमि.
विभा. कार्यालय सीधी (म.प्र.)



राशि के कारी
विभा-सीधी (म.प्र.)

खदान संचालन में त्रुटि एवं नियमों के उल्लंघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगा तथा शासन/निगम उक्त नियमों उक्त के उल्लंघन की जवाबदेही से पूर्ण रूप से विमुक्त होगा। इस अनुबंध के माध्यम से एमडीओ द्वारा यह बिना शर्त यह सहमति दी जाती है की वह समस्त प्रकार के उल्लंघनों पर लागू आपराधिक उल्लंघन को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि खनन पट्टा धारक (निगम) के विरुद्ध कोई पैनाल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति एम0डी0ओ0 द्वारा की जावेगी। यदि एम0डी0ओ0 के विरुद्ध पैनाल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को वह, उसका भुगतान करेगा।

3- निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि - समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी।

अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

4- सुरक्षा राशि- उच्चतम प्राप्त नीलामी राशि का 25% सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि अनिवार्यतः, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा की जावेगी।

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

उक्त सुरक्षा राशि ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहत किए जाने योग्य होगी;

5- ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान- यह कि एम0डी0ओ0 ई-निविदा सह नीलामी की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है -

(क) ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम मूल्य की राशि, जिसके क्रम में प्रतिभागी का आशय पत्र दिनांक 04.09.2023 जारी किया गया, वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ -

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य - रूपए 40.00 करोड़


उच्चतम मूल्य की राशि (वार्षिक ठेका राशि)- रूपए 803113889.00

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	चतुर्थ वर्ष देय राशि (रूपए)	पंचम वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	80311389	80311389	80311389	80311389
3.	कुल देय राशि	803113889	883425278	963736667	1044048056	1124359445


For National Energy Trading And Services Limited



Authorised Signatory



रामचंद्र सिंह
कजिष्ट प्रबंधक (साहाय्य)
दि मध्य प्रदेश स्टेट नाइजिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)


रामचंद्र सिंह
जिला-सीधी (म.प्र.)

(ख) वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जाएगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी।

(ग) मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई.टी.पी.(स्टॉक सहित) चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 (स्टॉक सहित) पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

(घ) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदल किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदल मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

(ङ) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।

यह राशि म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसार जो रकम एतद्वारा ठेका राशि कहलाएगी।

(च) एम0डी0ओ0 द्वारा ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम निगम के रेत पोर्टल <https://mining.mp.gov.in> के माध्यम से ऑन-लाईन जमा की जावेगी।

(छ) यदि एम0डी0ओ0 नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण की ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा एम0डी0ओ0 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए :

उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर ...\&.7.. प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर से ब्याज सहित, देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, निगम खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, उपरोक्तानुसार यदि मासिक किश्त की देयता की तारीख के एक माह के भीतर एम0डी0ओ0 राशि जमा करने में असफल रहता है तो, निगम द्वारा ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।


परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त नहीं होती तब तक एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी। तथापि शासन, संचालक भूमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0एवंनिगम द्वारा अन्य वैधानिक अथवा व्यवसायिक कारणों से भी खदानों तथा एम0डी0ओ0 को आवंटित रेत भण्डारण की ईटीपी रोक दी जा सकेगी।


6- एम0डी0ओ0 ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा:

For National Energy Trading And Services Limited



Authorised Signatory




स्वनि अधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

7. **वैधानिक अनुमतियों-**

7.1 वैधानिक अनुमतियों- वैधानिक अनुमतियों निम्नानुसार हैं:-

7.1.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

7.1.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

7.2 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7.3 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

7.4 चिह्नित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तों के उल्लंघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

7.6 समूह में सम्मिलित सभी चिह्नित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तक जिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। ऐसी खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में समूह के सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा। ऐसी खदानों की स्वीकृतियांसक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न होने की स्थिति में/विलम्ब होने में, समूह की मात्रा अथवा ठेका राशि कम करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी जमा ठेका राशि, जिसके विरुद्ध वैधानिक अनुमतियों के अभाव में रेत उठाव नहीं हो पाया है, की मात्रा का निवर्तन एम0डी0ओ0 द्वारा शेष ठेका अवधि में किया जा सकेगा। जिसके विरुद्ध पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

For National Energy Trading And Services Limited




Authorised Signatory



राजेश राज सोनी
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)

1: मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)


रवि अग्निहोत्री
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)

समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-9 पर है।

7.7 (क) ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

(ख) समूह के एम0डी0ओ0 को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह ऐसी नवीन घोषित खदानों को पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानों, जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है अथवा समूह में निविदल मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियों प्राप्त है, को उक्त मात्रा की सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन न किये जाने पर खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदल मात्रा) के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमति अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में उल्लिखित मात्रा निविदल मात्रा से कम है, तो एम0डी0ओ0 के अनुरोध पर निविदल मात्रा की 20 प्रतिशत मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदल मात्रा)जमा की जानी होगी। समस्त वैधानिक अनुमतियों का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। इस हेतु एम0डी0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व के वर्ष के अंतिम दिवस तक निविदल मात्रा का से कम मात्रा का उल्लिखन किये जाने की सूचना एवं उक्त मात्रा को आगामी वर्ष में उठाने की अनुमति बावत अभ्यावेदन निगमको प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि एम0डी0ओ0 किसी वर्ष में, उस वर्ष की निविदल मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे उसके आवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की निविदल मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. अनुबंध का निष्पादन -

8.1 सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है।


8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

For National Energy Trading And Services Limited




Authorised Signatory



कनिष्ठ प्रबंधक (शाखाध्य)

दि अख्यप्रदेश स्टेट नाइजिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)


अभि अधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

- (ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति
 (iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/सहमति पत्र (1000/- रु. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रु. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति
 (iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति.

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पैन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साझेदारी डीड
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकापेरेशन की प्रति एवं मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

- (v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"


8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।


9. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -

9.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

For National Energy Trading And Services Limited


Authorized Signatory


रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस
कलकत्ता प्रबंधक (सामान्य)
राज्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (ग.प्र.)


रजि. अधिकारी
जिला-सीधी (ग.प्र.)

9.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियों एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

10. **ठेकों का निरस्त किया जाना -**

10.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे।

10.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध उसे सनुवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

10.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

11. **समूह का समर्पण -**

समूह का समर्पण - एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

12. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य एम0डी0ओ0 द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो निगम द्वारा ठेका रद्द किए जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में निगम/राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. **(क) ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -**


ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-


(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है जो उसे अपोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

For National Energy Trading And Services Limited


Authorised Signatory


राजेश खन्ना
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. अ. ए. ए. स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
जिला न्यायालय सीधी (म.प्र.)


अभिजीत कार्की
जिला-सीधी (म.प्र.)

यदि एम0डी0ओ0 द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निष्पादित सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

(v) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

14. भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालन:-


प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधित बीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्धदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्धदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


15. एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उल्लेखन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

16. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यक्षीन रहते हुए एम0डी0ओ0 को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि कलेक्टर/निगम को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या एम0डी0ओ0 के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

For National Energy Trading And Services Limited


Authorised Signatory


कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय राीधी (म.प्र.)


अलि अधिकारी
जिला कार्यालय राीधी (म.प्र.)


17. समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उखनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तों के उल्लंघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।
18. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में निगम/कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में एम0डी0ओ0 द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।
19. एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।
20. एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।
21. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।
22. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।
23. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।
24. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।
25. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
26. एम0डी0ओ0, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उखनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।
27. एम0डी0ओ0, खनन से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।


एम0डी0ओ0, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय एवं कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा	माह में स्टॉकमें अंतरित किए गए खनिज की मात्रा	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)


For National Energy Trading And Services Limited



Authorised Signatory



संयोजक प्रबंधक (सामान्य)
एन.ए.टी.एस. लिमिटेड
ऑफिस बिल्डिंग कार्यालय, दिल्ली
एन.ए.टी.एस. लिमिटेड
ऑफिस बिल्डिंग कार्यालय, दिल्ली


अभि अधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

28. एम0डी0ओ0, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय को देगा।
29. एम0डी0ओ0, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता, वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने अथवा समुचित निविदल मात्रा हेतु वैधानिक अनुमति उपलब्ध न होने तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में निगम/कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।
30. **ई-ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-**
निगम द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के ठेकों के संचालन हेतु मैप आईटी के माध्यम से रेत पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन बिना ई-ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। एम0डी0ओ0 को वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार ही ई-ट्रांजिट पास जारी किये जावेंगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत है, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ई-ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ई-ट्रांजिट पास एम0डी0ओ0 के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। एम0डी0ओ0 का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ई-ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर एम0डी0ओ0 को ठेका समाप्त करने संबंधी कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।
31. **परिवहन की व्यवस्था:-**
एम0डी0ओ0 को खदान पहुंच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुंच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। एम0डी0ओ0 को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
32. जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।
33. **ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -**
राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं ठेके की अवधि के दौरान किन्हीं अन्य व्यवहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तों की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
34. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।
35. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।
36. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमाम्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले

For National Energy Trading And Services Limited

 Authorised Signatory


 राम लाल सिंघ
 कजिस्ट्र प्रबंधक (सामान्य)
 मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
 NETA कार्यालय सीधी (म.प्र.)


 ज़रि अधिकारी
 जिला-सीधी (म.प्र.)


एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।


उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ
रिक्त समूह - ख
उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ
रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य
समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को
समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय
आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को
समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय
आमंत्रण - समूह 'घ' के एम0डी0ओ0 को
परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

37. यदि किसी खदान से उखनन की गई सामग्री का विक्रय केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा रोका जाता है तो इस कारण उपगत किसी हानि के लिये राज्य सरकार, निगम जिम्मेदार नहीं होंगे।
38. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।
39. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।
40. **प्रयोजन -**
एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
41. **छूट- नियम-4** अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।
42. **आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -**
निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरित आदेश एवं कंडिका 33 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0 द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी।
43. **कब्जे का पुनर्ग्रहण:-**
(क) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खनन मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो एम0डी0ओ0, रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह

For National Energy Trading And Services Limited


Authorised Signatory


राज्य खनन सीमा
कविदा प्रबंधक (सामान्य)
वि. प्रशासनिक सेवा स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
वि. प्रशासनिक सेवा सीमा (म. प्र.)


अधि अधिकारी
वि. प्रशासनिक सेवा (म. प्र.)

या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(ख) जहां एम0डी0ओ0 रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति एम0डी0ओ0 को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां एम0डी0ओ0 निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि एम0डी0ओ0, रेत खदान/खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(घ) जहां एम0डी0ओ0, उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एम0डी0ओ0 से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(ङ) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, एम0डी0ओ0, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

44. यदि एम0डी0ओ0, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो निगम को एम0डी0ओ0 द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहत करने का अधिकार होगा। ठेका निरस्त करने की दशा में एमडीओ द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात करते ही जा सकेगी एवं एमडीओ से वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु उसे सूचित किया जावेगा। एमडीओ द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली उसके विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर कर अथवा कर भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

45. एम0डी0ओ0, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

46. ई-निविदा सह नीलामी सूचना, ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र, अनुबंध रेत नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

47. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टकमित किया जाता है, कि यदि, एम0डी0ओ0 उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम (रूपए 20,07,78,472/-) जो कि एम0डी0ओ0 द्वारा जमा की गई है निगम द्वारा उसे वापिस कर दी जाएगी। एम0डी0ओ0 के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सुरक्षा राशि एस0पी0वी0 को उपरोक्तानुसार वापिस की जायेगी। सुरक्षा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।


48. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुए भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या 7 दिवस के भीतर, जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य

For National Energy Trading And Services Limited


Authorised Signatory


राज्यलक्षण सौंपी
अतिरिक्त प्रबंधक (सामान्य)
दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि.
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)


अतिरिक्त अधिकारी
जिला-सीधी (म.प्र.)

पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

49. **विवादों का निपटारा:-**

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता केन्द्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम, 2019 अनुसार विवाद का निपटारा किया जावेगा।


50. **विवाद का अधिकार क्षेत्र :-**

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

**अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)**

क्र.	जिला	तहसील	समूह का नाम	ग्रामजहां खदान स्थित है)	खसरा क्रमांक	रकबा (है.में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सीधी	कुसमी	सीधी	गोतरा 3	1, 571	35.44
2	सीधी	कुसमी	सीधी	गुड्ड आधार २	173	12.10
3	सीधी	कुसमी	सीधी	गुड्ड आधार 1	1	7.18
4	सीधी	कुसमी	सीधी	गोतरा	1936	4.40
5	सीधी	कुसमी	सीधी	गोतरा 2	571	3.70
6	सीधी	कुसमी	सीधी	पोंडी	46	4.90
7	सीधी	गोपदबनास	सीधी	पडरी	2142 (95)	4.98
8	सीधी	बहरी	सीधी	भरूही	396	4.80
9	सीधी	बहरी	सीधी	पोंडी 1	1067	8.00
10	सीधी	बहरी	सीधी	पोंडी 2	1067	7.00
11	सीधी	बहरी	सीधी	पोंडी 3	1067	7.00
12	सीधी	बहरी	सीधी	डोल 2	21	4.25
13	सीधी	बहरी	सीधी	डोल 1	619	4.30
14	सीधी	मझौली	सीधी	भुमका	1229	23.00
15	सीधी	मझौली	सीधी	निधिपुरी 1	176	5.00
16	सीधी	मझौली	सीधी	निधिपुरी 2	176	1.45

For National Energy Trading And Services Limited




Authorised Signatory


रामकृष्ण सिंह

कनिष्ठ प्रबंधक (सहायक)

मिडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कर्पोरेशन लिमिटेड

काशी, उत्तर प्रदेश


रामकृष्ण सिंह

17	सीधी	मझौली	सीधी	डालापीपर	1351	2.00
18	सीधी	मझौली	सीधी	टिकरी	2152	3.20

कलक्टर के हस्ताक्षर

Sant Malika

जिला

कलक्टर

(मुहर)

जिला-सीधी (म.प्र.)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1..... *[Signature]*

कलक्टर

2..... *[Signature]*

जिला-सीधी (म.प्र.)

अर जी अर जी

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, द्वारा

नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जिला *[Signature]*

(मुहर)

[Signature]

रामलाल खन्ना

कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लिमि
जिला कार्यालय सीधी (म.प्र.)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.....

2. रामलाल खन्ना *[Signature]*

For National Energy Trading And Services Limited

[Signature]

Authorised Signatory

एम0डी0ओ0 का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1..... *[Signature]*

2.....

National Energy Trading And Services Limited



NETS/SMD-2/S/23-24/025

28-06-2024

To,
The Managing Director,
Madhya Pradesh State Mining Corporation
Prayavas Bhavan
Arera Hills, Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Surrender of Sand Group Mines for Sidhi District

Respected Sir,

M/s National Energy Trading Services Limited (NETS) participated in Tenders called out by MPSMC (Madhya Pradesh State Mining Corporation) during July 2023. NETS emerged as a successful bidder for district Sidhi for 80.31cr. It is the highest paying district amongst the running 40 districts in MP. The LOI was issued by MPSMC on 04-09-2023. The statutory permissions were obtained by MPSMC for quantity 1.28 lakh quantity out of 16 lakh tender quantity (which is 8% of the tender quantity) and we have executed agreement on Nov 2nd 2023.

As per the tender conditions, MPSMC was responsible for getting the statutory permissions and the process of getting these was started by MPSMC at the time of publishing tenders. We didn't get statutory permissions for all the mines till date (almost 11 months from the publishment of tender) because of which we were not able to operate a few mines which have high market potential. In the district Sidhi, sand mining and trading business is at its peak from March to June and there is high demand for sand during NGT period from the neighboring districts of UP. As the statutory clearance for the tender quantity has not been done by the MPSMC, even though we were willing to pay for July August September quantity to capture the rainy season demand, there are no mines with statutory permissions to excavate and store in stocks. This is resulting in loss of business.

Because of the missed business opportunity, the viability of the sand mining and trading business in Sidhi is affected badly and forcing us to surrender the contract to avoid further loss.

Please accept the surrender notice.

G. Anand Kumar

Thanks and Regards,



Regional Office: House No: 247 3rd Floor, Sector-2, Shakti Nagar, Habibganj Bhopal, MP - 462024
Registered Office: "Summit" 1st Floor, D No. 1-98/6/1/25/1/ NR Plot No. 25, Jubilee Enclave, Madhapur Village,
Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500081
T: +9104046149533, +9104046149633 E: info@netsl.net
Corporate Identity Number: U10100TG2000PLC033791



दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कापोरेशन लिमिटेड



(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष - (0755) 2763757, 2570343, 2576213, CIN U01410mp1962SGC000937

Website : <http://www.mpsmcl.mp.gov.in>, <https://ekhanij.mp.gov.in>

email : info.mpsmc@mp.gov.in

क्र.: ई-निविदा सूचना क्रमांक -रेत/निविदा/2024-25/361

दिनांक:- 21 अगस्त 2024

रेत खनिज की ई- निविदा सह नीलामी (e-Tender cum Auction) सूचना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त घोषित रेत खदानों का उत्खनिपट्टा, 10 वर्ष की अवधि के लिये, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कापोरेशन लि0 (निगम) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत इन खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा। निगम, विभिन्न रेत खदानों के समूहों के संचालन हेतु अधिसूचित की गई मात्रा (घन मीटर) एवं आरक्षित मूल्य के आधार पर, 03 वर्ष हेतु एम0डी0ओ0 की नियुक्ति के लिये, ऑनलाइन पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के माध्यम से इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले प्रतिभागियों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित करता है। प्रत्येक समूह के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की अवधि 29.08.2024 से 24.09.2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक रहेगी। ई- निविदा में तकनीकी रूप से पात्र पाये गये प्रतिभागियों के वित्तीय प्रस्तावों में से अधिकतम राशि को आधार मूल्य बनाकर, ई नीलामी के माध्यम से उच्चतम प्रतिभागी का चयन किया जायेगा।

इच्छुक निविदाकारों की शंकाओं के निराकरण एवं ऑनलाइन ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु सत्र, हाईब्रिड मोड में, में म0प्र0 राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल एवं उपर उल्लेखित पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, दिनांक 24.08.2024 को 12.00 बजे से 02.00 बजे दोपहर तक रखा जायेगा।

ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, समूहों का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें आदि <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के अतिरिक्त निगम की वेबसाइट www.mpsmcl.mp.gov.in तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर दिनांक 22.08.2024 (अपरान्ह 04:00 बजे) से उपलब्ध रहेगा। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 भी निगम की वेबसाइट एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल info.mpsmc@mp.gov.in पर पृच्छा भेजी जा सकती है, साथ ही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के मुख्य कार्यालय पर्यावास भवन, द्वितीय तल स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में उक्त नम्बरों पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास III) आवश्यक होंगे। समूहवार खदानों की संख्या, निविदत्त मात्रा एवं प्रारंभिक आधार मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रेत खदानों के समूह का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह हेतु निविदत्त मात्रा (घनमीटर)	निविदा हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य (अपरान्ह प्राइज) ₹. @250 प्रति घनमीटर
1	2	3	4	5
1	सीधी	18	1600000	400000000
2	उज्जैन	42	129000	32250000
3	शाजापुर	21	51000	12750000

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तों में सुधार कर सकेगा, जिसकी जानकारी केवल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp>, www.mpsmcl.mp.gov.in एवं <https://ekhanij.mp.gov.in> वेबसाइट्स पर ही प्रदर्शित की जावेगी। उक्त सभी संशोधन प्रतिभागियों पर बंधनकारी होंगे।

प्रबंध संचालक

रेत खदानों का समूह- सीधी

निविदा प्रपत्र का मूल्य - रूपये 5,000/-

रेत खनिज की ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र

1. सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि परिशिष्ट-1, के विनिर्दिष्ट रेत खदानों के समूह, माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) द्वारा रेत के खनन एवं विक्रय हेतु, म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार)नियम, 2019 के नियम 9 में उल्लेखित अवधि के लिये ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जावेगा।

निगम द्वारा रेत खदानों के समूह एवं उनमें सम्मिलित रेत खदानों एवं उनका विस्तृत विवरण यथा जिला, तहसील ग्राम, खसरा क्रमांक, रकबा एवं अनुमानित मात्रा, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के बेवसाइट <https://www.mpsmcl.mp.gov.in> पर दिनांक 24-06-2023 से प्रदर्शित किया गया था।

2. (क) ई-निविदा सह नीलामी की विस्तृत प्रक्रिया, समूह का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें तथा प्रक्रिया का विवरण <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के अतिरिक्त संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के बेवसाइट <https://www.mpsmcl.mp.gov.in> पर दिनांक 22.08.2024 से उपलब्ध रहेगा। ई-निविदा सह नीलामी से संबंधित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर (खनिज शाखा) अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त की जा सकेगी। ऑनलाईन-ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> संपादित की जावेगी।

(ख) ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ई-निविदा सह नीलामी सूचना प्रकाशन दिनांक	22.08.2024
2.	दस्तावेज अवलोकन एवं डाउनलोड प्रारंभ दिनांक एवं समय	22.08.2024 अपरान्ह 04:00 बजे
3.	(ए) प्री-बिड मीटिंग दिनांक और समय	24.08.2024 पूर्वान्ह 12:00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक
	(बी) प्री-बिड मीटिंग के लिए पता और स्थान	हाईब्रिड मोड में, ऑफ लाईन म0प्र0 राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपालमें एवं ऑनलाईन मोड में भाग लेने हेतु लिंक निगम वेब साइट एवं https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp पोर्टल पर दर्शित की जायेगी।
	(सी) शुद्ध पत्र/स्पष्टीकरण प्रकाशन की तिथि	28.08.2024
4.	(ए) दस्तावेज बिक्री प्रारंभ दिनांक	29.08.2024
	(बी) दस्तावेज बिक्री समाप्ति दिनांक और समय	23.09.2024 अपरान्ह 05:00 बजे
5.	निविदा प्रस्तुत करने का आरंभ दिनांक और समय:	29.08.2024 पूर्वान्ह 10:00 बजे
6.	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक और समय:	24.09.2024 अपरान्ह 05:00 बजे
7.	ईएमडी (अमानत) राशि	प्रारंभिक आधार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि

8.	निविदा खोलने की दिनांक और समय (तकनीकी प्रस्ताव)	25.09.2024 पूर्वाह्न 12:00 बजे
9.	तकनीकी मूल्यांकन उपरांत पात्र एवं अपात्र प्रतिभागियों की घोषणा	27.09.2024 अपराह्न 03:00 बजे
10.	निविदा खोलने की तारीख और समय (वित्तीय प्रस्ताव)	27.09.2024 अपराह्न 05:00 बजे
11.	नीलामी हेतु आरंभिक मूल्य	पात्र प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव
12.	नीलामी प्रारंभ होने एवं समापन का दिनांक	30.09.2024 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक
13.	ऑटो एक्सटेंशन का समय	08 मिनट
14.	नीलामी के लिए न्यूनतम वृद्धि मूल्य की वृद्धि प्रतिशत	तकनीकी रूप से पात्र प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव का 0.25 प्रतिशत या उसके गुणांककी राशि(rounded up to nearest multiple of thousand)
15.	प्रारंभिक आधार मूल्य	परिशिष्ट-1 अनुसार
16.	निविदा की वैधता	180 दिन
17.	पत्राचार के लिए संपर्क अधिकारी का नाम एवं पता	:श्री आशुतोष टेमले, महाप्रबंधक (खान), म0प्र0 राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) ईमेल- info.mpsmc@mp.gov.in दूरभाष नंबर- 0755-2763393

नोट:- 1. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पर्यावास भवन भोपाल स्थित म0प्र0 राज्य खनिज निगम, मुख्यालय कार्यालय में सम्पादित होगी। निविदाएँ <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> पर खोली जायेंगी। प्रतिभागी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से निगम के मुख्यालय में निविदाओं की लाईव ओपनिंग देख सकेंगे। तथापि प्रतिभागी ई नीलामी प्रक्रिया में स्वयं के स्थान से, ऑनलाईन, भाग ले सकेंगे।

2. ऑनलाईन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम, आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तों में सुधार कर सकेगा तथा उसकी जानकारी ई-निविदा सह नीलामी पार्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp>, निगम की बेबसाईट <https://www.mpsmcl.mp.gov.in> एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 की वेब साईट <https://ekhanij.mp.gov.in> में ही प्रदर्शित की जावेगी। ऐसा सुधार निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट/पोर्टल नियमित रूप से देखते रहे।

3. परिभाषाएँ एवंव्याख्या

- (i) " अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) ;
- (ii) "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019,यथा संशोधित

- (iii) "लेखा वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।
- (iv) "ई-निविदा सह नीलामी दस्तावेज" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 तथा उनके अंतर्गत निष्पादित समस्त दस्तावेज, ई-निविदा आमंत्रण सूचना, ई-निविदा प्रपत्र एवं उसमें संलग्न अनुबंध एवं अन्य दस्तावेज से है;
- (v) "ठेके की अवधि" से तात्पर्य है, नियम-9 में यथा विहित;
- (vi) "लागू अधिनियम" से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्यादेश, रिट, आदेश जो कि इस अनुबंध से संबंधित है, भी सम्मिलित हैं;
- (vii) "माईन डेवलपर कम ऑपरेटर" से तात्पर्य- निगम द्वारा नियम 8 में विहित प्रक्रिया अनुसार नियुक्त माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (जिसे आगे एम०डी०ओ० कहा गया है), जो कि उसे आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।"
- (viii) "पक्षों" से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से हैं। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से हैं:
- (ix) " निगम" तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि०/ मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित से हैं;
- (x) " प्रबंध संचालक" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित के प्रबंध संचालक से है;
- (xi) " अधिकृत हस्ताक्षरी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, कंसॉरशियम में लीड मेम्बर अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा/साझेदारी फर्म/एलएलपी में समस्त साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा मैनेजिंग पार्टनर द्वारा लिखित/ सोसाइटी में उसके अध्यक्ष द्वारा, कंपनी/कंसॉरशियम/ साझेदारी फर्म/एलएलपी/सोसाइटी की ओर से निविदा संबंधी दस्तावेज हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया हो एवं जिसके पक्ष में "परिशिष्ट-5" में दिये गये प्रारूप में प्राधिकार पत्र निष्पादित किया गया हो;
- (xii) "अनुबंधित राशि" से तात्पर्य है, नियम-10 में यथा विहित;
- (xiii) " प्रतिभागी/बिडर" से तात्पर्य है, ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने वाला भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., कंसॉरशियम, पंजीकृत सोसाइटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person)

व्याख्या -

जहाँ भी प्रसंगवश अथवा अपेक्षा हो उसे छोड़कर इस ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में;

- i. एक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं ।
 - ii. एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित है तथा बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन भी सम्मिलित है ।
 - iii. अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों 'सहमत', 'सहमत हुआ' या अनुबंध से लिखित में अनुबंध करनेकी अपेक्षा हैं ।
 - iv. "लिखित" से तात्पर्य, हस्तलिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी अभिलेख तैयार हो सकें ।
4. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या नियम में समनुदेशित किये गये हैं ।

5. **प्रतिभागी की अर्हताएँ -**

(क) **तकनीकी अर्हता:-**

- (i) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म०प्र० राज्य खनिज निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित कोई शोध बकाया न हो (अर्थात् माननीय न्यायालय/आर्बिट्रेशन के अंतर्गत वसूली पर रोक हो) एवं यदि ऐसे कोई शोध पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई०एम०डी०/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे ।
- (ii) प्रतिभागी को पूर्व से खनिज साधन विभाग (मध्यप्रदेश शासन)/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म/निगम द्वारा काली सूची में न डाला गया हो ।
- (iii) प्रतिभागी का भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., पंजीकृत सोसायटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person) होना अनिवार्य है । उपरोक्त में से अधिकतम दो एंटीटीज का कन्सॉरशियम भी निविदा में भाग ले सकेंगे।
ऑनलाईन ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे ।

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी०ओ०ए०) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार Constitution बाबत दस्तावेज

- (iv) **कन्सॉरशियम (Consortium)**- प्रतिभागी के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में, कन्सॉरशियम के भागीदार, जो कि दो से अधिक न हो, को संलग्न "परिशिष्ट-10"मेंविधिमान्य कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट निष्पादित करना होगा। उक्त कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के माध्यम से भागीदार, पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुबंध/ठेके की शर्तों के पालन का दायित्व ग्रहण करेंगे। टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बंधी वित्तीय अर्हता की पूर्ति हेतु समस्त भागीदारों की अर्हता का समेकन किया जा सकेगा। तथापि दोनो भागीदारों की पृथक-पृथक Positive Net worth होना आवश्यक होगा।

कन्सॉरशियम के सफल निविदाकार होने की स्थिति में, त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन, निविदा अंतर्गत कार्य का सम्पादन तथा समस्त वैधानिक दायित्व ग्रहण करने हेतु भागीदारों द्वारा स्पेशियल पर्पज वेहिकल (एस0पी0वी0) का गठन किया जायेगा, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में पंजीकृत साझेदारी फर्म होगी। एस0पी0वी0 में कम से कम एक भागीदार की भागीदारिता न्यूनतम 51 प्रतिशत होना आवश्यक है। ऐसा भागीदार कन्सॉरशियम का लीड मेम्बर कहलायेगा। अन्य की भागीदारिता न्यूनतम 26 प्रतिशत होना आवश्यक है। उक्त न्यूनतम भागीदारी की निरंतरता अनुबंध अवधि तक बनाये रखना अनिवार्य होगा।

प्रतिभागी के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया कन्सॉरशियम के नाम पर लीड मेम्बर द्वारा की जायेगी। लीड मेम्बर द्वारा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> पर पंजीयन कराया जायेगा। ई0एम0डी0 की राशि/ बैंक गारंटी जमा करना एवं अन्य समस्त ऑपचारिकतायें लीड मेम्बर द्वारा स्वयं के नाम पर ही की जायेगी। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन एस0पी0वी0 द्वारा किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि कन्सॉरशियम हेतु लीड मेम्बर द्वारा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> पर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पंजीयन कराया जाना है, अतः लीड मेम्बर, चाहे अनुसार, व्यक्तिगत क्षमता में अन्य समूहों की निविदा में तो भाग ले सकेगा, किन्तु उसी समूह में कन्सॉरशियम के रूप में भाग लेने के कारण वह व्यक्तिगत क्षमता में भाग नहीं ले सकेगा।

- (v) प्रतिभागी के पास आयकर विभाग का पेन होना अनिवार्य है। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।
- (vi) जीएसटी एवं समस्त अन्य कर/शुल्क का भुगतान प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिभागी द्वारा किया जावेगा। सफल प्रतिभागी को स्वीकृति के बाद अनुबंध निष्पादन के पूर्व जीएसटी पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को जीएसटी के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) **वित्तीय अर्हता:-**

प्रतिभागी को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

क. 31.03.2023 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth, (यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में net worth.)

एवं

ख. अकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर, प्रारंभिक आधार मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 को आधार माना जायेगा।)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा "परिशिष्ट-7" अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण:-

क. (i) **शुद्ध परिसंपत्तिक मूल्य की गणना :- (अंग्रेजी अनुवाद परिशिष्ट-6 पर है)**

निविदाकार - कंपनी/भागीदारी फर्म/समिति दायित्व भागीदारी फर्म (LLP):-

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य से आशय कंपनी/भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म (LLP) की प्रदत्त पूंजी, अधिशेष (जो कि विगत वर्षों में व्यवसाय के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ से निर्मित हो) और प्रतिभूतियों के प्रीमियम से प्राप्त राशि, जिसमें से व्यवसाय के संबंधित वर्ष तक की समस्त हानि, स्थगित व्यय तथा अभी तक अपलेखित न किये गये व्यय के घटाने के उपरांत, दिनांक 31.03.2022/23 की तिथि में आंकेक्षित तुलन पत्रक अनुसार ही मान्य होगी किन्तु इसमें परिसंपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन, मूल्यहास के अधिक अपलेखन और अन्य फर्म/कंपनी के समामेलन से उदभूत रिजर्वस् शामिल नहीं होगी।

निविदाकार-व्यक्ति/प्रोपराईटर:-

व्यक्तिगत प्रकरणों में शुद्ध परिसंपत्तियों से आशय दिनांक 31.03.2022/23 की स्थिति में शेष राशि जिसमें सार्वजनिक/अनुसूचित बैंकों में जमा एवं पोस्ट ऑफिस में संबंधित के बचत खातों में जमा राशि, मियादी जमा (जो कि ऋण/कर्ज/गिरवी आदि से मुक्त हों), अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सूचीबद्ध कंपनी या सरकारी संस्थान या उपक्रम (केन्द्र/राज्य शासन), किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बॉण्ड, सूचीबद्ध कंपनी के अंश, फर्मों में स्वयं के नाम से निवेश, सूचीबद्ध म्यूचल फंड में जमा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लोक भविष्य निधि में जमा शामिल है। (असूचिबद्ध कंपनी के अंश नहीं जोड़े जाने है) जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत निवेश केवल समर्पण मूल्य तक ही मान्य होंगे। स्थायी/अचल संपत्ति यदि भार ग्रस्त न हो तथा संबंधित के पूर्ण स्वामित्व की हो।

अचल संपत्ति का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र के लिए (जहां अचल संपत्ति स्थित है) शासन/प्राधिकृत विहित अधिकारी द्वारा निर्धारित गाईडलाईन मूल्य के अनुसार होना चाहिए।

(ii) प्रतिभागी द्वारा केवल सनदीलेखाकार द्वारा UDIN नम्बर सहित जारी नेटवर्थ एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र ही अपलोड किया जावे। जिसका प्रारूप "परिशिष्ट-7" पर संलग्न है। उक्त प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जावे। यदि प्रतिभागी द्वारा नेटवर्थ एवं टर्नओवर संबंधी सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता एवं केवल संबंधित वर्ष का तुलन पत्रक अपलोड किया जाता है तो उसके तकनीकी प्रस्ताव को अमान्य किया जावेगा।

(iii) **विलोपित**

6. **ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया -**

सीमांकित एवं घोषित रेत खदानें समूहवार ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- (1) ई-निविदा सह नीलामी हेतु पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> का उपयोग किया जायेगा।
- (2) इच्छुक निविदाकर्ता को पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण उपरांत व्यक्ति/संस्था द्वारा लाग-इन आई.डी. क्रियेट करनी होगी। पोर्टल पर पंजीयन, ई निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया "परिशिष्ट-2" पर देखी जा सकती है।
- (3) रेत खदानों के समूहों एवं उनमें सम्मिलित खदानों, निविदत्त मात्रा, अपसेट प्राइज आदि का विस्तृत विवरण "परिशिष्ट-1" पर देखा जा सकता है।

समूह की निविदा में सम्मिलित समस्त खदानों में पृथक-पृथक उपलब्ध रेत मात्रा (घनमीटर में) के कुल योग का 250 गुना (रूपये में) उस समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) होगा।

परन्तु किसी समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की गणना हेतु रेत की मांग के आंकलन के आधार पर समस्त खदानों की मात्रा के कुल योग से भिन्न मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है।"

- (4) इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात चाहे अनुसार समूह हेतु ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने के पूर्व, निगम के साथ "परिशिष्ट-3" अनुसार इस आशय का करार निष्पादित करेगा/करेगी कि उसके द्वारा ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है। यह करारनामा ऑन-लाईन सहमति के रूप में भी लिया जा सकेगा।

(5) **ई.एम.डी. (अमानत राशि):-**

- (क) पंजीकृत व्यक्ति/संस्था चाहे अनुसार एक से अधिक समूह के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे एवं प्रत्येक समूह हेतु पृथक-पृथक ई.एम.डी. राशि, जो कि समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि होगी, निगम के पक्ष में निगम के निम्न खाते में जमा करेंगे।

Name of beneficiary and details	Name	THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LTD.
	Address	Bhopal
	Bank A/c no. beneficiary	SB- 2073101022015
	Customer ID/CIF no. of beneficiary	63842116
Beneficiary's Bank, Branch and Address	Beneficiary's Bank	CANARA BANK
	Branch and Address	MAHARNA PRATAP NAGAR BRANCH, BHOPAL- 462001
	SFMS Code/ IFSC Code	CNRB0002073

ई.एम.डी. राशि बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है। उक्त बैंक गारंटी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। बैंक गारंटी का प्रारूप "परिशिष्ट-8" पर संलग्न है। बैंक गारंटी की मूल प्रति बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व निगम के मुख्य कार्यालय में जमा करनी होगी।

- (ख) सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई ई.एम.डी. राशि, देय सुरक्षा राशि में समायोजित की जावेगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।
- (ग) सफल प्रतिभागी के चयन उपरांत शेष प्रतिभागियों की ई.एम.डी. राशि यथा स्थिति ऑन-लाईन वापस की जावेगी।

(6) **ई-निविदा की प्रक्रिया:-**

6.1 निविदा कवर

निविदा, दो कवर प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (क्लास-3 डी0एस0सी0 आवश्यक) और प्रतिभागी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नानुसार स्व-प्रमाणित करके ऑन-लाईन प्रस्तुत की जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव मात्र ऑन लाईन मोड में ही सबमिट किये जावेंगे। यदि प्रतिभागी द्वारा उपरोक्त कंडिका 5.5(क) के अनुसार ई0एम0डी0 राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है तो निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व बैंक गारंटी की मूल प्रति निगम के मुख्य कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की फिजिकल बिड मान्य नहीं की जावेगी।

6.2 कवर-1 तकनीकी दस्तावेज जो कि अपलोड किये जाने है:-

6.2.1 प्रतिभागी का भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., पंजीकृत सोसायटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person)होना अनिवार्य है। उपरोक्त में से अधिकतम दो एंटीटीज का कन्सॉरशियम भी निविदा में भाग ले सकेंगे।

ऑनलाईन ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार Constitution बाबत दस्तावेज

6.2.2 प्रतिभागीको आयकर विभाग का पेन कार्ड आपलोड करना होगा। कन्सॉरशियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में दोनो भागीदारों के पेन कार्ड अपलोड करना होगा। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

6.2.3 इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात चाहे अनुसार समूह हेतु निविदा में भाग लेने के पूर्व निगम के साथ "परिशिष्ट-3" में इस आशय का करार निष्पादित किया जायेगा कि उसके द्वारा उपरोक्तानुसार ई-निविदा सह नीलामी में शामिल किये जाने वाले समूह में शामिल रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं समूह में शामिल रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। संबंधित समूह की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम हो जाने के पश्चात उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समयावधि के देय राशि का भुगतान करने एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है। यह करारनामा ऑन-लाईन सहमति के रूप में लिया जावेगा।

निविदाकार को "परिशिष्ट-03" पर दर्शित ऑन-लाईन करार/वचन/सहमति पत्र डाउनलोड कर, आवश्यक प्रविष्टियां कर एवं हस्ताक्षरित कर, स्कैन प्रति डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से ऑन-लाईन अपलोड करना होगा।

(स्पष्ट किया जाता है कि इस ऑन लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है एवं Stamp शुल्क आदि देय नहीं होगा।)

6.2.4 प्रतिभागी को ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय "परिशिष्ट-4" अनुसार प्रतिभागी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6.2.5 यदि आवेदक व्यक्ति नहीं है, तो उसे "परिशिष्ट-5" में दर्शित प्रारूप अनुसार "अधिकृत हस्ताक्षरी" का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। "प्राधिकार पत्र" पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा निष्पादक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- "परिशिष्ट-5" (प्राधिकार पत्र), रू. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं विधिवत नोटराइज कर, स्केन कर अपलोड किया जाना होगा। कम राशि के स्टाम्प ड्यूटी भुगतान होने की स्थिति में तकनीकी प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा। कन्सॉरशियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र का निष्पादन लीड मेम्बर द्वारा किया जायेगा।

6.2.6 प्रतिभागी को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

क. 31.03.2023 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth, (यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth)

ख. अकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों की औसत टर्नओवर, प्रारंभिक आधार मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 को आधार माना जायेगा।)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा परिशिष्ट-7 अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6.3 कवर-2 (वित्तीय प्रस्ताव)

प्रतिभागी द्वारा वित्तीय प्रस्ताव को पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी एवं डिजिटली हस्ताक्षरित करना होगा।

6.4 निविदा प्रस्तुत करना और मूल्यांकन प्रक्रिया

6.4.1 कंडिका 6.2 एवं 6.3 के अनुसार सभी दस्तावेजों के साथ होने पर निविदा को पूरा माना जाएगा, सिस्टम केवल ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत अंतिम निविदा पर विचार करेगा।

6.4.2 ई-निविदा पोर्टल में, प्रतिभागियों को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय से पहले कितनी भी बार निविदा को संशोधित करने की अनुमति है। इस हेतु प्रतिभागियों को सिस्टम पर लॉग इन करना होगा और वित्तीय निविदा सहित सिस्टम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को फिर से जमा करना होगा एवं पहले से प्रस्तुत की गई निविदा को, सिस्टम में delete ऑप्शन का चयन कर, हटाना होगा। हालांकि, प्रतिभागियों को सिस्टम की विफलता या इंटरनेट या

नेटवर्क का कनेक्शन या बिजली की विफलता से बचने के लिए अंतिम समय में निविदा में संशोधन से बचना चाहिए। यदि प्रतिभागी प्राप्ति के निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी संशोधित निविदा प्रस्तुत करनेमें विफल रहता है, तो पूर्व की निविदा के डिलीट होने के कारण, मूल्यांकन हेतु उसकी कोई निविदा मान्य नहीं रहेगी।

- 6.4.3 निविदा खोलने की दिनांक, ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में निर्दिष्ट हैं। इस दिनांक को शुद्धिपत्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
- 6.4.4 केवल उन प्रतिभागियों को प्राधिकारी द्वारा योग्य माना जाएगा, जो आवश्यक निविदा शुल्क, ईएमडी और दस्तावेज जमा करते हैं, बिना शर्त निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मापदंड की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 6.4.5 प्रतिभागी अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहनकरेगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना प्राधिकारी इन लागतों के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6.4.6 तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी भी दस्तावेज में दी गई जानकारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो निविदा को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। प्राधिकारी प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज के लिये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकता है।
- 6.4.7 तकनीकी मूल्यांकन के बाद, सभी प्रतिभागियों को वेबसाइट पर उनकी पात्रता के संबंध में पुष्टि मिल जाएगी। तत्पश्चात, सभी पात्र प्रतिभागियों को एक सिस्टम जनित ई-मेल पुष्टिकरण भेजा जाएगा।
- 6.4.8 तकनीकी रूप से योग्य पाये गये प्रतिभागियों का वित्तीय प्रस्ताव ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम या शुद्धिपत्र यदि कोई हो, में उल्लेखित अधिसूचित/विस्तारित खुलने की तारीख और समय पर खोला जायेगा।
- 6.4.9 वित्तीय प्रस्ताव केवल उन्ही निविदाकारों के मान्य किये जावेंगे जिनका प्रस्ताव आरक्षित मूल्य से अधिक है।
- 6.4.10 तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव के घटते क्रम में सूचीबद्ध किया जावेगा एवं इनमें से उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों (with any fraction rounded off to higher integer) या प्रथम पांच तकनीकी पात्र निविदाकारों, जो भी अधिक हो, को ई- नीलामी हेतु पात्र माना जावेगा। उच्चतम प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव को ई- नीलामी हेतु आधार मूल्य मान्य किया जावेगा।

यदि तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से पांच के मध्य हो तो सभी निविदाकारों को ई-नीलामी हेतु पात्र माना जावेगा। यदि एकाधिक निविदाकारों द्वारा समान राशि का वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों की गणना हेतु उन्हे समान श्रेणी में रखा जावेगा एवं ऐसी स्थिति में उक्त समान दर की निविदा हेतु 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ी हुई मानी जावेगी।

- 6.4.11 यदि प्रथम निविदा आमंत्रण में तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से कम हो तो निविदा प्रक्रिया निरस्त कर पुनः समान शर्तों पर ई-निविदा- सह-नीलामी की जावेगी ।
- 6.4.12 परन्तु द्वितीय अथवा आगामी निविदा आमंत्रण में निविदा की संख्या दो से कम होती है तो संचालक द्वारा इसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जावेगी तथा राज्य शासन की अनुमति से समस्त ऐसे कार्य/उपाय, जिसमें निविदल मात्रा का पुर्ननिर्धारण एवं समूह का पुनर्गठन सम्मिलित है, किये जावेंगे जिससे उस समूह की रेत खदानों के लिए निविदा प्राप्त हो सके।

6.5 ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 6.5.1 प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी मापदंडों जैसे ई-नीलामी प्रारंभ दिनांक/समय समाप्ति दिनांक/समय,न्यूनतम वृद्धि मूल्य,ऑटो एक्सटेंशन आदि पर सिस्टम द्वारा उत्पन्न अधिसूचना के लिए सतर्क रहें ।
- 6.5.2 पात्र प्रतिभागी, ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार ई-नीलामी में भाग लेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिनांक में किसी परिवर्तन के मामले में,संशोधित दिनांक और समय सूचित किया जाएगा ।
ई नीलामी प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय रहती है।
- 6.5.3 प्रतिभागियों को ई-नीलामी में प्रारंभिक नीलामी मूल्य के ऊपर उद्धत करना होगा। प्रतिभागियों सफल प्रतिभागी बनने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में उपयुक्त रूप से प्रस्ताव बढ़ा सकते हैं। प्रस्ताव में न्यूनतम वृद्धि ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार होगी। ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार न्यूनतम वृद्धिशील मूल्य से कम वृद्धि ई-नीलामी सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 6.5.4 प्रारंभ में ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में उल्लिखित समय तक जारी रहेगी। यदि कोई प्रतिभागी नीलामी बंद होने के अंतिम 08 मिनट में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो नीलामी का समय स्वचालित रूप से, उस प्रस्ताव से आगामी 08 मिनट हेतु बढ़ जायेगा। ऑटो एक्सटेंशन प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक जब तक अंतिम प्रस्ताव से 08 मिनट के भीतर कोई नई बोली प्राप्त न हो।
- 6.5.5 सफल प्रतिभागी (एच-1 प्रतिभागी) का चयन नीलामी में प्राप्त उच्चतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
- 6.5.6 ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सत्यापन के लिए प्राधिकारी को कवर 1 (तकनीकी निविदा) में सफल प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

6.6 अन्य शर्तें

- 6.6.1 प्रतिभागियों को अपनी निविदा के संबंध में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण/पत्राचार की प्राप्ति के लिए ई-निविदा पोर्टल पर पंजीकृत अपने ई-मेल की लगातार जांच करते रहना चाहिये।

- 6.6.2 यदि प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/अपूर्ण पाई जाती है, तो निविदा/अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी को जप्त कर लिया जाएगा। प्राधिकारी, प्रतिभागियों को ई-मेल प्राप्त न होने/विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 6.6.3 प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 6.6.4 सशर्त प्रस्ताव अस्वीकृत किये जावेंगे।
- 6.6.5 उन प्रतिभागियों की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने ई-निविदा सह नीलामीसूचना के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
- 6.6.6 इस ई-निविदा सह नीलामी के संबंध में स्वयं के पक्ष को पुष्ट किये जाने हेतु प्रचार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सख्ती से प्रतिबंधित है और निविदा लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगी।
- 6.6.7 यह प्रस्ताव किसी भी प्रतिभागी को सफल प्रतिभागी घोषित करने से पहले जांच और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है।

7. (क) कंडिका 6.5.5के अनुसार चयनित सफल प्रतिभागी (एच-1 प्रतिभागी) को निगम द्वारा 7 कार्य दिवस में निम्न राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र, जारी किया जावेगा:-

सुरक्षा राशि:- उच्चतम प्राप्त निविदा राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगमके निम्नलिखित खाते में जमा की जावेगी:-

Name of beneficiary and details	Name	THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LTD.
	Address	Bhopal
	Bank A/c no. beneficiary	SB- 2073101022015
Beneficiary's Bank, Branch and Address	Beneficiary's Bank	CANARA BANK
	Branch and Address	MAHARNA PRATAP NAGAR BRANCH, BHOPAL- 462001
	SFMS Code/ IFSC Code	CNRB0002073

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गयी हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

(ख) उपरोक्त राशियां प्राप्त होने पर निगम द्वारा सफल प्रतिभागी को वचनबंध प्रस्तुत करने एवं अनुबंध निष्पादन हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

8. **अनुबंध का निष्पादन** - नियम 13 अनुसार किया जायेगा, -

8.1. सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर "परिशिष्ट-3"पर संलग्नप्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन

किया जाएगा और वह नियम 14 के उप नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

- (i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति
- (ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति
- (iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति
- (iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकापॉरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सीओओएओ) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार Constitution बाबत दस्तावेज

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध "परिशिष्ट-11" पर संलग्न प्रारूप में कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। कन्सॉरशियम होने की स्थिति में अनुबंध का निष्पादन एसओपीओ द्वारा किया जायेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं

होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि -** नियम 9 अनुसार होगी -

समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी तथापि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

10. **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान:-** नियम 10 अनुसार होगी -

10.1.1 ई-निविदा सह नीलामी में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ-

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य - रूपए 18.00 करोड
उच्चतम प्राप्त निविदा राशि (वार्षिक ठेका राशि) - रूपए 21.00 करोड

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपए)	चतुर्थ वर्ष देय राशि (रूपए)	पंचम वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड
3.	कुल देय राशि	21 करोड	23.10 करोड	25.20 करोड	27.30 करोड	29.40 करोड

टिप्पणी:- वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी। मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई0टी0पी0 चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 पर रोक लगा दी जावेगी।

जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

- 10.1.2 ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।
- 10.1.3 यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिये देय राशि, उस माह हेतु संदल किशत राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किशत के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदल मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।
- 10.1.4 ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित बैंक खाते में जमा कराया जाना होगा। जिसका विवरण पृथक से तत्समय उपलब्ध कराया जावेगा। विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चत दर पर ब्याज देय होगा।
- 10.1.5 समूह की एक भी खदान का अनुबंध होने पर ठेका प्रारंभ माना जावेगा।
- 10.1.6 खदानवार मात्रा निविदल न होकर संपूर्ण समूह के लिये एकजाई रूप से मात्रा निविदल है। खदान से उत्खन्न की मात्रा खदान विशेष के लिये प्राप्त वैधानिक अनुमति तक सीमित होगी।

11. **वैधानिक अनुमतियों:-**

- 11.1.1 निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा दस वर्षों के लिये आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम 8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसारचयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।
- 11.1.2 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।
- 11.1.3 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
- 11.1.4 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तों के उल्लघनहेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।
- 11.1.5 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य

उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तक जिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति "परिशिष्ट-9" पर है।

- 11.1.6 ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टरको प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

- 11.2 वैधानिक अनुमतियों - वैधानिक अनुमतियों निम्नानुसार हैं :-

- 11.2.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।
- 11.2.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- 11.2.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- 11.2.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।
- 11.2.5 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरुद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

12. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -

- 12.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- 12.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

13. **ठेकों का निरस्त किया जाना** - नियम-15 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होगा,
- 13.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लघनों के संबंध में प्राप्त उत्तरका परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।
- ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हें विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे।
- 13.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध उसे सनुवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।
- 13.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"
14. **समूह का समर्पण** - नियम-16 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा,
- एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।
- परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:
- परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
- परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।
15. **भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालन:-**
- प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधित बीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न

करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

16. **खदानों के सीमा चिन्ह -**

एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

17. **ठेका अहस्तांतरणीय है-** एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

18. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

19. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

20. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

21. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

22. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह निगम को आवंटित पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनोंकी स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे तथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

23. खदानों का संचालन ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, निष्पादित अनुबंध, मध्यदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 तथा रेत खनिज के खनन, परिवहन एवं उपयोग आदि पर लागू प्रावधानों/नियमों के अधीन होगा।

24. **(क) ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -**

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त कीजावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

25. प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज *निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित* कोई शोध बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

26. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्र है। निगम द्वारा ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

27. **ई-निविदा सह नीलामी दस्तावेजों में सुधार-**

ई-निविदा सह नीलामी की अंतिम तारीख के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों में सुधार कर सकेगा जिसकी जानकारी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp>, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पोर्टल mpsmcl.mp.gov.in एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल ekhanij.mp.gov.in, में ही प्रदर्शित किये जायेंगे। अतः इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे इन वेबसाइट/पोर्टल्स को नियमित रूप से देखें।

28. **खदान एवं रेत का विवरण-**

ठेकेदार को प्रत्येक खदान क्षेत्र में ठेकेदार एवं खदान का विवरण, रेत की विक्रय दर, मजदूरों द्वारा लिये जा रहे लोडिंग/अनलोडिंग की दर इत्यादि की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा।

29. रेत परिवहन में संलग्न वाहनों एवं खदान पर जीपीएस अथवा विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

30. **ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -**

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो एम०डी०ओ० के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तों की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम का होगा। एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

31. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम०डी०ओ० द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

32. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

33. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम०डी०ओ० नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम०डी०ओ० को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम०डी०ओ० द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम०डी०ओ० का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम०डी०ओ० के लिये भी अपनाई जायेगी।

उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम०डी०ओ० को

समूह 'ग' के एम०डी०ओ० द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह 'क' के एम०डी०ओ० को

समूह 'क' के एम०डी०ओ० द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह 'घ' के एम०डी०ओ० को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम०डी०ओ० को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम०डी०ओ० द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम०डी०ओ० को आवंटन किया जावेगा।

34. विलोपित
35. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम०डी०ओ० पालन करेगा।
36. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।
37. **प्रयोजन -**
एम०डी०ओ०, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
38. **छूट-** नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।
39. **आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -**
निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश एवं कंडिका 30 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम०डी०ओ०द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी।
40. **विवादों का निपटारा -**
अनुबंध में विहित प्रावधान अनुसार होगा।
41. **अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-**
अनुबंध में विहित प्रावधान अनुसार होगा।

परिशिष्ट -1

ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों के समूह का व्यौरा
समूह का नाम/क्रमांक - सीधी
जिला -सीधी

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 24.09.2024 समय - अपराह्न 05:00 बजे

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है. में)	अनुमोदित मात्रा (घन. मी)	आधार मूल्य (अपसेट प्राइज)रूपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीधी	कुसमी	गोतरा -3	1, 571	35.440	425280	
2	सीधी	कुसमी	गुडुआधार-2	173	12.100	145200	
3	सीधी	कुसमी	गुडुआधार-1	1	7.180	86160	
4	सीधी	कुसमी	गोतरा	1936	4.400	39640	
5	सीधी	कुसमी	गोतरा-2	571	3.700	33300	
6	सीधी	कुसमी	पोंडी	46	4.900	29387	
7	सीधी	गोपद बनास	पडरी	2142(95)	4.980	44820	
8	सीधी	बहरी	भरुही	396	4.800	72000	
9	सीधी	बहरी	पोंडी-1	1067	8.000	120000	
10	सीधी	बहरी	पोंडी-2	1667	7.000	63000	
11	सीधी	बहरी	पोंडी-3	1667	7.000	63000	
12	सीधी	बहरी	डोल-2	21	4.250	25500	
13	सीधी	बहरी	डोल-1	619	4.300	25800	
14	सीधी	मड़ौली	भूमका	1229	23.000	345000	
15	सीधी	मड़ौली	निधिपुरी -1	176	5.000	45000	
16	सीधी	मड़ौली	निधिपुरी -2	176	1.450	13050	
17	सीधी	मड़ौली	डालापीपर	1351	2.000	12000	
18	सीधी	मड़ौली	टिकरी	2152	3.200	19200	
					142.700	1607337	

कुल चिन्हित खदानें	18
कुल अनुमानित क्षेत्रफल	142.700
रेत खनिज का अनुमानित भण्डार	1607337
निविदा हेतु निर्धारित खदानें	18
निविदा हेतु निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर	1600000
प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) रुपये में	400000000
ई0एम0डी0 (प्रारंभिक आधार मूल्य X 25 प्रतिशत) राशि रु0 में	100000000

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक/१७९ /खनिज/2024.

सीधी, दिनांक 28/6/2024

// आदेश //

सदस्य सचिव राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) म0प्र0 के आदेश क्रमांक 1136/SEIAA/2019 दिनांक 14.06.2019 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Sustainable sand mining management guideline 2020 जारी की गई है, जिसके अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर के द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2016 के अनुसार म0प्र0 में वर्षा ऋतु के लिये मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा उक्त निर्देशों एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भौपाल के पत्र क्रमांक 9174 दिनांक 08.06.2016 में दिये गये निर्देशानुसार, जिले में रेत उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि दिनांक 30.06.2024 की मध्य रात्रि के पश्चात से दिनांक 01.10.2024 तक समस्त रेत खदानों के लिये चिन्हित खाटों में खनन कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त खदान से रेत निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरुम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना सुनिश्चित करें।

तदनुसार जिले में स्वीकृत समस्त रेत खदानों के सर्व संचालक उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।

3/28/6/24
कलेक्टर

जिला-सीधी (म0प्र0)

सीधी, दिनांक / /2024

पुष्ठां0 क्रमांक/980 /खनिज/2024

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्तानुसार रेत पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि कराने का कष्ट करें।
4. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 भोपाल।
5. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला-सीधी (म.प्र.)।
7. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य सीधी जिला सीधी (म.प्र.)।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व) उपखण्डजिला-सीधी (म.प्र.)
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
11. पुलिस थाना/पुलिस चौकीजिला-सीधी (म.प्र.)
12. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर, जिला-सीधी।
13. डेकेंदार मे. नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लि0 पता-तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 247, शक्ति नगर, हबीबगंज, भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3/28/6/24
कलेक्टर

जिला-सीधी (म0प्र0)



महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2023

CB 588693

परिशिष्ट-३

निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑनलाइन करार / वचन / सहमति पत्र

पुष्पल मुद्रांक कार्यालय, मुंबई.
प.सु.दि.क्र. ८००००७

29 AUG 2023

मैं श्री स्टीफेन डी लोबो पुत्र श्री डी. एस. लोबो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहकार ग्लोबल लिमिटेड, ऑफिस नं-५०३, ५ वी मंजिल वास्तु प्रेस्टीज, न्यू लिंक रोड, ऊपर तनिष्क शोरूम, अंधेरी वेस्ट, मुंबई - ४०००५३ निवासी निवास, पेनकार पाडा, मीरा रोड जिल्हा ठाणे - ४०११०७ जिल्हा ठाणे, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिभागी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसा माना गया है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं, आज दिनांक 30... माह ... September... 2023 को सहमति देते हैं / वचनबंध हैं कि :-

- प्रतिभागी ने खदानों आदि के संबंध में ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र में अधिकथित की गई शर्तों को सीधी शाहडोल - २१.०८. २०२४ खदान की ई निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि प्रतिभागी उक्त शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।
- प्रतिभागी एत द्वारा सहमति व्यक्त करता है कि :-

(क) प्रतिभागी ने, ई -निविदा नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार समूह में शामिल सभी सभी खदानों की उपलब्ध एवं खनन योग्य मात्रा, निगम द्वारा प्राप्त की जा रही वैधानिक स्वीकृतियों की मात्रा, खदानवार वैधानिक स्वीकृतियों की प्राप्ति की स्थिति एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की शिकायत / आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जावेगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात् निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये खदान संचालन हेतु सहमत है।



30/9/2023


00080 जोड़पत्र-2/Annexure-1

- 5 SEP 2023

केवल प्रतिज्ञापत्रों के लिए / Only for Affidavit
सुदरांक विक्री नोट वही अनु. क्र.नांक/दिनांक
Sales Register Serial No/Date:

प्राप्त धोकाग्रहण नंबर व रहिवासी पता व सही
Stamp Purchaser's Name/Place of
Residence & Signature

श्री राजन जगजित शिंदे परवानाधारक सुदरांक विक्री
परवाना क्रमांक एल.एल.व्ही.-८०००००९
श्री-३, हेमू कलाहिक इमारत, अरुका विहार सेक्टर १५ बाणूला
एल.आय.सी. कार्यालयवाला भवने, एस.व्ही रोड,
मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०० ०६५.
या कारणरानी जयंती सुदरांक खरेदी केला त्यांची त्याच कारणरानी
प्राप्त खरेदी केवळ्यापत्र ६, मशिन्सत वापरणे बंधनकारक आहे
Tel.: 28807359 / Mob.: 9820141066



SAHAKAR GLOBAL LTD
Office No. 503, Vastu Prestige, off
New Link Road. Above Tanishq
Showroom, Sundervan Complex,
Shastri Nagar, Andheri West,
Mumbai, Maharashtra 400053



भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2023

CB 588696



प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई.
मुद्रांक क्र. 10000006
29 AUG 2023
सक्षम अधिकारी

(क) प्रतिभागी द्वारा विभिन्न विधियों, दिशा - निर्देशों, रेत खनन तथा परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार अदि पर लागू समस्त नियमों, विभिन्न न्यायालयों, प्राधिकरणों एवं शासन अदि के आदेश / परिपत्र अदि के संवेदन में अपना समाधान किया जा चुका है एवं वह, इन समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

(ख) ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने के पूर्व, प्रतिभागी खदान समूह की प्ररक्षित कीमत की २५% राशि अग्रिम में जमा करेगा, जो अमानत राशि (ई०एम०डी०) कहलाएगी।

(घ) ई-निविदा सह नीलामी प्रकिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके खान संचालन किया जाएगा तथा विहित कालावधि में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) निगम, ई-निविदा सह नीलामी प्रकिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्र है। निगम द्वारा ई- निविदा सह नीलामी प्रकिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

३. मैंने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, २०१९ का पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका पालन सावधानी पूर्वक करूंगा।

४. अनुबंध के निष्पादन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस का मेरे द्वारा किया जाएगा।



30/9/2024

00093

5 SEP 2023

जोडपत्र-१ / Annexure-I

केवल प्रतिभापत्र के लिए Only for Affidavit

सुदंरक विनि नोंद नं. अं. क्रमांक/दिनांक
Sales Register Serial No/Date

अल्पकालिक खरीदकर्ता का नाम व निवासी पता व हस्ताक्षर
Temporary Purchaser's Name/Place of
Residence & Signature

श्री राजेश गणेश शिंदे परवानाधारक सुदंरक विक्रेता

परवाना क्रमांक एल.एस.सी.-८०००००९

जी-३, हेमू कार्यालय इमारत, अंधार विहार इंदिराबाबा बागुला

एल.एस.सी. कार्यालयवाला, एल.सी.रोड,

सावळ (पश्चिम), मुंबई-४०० ०६४.

या कारणासाठी ज्यांनी सुदंरक खरेदी केला त्यांमध्ये त्यांचा परवानासाठी

सुदंरक खरेदी केलेल्यासुद्धा ६ महिन्यात कारणाचे बंधनकारक आहे

Tel.: 28207358 / Mob.: 9820141066



SAHAKAR GLOBAL LTD
Office No. 503, Vastu Prestige, off
New Link Road, Above Tanishq
Showroom, Sundervan Complex,
Shastri Nagar, Andheri West,
Mumbai, Maharashtra 400053



५. मैं वचन देता / देती हूँ कि :-


(क) मेरी फर्म / पार्टनरशिप फर्म / एलएलपी / कंपनी / सोसयटी / सहकार ग्लोबल लिमिटेड. दिवालिया नहीं है तथा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंद में निर्विवाद रूप में स्थापित कोई शोध्य बकाया नहीं है, यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो वह मेरी अमानत राशि (ई०एम०डी०) से समायोजन योग्य होंगे।

(ख) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्ण अथवा पश्चात् में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे /हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा /हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे /हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा /हमारा स्वीकृति पत्र /अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी /हमारी अमानत राशि (ई०एम०डी०)/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको /हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख : 30...माह सितम्बर सन २०२४

स्थान : मुंबई





श्री स्टीफेन डी लोबो

निवास, पेनकार पाडा, मीरा रोड,

जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र


पिन कोड -४०११०७

टेलीफोन नंबर -9850849807

ई-मेल:- toll@sahakarglobal



BEFORE ME


UDAIPRAKASH (M.A.LL.B.)
ADVOCATE & NOTARY GOVT OF INDIA

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29-ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स - 0755-2551795
E-mail - dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक - /खनिज/न.क्र. /2022 भोपाल दिनांक -

प्रति

कलेक्टर,
खनिज शाखा
जिला - समस्त (म.प्र.)।

विषय :- प्रदेश में रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल-वायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग का आदेश क्रमांक 711/1150385/2023/एमआरडी-12 भोपाल, दिनांक 17/07/2023.

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)।

आदेश में लेख अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित रेत खदानों के समूहवार टेकों की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत एवं असंचालित समूहों की रेत खदानों हेतु शीघ्र निविदाएँ आमंत्रित किये जाने हेतु रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु शासन द्वारा पूर्ण यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल-वायु सम्मति आदि प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान तैयार किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेख तथा पर्यावरण स्वीकृति एवं जल-वायु की सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेख जिला स्तर पर संधारित रहते हैं। उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से म.प्र. राज्य खनिज निगम को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु चेकलिस्ट के प्रपत्र-अ अनुसार खनन योजना के लिए एवं प्रपत्र-ब अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं सीटीओ प्राप्त किये जाने हेतु समस्त आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये जाने हेतु, संलग्न है।

आगामी समयावधि के लिए जिला रेत समूहों के ई-निविदा से निवर्तन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 24/02/2023 को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। जिसका एजेंडा बिंदु संलग्न किया जा रहा है। संलग्न एजेंडा बिंदु अनुसार जिले से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ संबंधित अधिकारी, पृथक से उपलब्ध कराये गये लिंक पर जिला स्तरीय अमले के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

अतः संलग्न प्रपत्र अनुसार जिले में स्वीकृत/चिन्हित एवं घोषित खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी चेकलिस्ट अनुसार वांछित अभिलेखों सहित 03 दिवस में

विशेष वाहक के माध्यम से म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, पर्यावास भवन, भोपाल के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न - एजेंडा बिंदु एवं प्रपत्र-अ तथा ब

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ. क्रमांक 2189-93 / खनिज/न.क्र. 12022 भोपाल, दिनांक - 22/2/23
प्रतिलिपि -

1. कार्यपालक संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल।
2. अवर सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 711/1150385/ 2023/एमआरडी-12 भोपाल, दिनांक 17/07/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा/ ग्वालियर/ जबलपुर एवं इंदौर।
4. प्रभारी अधिकारी/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, जिला समस्त।
की ओर भेजकर लेख है कि नियत दिनांक एवं समय पर आयोजित की जा रही वीडियो कांफ्रेंस में आवश्यक जानकारी सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी अधिकारी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि 24/02/2023 हेतु वीडियो कांफ्रेंस हेतु सर्व संबंधितों को लिंक उपलब्ध कराने एवं सूचित करया जाना सुनिश्चित करे।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

प्रपत्र-अ

खनन योजना तैयार किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेखों का विवरण

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना तैयार करने के संबंध में अध्याय-7, नियम - 42 के तहत प्रावधान वर्णित हैं। रेत खदानों की खनन योजना का विवरण मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 12(1) के तहत वर्णित है। खनन योजना तैयार किये जाने के संबंध में निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं -

1. रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किये जाने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से जारी आदेश की प्रति।
2. रेत खदान का स्वीकृति आदेश/आशय पत्र/अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति।
3. खसरा पाँचसाला की सत्यापित छायाप्रति (जिस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अद्यतन स्थिति में)।
4. खदान क्षेत्र का स्पष्ट खसरा नक्शा (1:4000 पैमाने का) एवं निष्पादित अनुबंध के नक्शे की छायाप्रति।
5. Key plan on coloured Topo Sheet showing location of mine. (Scale 1:5000)
6. सिया द्वारा जिले की अनुमोदित डीएसआर एवं Location Plan of mine on District Resources Map.
7. ऐसा नक्शा जिसमें खदान के समस्त कोनों के Coordinate एवं Contour Level की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो। G.P.S. से प्राप्त Coordinate का उल्लेख किया जाए।
- 8.1 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Sustainable Sand Management Guideline 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guideline for Sand Mining 2020 के तहत खदानों में Replenishment Study अनुसार रेत खनिज के आंकलन के लिये खदान में 02 बार (मानसून समाप्ति के तत्काल बाद माह अक्टूबर एवं नवम्बर में एवं मानसून आरंभ होने के पूर्व माह मई एवं जून में) और आवश्यकता अनुसार बीच में एक बार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रेत खदानों में उपलब्ध मात्रा का प्राक्कलन।
- 8.2 संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक 17872 दिनांक 20/09/2017 अनुसार खदानों में उपलब्ध रेत खनिज की वास्तविक मात्रा के आंकलन के संबंध में परीक्षण अनुसार रेत खदान में उपलब्ध मात्रा।
9. भारत सरकार द्वारा जारी Enforcement and Monitoring Guideline 2020 के पैरा क्रमांक 4.3(h) के अनुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़े जाने पर संबंधित खदान का प्रभावित रकबा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक / 181 / खनिज / 2023
प्रति,

सीधी, दिनांक 07/03/2023

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म,
'खनिज भवन', 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

- विषय :- प्रदेश में रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल वायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।
- संदर्भ :- आपका पत्र पृ0 क्रमांक 2189-93 दिनांक 22.02.2023।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीधी जिले में निविदाकार मेसर्स सैनिक इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 अधिकृत व्यक्ति - श्री लितेश झों, 201-202 विकास प्लाजा बिल्डिंग नं. 2, लोकल शापिंग सेंटर, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 के पक्ष में जिले की कुल 24 रेत खदानें स्वीकृत रही हैं, जिसमें से 20 खदानें संचालित हैं, जिनकी अवधि दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा जिले में स्वीकृत एवं घोषित खदानों की जानकारी चाही गई थी, जिसके अनुपालन में खनि निरीक्षक एवं सहायक मानचित्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर एवं जिले में संधारित अभिलेखों के आधार पर जानकारी तैयार की गई। विवरण निम्नानुसार है :-


क्र.	खदान का नाम	तहसील	ख.क्र.	रकबा हे0 में	रिमार्क
1	गोतरा-1	कुसमी	1936	12.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वांछित अभिलेख संलग्न है। सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकार द्वारा Sustainable Sand Management Guideline 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for sand mining 2020 के बिन्दु 4.3(एच) के अनुसार ब्रिज से 01 कि.मी. की प्रतिबंधात्मक दूरी छोड़ने पर खदान हेतु उपलब्ध क्षेत्र 4.400 हे0 (लम्बाई 286 मी., चौड़ाई 154 मी. कुल 44,044 वर्ग मीटर) क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः रेत खदान गोतरा 12.000 हे0 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध क्षेत्र 4.400 हे0 क्षेत्र की नीलामी कराया जाना प्रस्तावित है।
2	गोतरा-2	कुसमी	571	3.700	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वांछित अभिलेख संलग्न है।

3	गोतरा-3	कुसमी	1, 571	35.440	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
4	पौड़ी	कुसमी	46	4.900	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
5	गुडुआधार-1	कुसमी	1	7.180	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
6	गुडुआधार-2	कुसमी	173	12.100	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
7	कुसमी	कुसमी	1	10.000	पूर्व से घोषित खदान है किन्तु उक्त क्षेत्र संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित होने के कारण संचालित नहीं रही है। अतः उक्त खदान कुसमी रकबा 10.000 हे० संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित होने के कारण नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
8	नागपोखर	कुसमी	801	3.200	पूर्व से घोषित खदान है किन्तु उक्त क्षेत्र संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित होने के कारण संचालित नहीं रही है। अतः उक्त खदान नागपोखर रकबा 3.200 हे० संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित होने के कारण नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
9	भुमका	मझौली	1229	23.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
10	निधिपुरी-1	मझौली	176	5.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
11	निधिपुरी-2	मझौली	176	1.450	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।

20	भरुही-2	बहरी	199	1.200	पूर्व से घोषित खदान है किन्तु उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण संचालित नहीं रही है। अतः उक्त खदान भरुही-2 रकबा 1.200 हे० वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
21	पोंड़ी-1	बहरी	1667	8.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
22	पोंड़ी-2	बहरी	1667	7.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
23	पोंड़ी-3	बहरी	1667	7.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
24	पड़री	गोपद बनास	95	4.980	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।


अतः जानकारी तैयार की जाकर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला सीधी (म०प्र०)
सीधी, दिनांक ०७/०३/२०२३

पृ.क्रमांक / 182 / खनिज / 2023
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी, म०प्र० राज्य खनिज निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला सीधी (म०प्र०)

12	टिकरी-1	मझौली	2152	2.000	पूर्व से घोषित खदान है किन्तु उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण संचालित नहीं रही है। अतः उक्त खदान टिकरी-1 रकबा 2.000 हे० वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
13	टिकरी-2	मझौली	2152	3.200	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
14	डालापपीपर	मझौली	1351	2.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
15	बजरंगगढ़	रामपुर नैकिन	1215, 404	4.680	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है। खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान क्षेत्र में स्टाप डैम बनने के कारण साल भर पानी भरा रहता है, जिससे रेत का खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त खदान बजरंगगढ़ रकबा 4.680 हे० क्षेत्र में स्टाप डैम बनने के कारण साल भर पानी भरा रहने के कारण नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
16	बारपान	बहरी	199	18.060	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है। सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकार द्वारा Sustainable Sand Management Guideline 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for sand mining 2020 के बिन्दु 4.3(एच) के अनुसार ब्रिज से 01 कि.मी. की प्रतिबंधात्मक दूरी छोड़ने पर खदान हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः रेत खदान बारपान 18.060 हे० को नियमानुसार क्षेत्र उपलब्ध न होने से नीलामी से पृथक किया जाना प्रस्तावित है।
17	डोल-1	बहरी	619	4.300	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
18	डोल-2	बहरी	21	4.250	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।
19	भरुही-1	बहरी	199	4.800	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वाछित अभिलेख संलग्न है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक / 181 / खनिज / 2023
प्रति,

सीधी, दिनांक 07/03/2023

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म,
'खनिज भवन', 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल


विषय :- प्रदेश में रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल वायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र पृ0 क्रमांक 2189-93 दिनांक 22.02.2023।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीधी जिले में निविदाकार मेसर्स सैनिक इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 अधिकृत व्यक्ति - श्री लितेश झाँ, 201-202 विकास प्लाजा बिल्डिंग नं. 2, लोकल शापिंग सेंटर, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 के पक्ष में जिले की कुल 24 रेत खदानें स्वीकृत रही हैं, जिसमें से 20 खदानें संचालित हैं, जिनकी अवधि दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा जिले में स्वीकृत एवं घोषित खदानों की जानकारी चांही गई थी, जिसके अनुपालन में खनि निरीक्षक एवं सहायक मानचित्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर एवं जिले में संधारित अभिलेखों के आधार पर जानकारी तैयार की गई। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	खदान का नाम	तहसील	ख.क्र.	रकबा हे0 में	रिमांक
1	गोतरा-1	कुसमी	1936	12.000	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वांछित अभिलेख संलग्न है। सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकार द्वारा Sustainable Sand Management Guideline 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for sand mining 2020 के बिन्दु 4.3(एच) के अनुसार ब्रिज से 01 कि.मी. की प्रतिबंधात्मक दूरी छोड़ने पर खदान हेतु उपलब्ध क्षेत्र 4.400 हे0 (लम्बाई 286 मी., चौड़ाई 154 मी. कुल 44,044 वर्ग मीटर) क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः रेत खदान गोतरा 12.000 हे0 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध क्षेत्र 4.400 हे0 क्षेत्र की नीलामी कराया जाना प्रस्तावित है।
2	गोतरा-2	कुसमी	571	3.700	पूर्व से घोषित एवं संचालित खदान है एवं खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने के संबंध में वांछित अभिलेख संलग्न है।



जिला - सीधी

प्रदेश में रेत खदानों के संचालन के पूर्व जिलों से प्राप्त संलग्न प्रपत्र अनुसार जिले में स्वीकृत/चिह्नित एवं घोषित खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी की चेक लिस्ट

क्र०	चेक लिस्ट के बिन्दु	संलग्न	संलग्न नहीं
1	ई निविदा के माध्यम से निवर्तन किए जाने के संबंध में प्रपत्र अनुसार उपलब्ध जानकारी का 11 बिन्दु का विवरण		✓
2	रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किये जाने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से जारी आदेश की प्रति। <i>दोषित किये जाने के बिन्दु के पत्र अनुसार</i> (03)	✓	
3	रेत खनन का स्वीकृति आदेश/आशय पत्र/अनुबंध निष्पादन की छायाप्रति।	✓	
4	खसरा पंचसाला की सत्यापित छायाप्रति (जिस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी एवं अद्यतन स्थिति में)।	✓	
5	खदान क्षेत्र का स्पष्ट खसरा नक्शा (1:4000 पैमाने का) एवं निष्पादित अनुबंध के नक्शे की छायाप्रति।	✓	
6	Key plan on coloured Topo Sheet showing location of mine (Scale 1:5000)	✗	✓
7	सिया द्वारा जिले की अनुमोदित डीएसआर एवं location Plan of mine of District Resources Map..	✗	✓
8	ऐसा नक्शा जिसमें खदान के समस्त कोनों के Coordinate एवं Contour Level की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो। GPS से प्राप्त Coordinate का उल्लेख किया जाए।	✓	
9.1	भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Sustainable Sand Management Guideline 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guideline for Sand Mining 2020 के तहत खदानों में Replenishment Study अनुसार रेत खनिज के आंकलन के लिये खदान में 02 बार (मानसून समाप्ति के तत्काल बाद माह अक्टूबर एवं नवम्बर में एक मानसून आरंभ होने के पूर्व माह मई एवं जून में) और आवश्यकता अनुसार बीच में एक बार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रेत खदानों में उपलब्ध मात्रा का प्राक्कलन। <i>Pending नहीं है</i>	✓	
9.2	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्र० 17872 दिनांक 20-9-2017 अनुसार खदानों में उपलब्ध रेत खनिज की वास्तविक मात्रा के आंकलन के संबंध में परीक्षण अनुसार रेत खदान में उपलब्ध मात्रा।	✓	
10	भारत सरकार द्वारा जारी Enforcement and Monitoring Guideline 2020 के पैरा क्रमांक 4.3(h) के अनुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़े जाने पर संबंधित खदान का प्रभावित रकबा।	✓	
11	एकल प्रमाण पत्र	✓	

इसका प्रमाण पत्र में उल्लेखित तिथि 31/3/2023
 1102
 जिला-सीधी
 जिला-सीधी
 जिला-सीधी





दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

कायदेश

दिनांक:- 31.03.2023

क्रमांक:रेत/RQP_25/2023/ 702

प्रति,

श्री अशोक कुमार ठाकुर,
सी-7, वृंदावन कालोनी,
नियर टी0जी0एस0 होटेल,
भोपाल (म0प्र0) पिन- 462023

विषय:- रेत खदानों के माइनिंग प्लान बाबत अल्पकालिक निविदा (Selection of RQP for Preparation of mining plan of sand mines of Group_RQP_25 REWA, SIDHI)

संदर्भ:- आशय पत्र दिनांक 21.03.2023

निगम द्वारा संदर्भित आशय पत्र के तहत समूह क्रमांक RQP_25 की रेत खदानों के माइनिंग प्लान बनाये जाने हेतु सुरक्षा राशि ₹0 1,07,300/- दिनांक 28.03.2023 तक जमा किये जाने हेतु लेख किया गया था।

2. आपके द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा ई0एम0डी0 राशि ₹0 25,000/- के समायोजन उपरांत, सुरक्षा राशि ₹0 82,300/- देय होती है। निगम को यह राशि RTGS के माध्यम से दिनांक 24.03.2023 को प्राप्त हो गई है।

3. एतद द्वारा संलग्न सूची में उल्लेखित खदानों का माइनिंग प्लान विहित समयावधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

4. निविदा की निम्न शर्त आकृष्ट है:-

छ(iv) समय -सीमा-

सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से कम रकबे की खदानों खनन योजनाएँ, कार्यदेश जारी किये जाने की तिथि से निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

क. 50 प्रतिशत खदानों की खनन योजना अधिकतम 15 दिन में एवं

ख. शेष खदानों की खनन योजना 30 दिवस में

सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से अधिक रकबा की खदानों की खनन योजना, कार्यदेश जारी किये जाने के अधिकतम 45 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

सफल निविदाकार द्वारा किसी खदान विशेष की विहित समयावधि में कार्य निष्पादन में विलंब, उसके नियंत्रण के परे के कारणों से होने की स्थिति में, लिखित सूचना निगम को पूर्व में दी जावेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक द्वारा गुण दोष के आधार पर उसके कार्य निष्पादन की समयावधि में तृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनन योजना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी चाहे जाने पर संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

छ(vii) फीस का भुगतान - 50 प्रतिशत माईनिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की पावति एवं देयक निगम में प्रस्तुत करने पर। 45 प्रतिशत का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा माईनिंग प्लान की स्वीकृति उपरांत एवं शेष 5 प्रतिशत का भुगतान खदान की जल-वायु सगति प्राप्त होने पर। टी0टी0एरा0 आदि की कटौती निगमानुसार की जावेगी।

स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी वैधानिक अथवा तकनीकी कारणों से खदान की आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त नहीं हो पाती है तो उक्त के कारणों का परीक्षण किया जावेगा। माईनिंग प्लान में त्रुटि होने की स्थिति में सफल निविदाकार को उक्त त्रुटि सुधार कर सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जिसके विरुद्ध उसे पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। यदि आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण माईनिंग प्लान की त्रुटि नहीं है तो शेष भुगतान किया जा सकेगा। इसका अंतिम निर्णय निगम के प्रबंध संचालक का होगा।

कृपया निहित समयावधि में कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(अतुल शर्मा)


मुख्य महाप्रबंधक(वित्त/लेखा)

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क- स्कोप ऑफ वर्क-

- 1- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1099/डीजीएम/खनन योजना/न0क्र0 2015 दिनांक 11-09-2015 एवं समय समय पर जारी खनन योजना तैयार किये जाने हेतु मार्गदर्शिका बिन्दु एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 द्वारा जारी आदेश क्रमांक 17872/रेत/भौमिकी/न0क्र0/2017-18 दिनांक 20-09-2017 के अनुसार खदान क्षेत्र में रेत खनिज की मात्रा का आंकलन किया जाना।
- 2- खदान क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का मिलान कर उसे राजस्व खसरे-नक्शे में अंकित किया जाना।
- 3- खनन योजना तैयार करने में खदान क्षेत्र से सुनियोजित खनन हेतु प्रक्रिया निर्धारित किया जाना, जिससे खदान में अनियमित खनन न हो सके।
- 4- म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार खनन योजना एवं रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्लान तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना।
- 5- खनन योजना, 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार की जानी होगी। जिसकी वैधता वर्तमान में संचालित जिलों के लिये, ठेका समाप्ति के उपरांत आरंभ होगी।
- 6- आवश्यकता होने पर, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त किये जाने हेतु माईनिंग प्लान के संबंध में त्वरित स्पष्टीकरण एवं सहयोग ।

ख- ईएमडी राशि - ₹0 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) प्रति समूह, <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन जमा की जावेगी।



④

ग- माईनिंग प्लान के अनुमोदन उपरांत ही समस्त आगामी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं एवं राजस्व हित में समस्त खदानों की वांछित वैधानिक स्वीकृतियां अतिशीघ्र प्राप्त किये जाना नितांत आवश्यक हैं। चूंकि आर क्यू पी की कार्य क्षमता सीमित होती हैं। अतः एल-1 होने की दशा में एक आर क्यू पी को अधिकतम चार समूह के लिये ही कार्य आवंटित किया जा सकता हैं। निविदाएं, वर्तमान में उपलब्ध सूची अनुसार तैयार प्रपत्र 2 में दी गई समूहवार खदानों की संख्या के घटते क्रम में खोली जावेंगी। एवं यदि कोई निविदाकार चार समूहों में न्यूनतम निविदाकार पाया जाता है तो आगामी समूहों के लिए प्रस्तुत की गयी निविदा का वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा। उक्त के संबंध में निविदाकार को प्रपत्र-1 की कंडिका 'क' अनुसार स्वहस्ताक्षरित सहमति प्रस्तुत करना होगा।

घ- तकनीकी अर्हता -


- i - संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 में रजिस्टर्ड क्वालिफाईड पर्सन (आर0क्यू0पी0)का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- ii- न्यूनतम 10 (दस) माईनिंग प्लान (मुख्य/गौण खनिज) तैयार कर सक्षम संस्था से अनुमोदित कराने का अनुभव । (इस बावत प्रपत्र-1 की कंडिका 'ख' में घोषणा प्रस्तुत करें)

ड.- वित्तीय प्रस्ताव - निविदाकार द्वारा माईनिंग प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रति खदान एकजाई शुल्क का प्रस्ताव (जीएसटी एवं अन्य वैधानिक शुल्क रहित) दिया जाना होगा। जीएसटी एवं अन्य वैधानिक शुल्क निगम द्वारा पृथक से देय होंगे।

च- निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज

- i संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 में रजिस्टर्ड क्वालिफाईड पर्सन (आर0क्यू0पी0)का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- ii- संलग्न प्रारूप में स्वहस्ताक्षरित प्रपत्र-1
- iii- वित्तीय प्रस्ताव पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा।

स्पष्ट हो कि निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी एवं कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से प्रस्तुत न किया जावे।



(3)

छ- निविदा की अन्य शर्तें -

i- निगम द्वारा सफल निविदाकार को उसकी प्रपत्र-1 में दर्शित ई-मेल आईडी पर आशय-पत्र जारी किया जावेगा। एवं उसे 03 दिवस के अंदर सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। सुरक्षा राशि में पूर्व में जमा ईएमडी समायोजन योग्य होगी। असफल निविदाकार को ईएमडी ऑनलाईन वापस लौटा दी जावेगी।

ii- सुरक्षा राशि = 10% (Approved rate per mine X number of mines included in the group as indicated in tender) होगी। सुरक्षा राशि बैंक गारंटी के रूप में भी दी जा सकती है। बैंक गारंटी म0प्र0 राज्य खनिज निगम लि0, भोपाल के पक्ष में एक वर्ष की वैधता हेतु होगी। सुरक्षा राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा एवं सफलतापूर्व कार्य संपादित किये जाने पर वापसी योग्य होगी। यदि सफलनिविदाकार निविदा अथवा कार्यादेश की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी।

iii- सुरक्षा राशि जमा करने एवं स्वहस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र तथा निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी किया जावेगा।

iv- समय-सीमा- सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से कम रकबों की खदानों खनन योजनाएँ, कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी होगी:-

क. 50 प्रतिशत खदानों की खनन योजना अधिकतम 15 दिन में एवं

ख. शेष खदानों की खनन योजना 30 दिवस में।

सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से अधिक रकवा की खदानों की खनन योजना, कार्यादेश जारी किये जाने के अधिकतम 45 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

सफल निविदाकार द्वारा किसी खदान विशेष की विहित समयावधि में कार्य निष्पादन में विलंब, उसके नियंत्रण के परे के कारणों से होने की स्थिति में, लिखित सूचना निगम को पूर्व में दी जावेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक द्वारा गुण दोष के आधार पर उसके कार्य निष्पादन की समयावधि में वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।



4

राक्षम प्राधिकारी द्वारा खदान योजना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दरतावेज/जानकारी चाहे आगे पर राक्षमताका स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दरतावेज/जानकारी 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

v- प्रपत्र 2 में उल्लेखित खदानों की सूची, जिगमा माईनिंग प्लान तैयार कर अनुमोदित कराया जाना है। यह सांकेतिक है। इसमें (1/-) 25 % का परिवर्तन किया जा सकेगा।

vi- निविदा में प्रस्तुत दरों की वैधता निविदा दिनांक से 01 वर्ष हेतु होगी।


vii- फीरा का भुगतान - 50 प्रतिशत माईनिंग प्लान राक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की पावती एवं देखक निगम में प्रस्तुत करने पर। 45% का भुगतान राक्षम प्राधिकारी द्वारा माईनिंग प्लान की स्वीकृति उपरांत एवं शेष 5 % का भुगतान खदान की जलवायु सम्मति प्राप्त होने पर। टीडीएस आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी वैधानिक अथवा तकनीकी कारणों से खदान की आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो उक्त के कारणों का परीक्षण किया जायेगा। माईनिंग प्लान में त्रुटि होने की स्थिति में सफल निविदाकार को उक्त त्रुटि सुधार कर राक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जिसके विरुद्ध उसे पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। यदि आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त न होने का कारण माईनिंग प्लान की त्रुटि नहीं है, तो शेष भुगतान किया जा सकेगा। इसका अंतिम निर्णय निगम के प्रबंध संचालक का होगा।

viii- यदि सफल निविदाकार द्वारा विहित समय में सुरक्षा राशि जमा नहीं की जाती/कार्यादेश निरस्त किया जाता है, तो द्वितीय उच्चतम निविदाकार को प्रथम निविदाकार की दरों पर कार्य संपादित किये जाने हेतु आफर दिया जायेगा एवं उसे 03 दिवस के भीतर अपनी सहमति प्रदान करते हुये सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यही प्रक्रिया तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि निविदाकारों के लिये भी अपनाई जायेगी।


ix- पैनाल्टी - कंडिका छ.(iv) में निर्धारित समय सीमा में विनिर्दिष्ट कार्य का संतोषप्रद संपादन न किये जाने की स्थिति में 7 एवं 15 दिन के चिलंब पर प्रति माईनिंग प्लान देय राशि की क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत राशि की पैनाल्टी अधिरोपित की जायेगी।

x- निविदा कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यपालिका आदेश जारी करने एवं निविदा शर्तों की व्याख्या का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक में निहित होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।



(5)

xi- विवादों का निपटारा- निविदा कार्य के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में निहित होगी। सभी वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।



6

सहमति / घोषणा पत्र

मैं/हम, -----, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म०प्र० में रजिस्टर्ड क्वालिफाइड पर्सन (आर०क्यू०पी०)का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र धारक हूँ/हैं एवं मेरा/हमारा पंजीयन क्रमांक- -----हैं जो दिनांक-----की अवधि तक वैध हैं।

क. मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदायों में, जो कि समूहवार खदानों की संख्या के घटते क्रम में खोली जावेंगी, में किन्ही चार समूह में मेरी निविदा न्यूनतम होने की दशा में आगामी निविदायों के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जाने की सहमति प्रदान करता हूँ।

ख. मुझे/हमें न्यूनतम 10 माईनिंग प्लान (मुख्य/गौण खनिज) तैयार कर सक्षम संस्था से अनुमोदित कराने का अनुभव हैं। उक्त घोषणा असत्य पाये जाने की स्थिति में निगम, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण निविदा निरस्त कर ई०एम०डी०/सुरक्षा राशि राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक -

स्थान

सील

(हस्ताक्षर)


नाम:-----

पता:-----

आर०क्यू०पी० पंजीयन क्रमांक:-----

ई-मेल आई डी:-----

मोबाईल नंबर:-----



(7)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक/376/खनिज/2023
प्रति,

सीधी, दिनांक 23 /05/2023

श्री रामलखन सोनी,
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य),
दि म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन,
जिला कार्यालय सिंगरौली (म0प्र0)

- विषय - सीधी जिले में स्वीकृत रेत खदानों के खनन योजना का अनुमोदन बाबत।
संदर्भ - 1 म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 711/1150385/2023/MRD-12 दिनांक 17.02.2023।
2 दि म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन भोपाल का पत्र क्रमांक/स्था0/2023/ न.क्र. 251/16 भोपाल दिनांक 17.04.2023।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि जिले में संचालित रेत खदानों के ठेकों की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत एवं संचालित समूहों की रेत खदानों हेतु शीघ्र निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल वायु सम्मति प्राप्त करने हेतु म0प्र0 शासन द्वारा म0प्र0 राज्य खनिज निगम को अधिकृत किया गया है। दि म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन भोपाल के कार्यादेश क्रमांक 702 दिनांक 31.03.2023 से माइनिंग प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत आर.क्यू.पी. श्री अशोक कुमार ठाकुर द्वारा सीधी जिले की घोषित निम्नानुसार रेत खदानों की खनन योजना अवधि जुलाई 2023 से जून 2028 (05 वर्ष) तक म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय छ: (1) (ग) के तहत अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया है :-

क.	खदान का नाम	तहसील	ख0क्र0	रकबा हे0	खनन हेतु वार्षिक अनुमोदित मात्रा (घ.मी. में)
1	भरुही	बहरी	396	4.800	72000
2	गोतरा-1	कुसमी	1936	4.400	39640
3	टिकरी	मझौली	2152	3.200	19200
4	गोतरा-2	कुसमी	571	3.700	33300
5	डोल-1	बहरी	619	4.300	25800
6	निधिपुरी-1	मझौली	176	5.000	45000
7	निधिपुरी-2	मझौली	176	1.450	13050
8	डोल-2	बहरी	21	4.250	25500
9	डालापीपर	मझौली	1351	2.000	12000
10	पोंडी	कुसमी	46	4.900	29387
11	गुडुआधार-1	कुसमी	01	7.180	86160
12	गुडुआधार-2	कुसमी	173	12.100	145200
13	गोतरा-3	कुसमी	1, 571	35.440	425280
14	भुमका	मझौली	1229	23.000	345000
15	पोंडी-1	बहरी	1667	8.000	120000
16	पोंडी-2	बहरी	1667	7.000	63000
17	पोंडी-3	बहरी	1667	7.000	63000
18	पड़री	गोपद बनास	2142 (95)	4.980	44820
योग					1607337

प्रस्तुत खनन योजना म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, मण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय छः के नियम 12 (1) (ग) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एवं Sustainable Sand Mining Management guideline 2016 & Enforcement Monitoring for Sand Mining 2020 के तहत 01.07.2023 से 30.06.2028 तक (05 वर्ष) की अवधि हेतु अनुमोदित की जाती है।

संलग्न :- अनुमोदित खनन योजना।

Sant Manjit
(साकेत मालवीय)

कलेक्टर

जिला-सीधी (म0प्र0)

सीधी, दिनांक 23 /05/2023

पृष्ठां क्रमांक / 377 / खनिज / 2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक भौमिकी तथा खनकर्म, म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ।
2. कार्यपालक संचालक, दि म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. खनि निरीक्षक, जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।
5. आर.क्यू.पी. श्री अशोक कुमार ठाकुर, कटनी (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
6. श्री कृष्णाचंद पांडा, Oceao Enviro Management Solution India Pvt. Ltd. पता प्लॉट नं. 218 सेक्टर 11, वसुंधरा गाजियाबाद (उ0प्र0) की ओर सूचनार्थ।

Sant Manjit
कलेक्टर

जिला-सीधी (म0प्र0)

जाए विपु (सूचक)
23/5/2023
रीवा

MINING PLAN OF BHUMKA SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376/23/05/2
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ

म.प्र.रेन (खनन) विभाग, विधान सभा (म.प्र.)
नियम 2013 का विभाग सं. (1)
(खनन) विभाग, भोपाल

MINERAL - SAND.

कलेक्टर नूरोदय द्वारा अनुमोदित
विभाग सं. 376/23/05/2

AREA: 23.000 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

KH NO. 1229.

Dmy
उप संचालक
(खनन) विभाग
विभाग सं. 376/23/05/2

IN VILLAGE- BHUMKA,
TEHSIL.-MAJHAULI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN ,BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28
PREPARED BY

ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या: 376, 23/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

OF

GUDUADHAR - 1 SAND DEPOSIT

म.प्र. रैत (खान, परिवहन, संसाधन और खनन)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित
दिनांक: 23/05/23

AREA: 7.180 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

KHASRA NO. -1.
IN VILLAGE- GURUADHAR,
TEHSIL.-KUSMI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

Dmk
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
बिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

APPROVED
23/05/23

PLAN PERIOD- 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF GUDUADHAR - 2 SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 28/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और बिक्री)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(अ) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

AREA: 12.100 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

जिला-सीवी (म.प्र.)
Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीवी (म.प्र.)

KHASRA NO. -173 (P).
IN VILLAGE- GURUADHAR,
TEHSIL.-KUSMI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

APPROVED
अनुमोदित

PLAN PERIOD- 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF DOL SAND DEPOSIT

प्रस्ताव (खान, परिवहन, अंतरांग और व्यापार)
नियम 2010 के विभाग 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

इस माहौलिया प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/05/23
से उपरोक्त पत्रों के तहत हुआ है।

AREA: 4.250. HECTARES)
(NON FOREST AREA)

KHASRA NO -21

IN VILLAGE- DOL

TEHSIL.-BAHRI,

DISTRICT- SIDHI

STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित
प्रमाण-सीमा न.प्र.

APPLICANT

M.P. STATE MINING CORPORATION.

PARYAWAS BHAWAN ,

BHOPAL,

MADHYA PRADESH,

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन
जिला-सीधी (म.प्र.)

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY

ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,

KATNI - JABALPUR ROAD

P.O.: JHANJHRI

KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN

म.प्र.रेत (खनन, परिचालन, अंशदान और ब्याज) नियम 2019 के नियम 12 (1)

(ग) के तहत कानूनी है।

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन पत्र संख्या 376, 28/05/23 में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

OF PONDI SAND DEPOSIT

MINERAL-SAND.

कलेक्टर - केतन कुमार, अनुमोदित।
2 जिला सीधी, म.प्र.

AREA: 4.900HECTARES)
(NON FOREST AREA)

Dmy.
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

IN VILLAGE- PONDI,
TEHSIL.-KUSMI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
- JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

KATNI

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

म.प्र.रेत (खनन, परिवहन, भंडारण आदि)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(म) के तहत अनुमोदित

MINING PLAN

हस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

OF DALAPIPER SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

कलेक्टर द्वारा अनुमोदित

AREA: 2.000 HECTARES)
KHASRA NO : 1351 (P)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- DALAPIPER,
TEHSIL.-MAJHAULI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

Dmy.
उप संचालक
(कनिष्ठ प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN

OF

PONDI -2 SAND DEPOSIT

इस मसुदा का अंतिम संस्करण
पत्र संख्या: 376, 23/65/23
से अस्तित्व प्राप्त है

म.प्र.एस (खनन) -
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

एच और
MINERAL -SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित
जिला-सीधी

AREA: 7.000HECTARES)
(NON FOREST AREA)
KH. NO.1667.
IN VILLAGE- PONDI,
TEHSIL.-BAHRI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

Dmk.
उप संचालक (खनन)
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN ,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF TIKRI SAND DEPOSIT

MINERAL -SAND.

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 896, 23/05/23

अनुमोदन (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार)
विधम 2019 के नियम 12 (1)
(अ) के तहत अनुमोदित

AREA: 3.200HECTARES)
(NON FOREST AREA)

में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है

IN VILLAGE- TIKRI,
TEHSIL.-MAJHAULI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

कलेक्टर
जिला-सीधी (म.प्र.)

Dmyk
उप-संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN ,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF NIDHIPURI SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

म.प्र.रेत (खनन, परिवहन, वितरण और व्यापार)
नियम 2019 के विध्वज 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

AREA: 1.450 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या. 276, 23/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

IN VILLAGE- NIDHIPUR
TEHSIL.-MAJHAULI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF GOTRA -1 SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या: 376, 28/05/23
में उल्लेखित सार के अन्तर्गत हुआ है

म.प्र. रेल (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार)
विनियम 2019 के नियम 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

AREA: 4.400 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- GOTRA
TEHSIL.- KUSMI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित
जिला-सीधी म.प्र.

Dm
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION,
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF PADRI SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ

म.प्र. रैल (खनन, परितहन, भंडारण और व्यापार)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

कलेक्टर
जिला-सीधी / म.प्र.

AREA: 4.980 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- PADRI,
TEHSIL.-GOPAD BANAS,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BIIAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

APPROVED
अनुमोदित

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502
REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF NIDHIPURI SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या: 376, 23/05/23
ने उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है

खनन क्षेत्र (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार)
विधेय 2019 के नियम 12 (1)
(ज) के तहत अनुमोदित

AREA: 5.000 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- NIDHIPURI,
TEHSIL.-MAJHAULI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

कलेक्टर
जिला-सीधी / म.प्र.

APPLICANT

M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF BHARUHI SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

म.प्र.रेत (खनन, परिवहन, प्रसारण और व्यापार)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

AREA: 4.800, HECTARES)
KHASRA NO :396 (P)
(NON FOREST AREA)


इस माइनिंग प्लान का अनुमोदित
पत्र संख्या: 376, 23/05/23

ने उल्लेखित शर्तों के तहत अनुमोदित है।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

IN VILLAGE- BHARUHI,
TEHSIL.-BAHRI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर
जिला-सीधी / म.प्र.


उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION,
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN

OF

PONDI -3 SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/05/25
में उल्लेखित सर्तों के अधीन हुआ है।

म.प्र. रेत (खाना, परिवहन, भंडारण और व्यापार)
नियम 2019 के नियम 12 (3)
(अ) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

जिला-सीधी (म.प्र.)

AREA: 7.000 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- PONDI,
TEHSIL.-BAHRI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

Dmy
उप-डिवीजनल
(माइनिंग प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

APPROVED
अनुमोदित

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF DOL SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार)
नियम 2019 के नियम 12 (1)
(म) के तहत अनुमोदित

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/65/2
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

AREA: 4.300 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- DOL,
TEHSIL, -BAHRI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

जिला-सीधी (म.प्र.)

Dm
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION,
PARYAWAS BHAWAN,
BHOPAL,
MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY
ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB.: 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF GOTRA -2 SAND DEPOSIT

MINERAL - SAND.

यह (खनन, परिवहन, अंतराण और बाला) नियम 2019 के नियम 12 (1) (ग) के तहत अनुमोदित

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन पत्र संख्या 376, 23/65/23

के उल्लिखित शर्तों के अधीन हुआ

AREA: 3.700 HECTARES
(NON FOREST AREA)

IN VILLAGE- GOTRA,
TEHSIL.- KUSMI,
DISTRICT- SIDHI

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

जिला-सीधी (म.प्र.)

STATE - MADHYA PRADESH.

Dmy

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

APPLICANT

M.P. STATE MINING CORPORATION,

PARYAWAS BILAWAN,

BHOPAL,

MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY

ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,

KATNI - JABALPUR ROAD

P.O.: JHANJHRI

KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

MINING PLAN OF GOTRA -3 SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अंश संख्या
एन संख्या 376, 23/05/2023
में उल्लेखित शर्तों के अधीन तैयार

म.प्र.स. (खनन, भू-संसाधन, विद्युत और जल) अधिनियम
2015 के दिवस 12 (1)
(ग) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर द्वारा कब्रिआ अनुमोदित

AREA: 35.440 HECTARES)
(NON FOREST AREA)

KH NO. 1&571.

Dmy
उप संचालक
(खनन प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

IN VILLAGE- GOTRA,
TEHSIL.-KUSMI,
DISTRICT- SIDHI
STATE - MADHYA PRADESH.

APPLICANT
M.P. STATE MINING CORPORATION.
PARYAWAS BHAWAN ,BHOPAL.
MADHYA PRADESH,

APPROVED
अनुमोदित

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD 2023-2024 TO 2027-28
PREPARED BY

ASHOK KUMAR THAKUR
C-7 BRINDAVAN COLONY,
KATNI - JABALPUR ROAD
P.O.: JHANJHRI
KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013
VALID UPTO 15TH DEC. 2023
MOB :, 06201039944, 0975254310L

MINING PLAN

OF

PONDI -1 SAND DEPOSIT

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन
पत्र संख्या 376, 23/05/23
में उल्लेखित शर्तों के अधीन हुआ है।

अधिनियम (अनुमति, परिष्कार, भंडारण और वा-...)
विधिम 2019 के विधिम 12 (1)
(अ) के तहत अनुमोदित

MINERAL - SAND.

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

परापूर महाराज साहू कलेक्टर

जिला-सीधी/म.प्र

AREA: 8.000HECTARES)
(NON FOREST AREA)

KH NO; 1667

IN VILLAGE- PONDI,

TEHSIL.-BAHRI,

DISTRICT- SIDHI

STATE - MADHYA PRADESH.

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी

APPLICANT

M.P. STATE MINING CORPORATION.

PARYAWAS BHAWAN ,

BHOPAL,

MADHYA PRADESH,

PLAN PREPARED UNDER
RULE 42 M.M.R 1996.

PLAN PERIOD- 2023-2024 TO 2027-28

PREPARED BY

ASHOK KUMAR THAKUR

C-7 BRINDAVAN COLONY,

KATNI - JABALPUR ROAD

P.O.: JHANJHRI

KATNI - 483502

REG. NO. RQP/DGM. M.P./94/2013

VALID UPTO 15TH DEC. 2023

MOB :, 06201039944, 09752543101.

म.प्र. शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6

भोपाल दिनांक - 31/05/2023

प्रति

कलेक्टर,
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खदानों के उत्खनिपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05/2023.

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05/2023 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 5(4) के तहत मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को रेत खनिज के उत्खनिपट्टा 10 वर्षों के लिए आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरांत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 66 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित की गई रेत खदानों को अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अधीन, उत्खनिपट्टे पर स्वीकृत किया जाता है :-

- (1) म.प्र. राज्य खनिज निगम तीन माह के अंदर संलग्न सूची अनुसार रेत खदानों हेतु प्ररूप 'सात' में पट्टा विलेख का निष्पादन जिलावार समूह में करायेगा।
- (2) म.प्र. राज्य खनिज निगम, पट्टा विलेख को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा।
- (3) भविष्य में घोषित रेत खदानों हेतु जिलावार पूरक अनुबंध निष्पादित करायेगा।
- (4) म.प्र. राज्य खनिज निगम, द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर, आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।



रेत समूह की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संधारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात् प्रतिमाह निगम प्राप्त राशि मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 21 में विहित प्रक्रिया के तहत अंतरण कराया जाएगा।

सलग्न - जिलावार रेत खदानों की सूची।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रकाश पन्डे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज सघन विभाग

पृ. क्रमांक - F 19-2/2019/12/1/पह-6

भोपाल दिनांक - 31.05.2023

प्रतिलिपि -

- (1) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
- (2) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचवार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


31/5/23
अवर सचिव


म.प्र. शासन, खनिज सघन विभाग

Illegal Transportation/Mining/Storage (Date-29/11/2023-20/10/2024)														
(1) S. No.	(2) Case Reg. No.	(3) Case Reg. Date.	(4) Name and address of person involved in Illegal Transport.	(5) Seizure Details.	(6) Registration No.	(7) Mineral Seized.	(8) Mineral Quantity	(9) Mineral Royalty (Rs.)	(10) Mineral Value (Rs.)	(11) Imposed Penalty (Rs.)	(12) Deposited Penalty (Rs.)	(13) Challan No.	(14) Challan Date	(15) Remark
1	64	29/11/2023	SUNIL SINGH , KHARA JHALWAR REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4321	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	33322	33322	001999	06-12-2023	-
2	65	29/11/2023	DILIP KUMAR TIWARI , DHEKHA REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4746	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	60608	60608	002009	06/01/2023	-
3	66	1/12/2023	RAHUL SINGH , MAJHIYAR TEH SIRMOUR DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH3857	Sand	14.000 - Cubic Meter	1750	5600	227250	0			Pending in Collector court
4	67	1/12/2023	SHAMBHU PD TIWARI , BADWAHI TEH MAJHAULI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP53AA9939	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	001637	05/12/2023	-
5	70	15-12-2023	AJAY SINGH, NA	Vehicle/Tempo	MP53GA3572	SAND	9.000 - Cubic Meter	1125	5400	34750	34750	3132	16-12-2023	-
6	71	15/12/2023	BHARAT DWIVEDI , BITKHURI TEH KUSMI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	00714	16/12/2023	-
7	72	15/12/2023	SHARDA TRADERS , ARJUN NAGAR HUZUR DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4484	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	49483	49483	010822	22/12/2023	-
8	73	15/12/2023	ARUN KUMAR SINGH , TEEKAT KHURD TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP18GA2861	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	008591	19/12/2023	-
9	74	15/12/2023	SAURABH SINGH , LAKONDA TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	008687	19/12/2023	-
10	77	27/12/2023	PRADEEP PATEL , TITLI TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (12 Tons)	UP70LT9236	Sand	6.000 - Cubic Meter	750	2400	112250	112250	013688	27/12/2023	-
11	79	27/12/2023	VED PRAKASH TRIPATHI , SONVARSHA TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP53AA7994	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	013501	27/12/2023	-
12	80	4/1/2024	KAILASHPATI PATEL , HINAUTI TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP53AA6985	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	001116	04/01/2024	-
13	81	4/1/2024	RANA PRATAP SINGH , AMARWAH TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA0581	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	001269	04/01/2024	-
14	85	11/1/2024	RAJESH KUMAR YADAV , HARIHARPUR TEH RAMPUR NAIKIN DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZC3166	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	36750	36750	006625	13/01/2024	-
15	86	11/1/2024	PRADEEP SINGH , KALHARI BEOHARI DIST SHAHDOL	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP78FT5858	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	2000	78066	78066	006577	13/01/2024	-
16	87	12/1/2024	MANENDRA PRATAP SINGH , GOLAHATOLA KOTARKHURD SATNA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP19HA6501	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	58799	58799	006590	13/01/2024	-
17	88	12/1/2024	NISHANT SINGH BAGHEL , AMBEDKAR WARD REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZF4411	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	42846	42846	006622	13/01/2024	-
18	89	15/1/2024	SUSHILA GUPTA , AMILIYA TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (10 Tons)	MP53GA1994	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	008614	18/01/2024	-

प्रभारी सनि निरीक्षक
जिला-सी.डी. (म.प्र.)

19	90	15/1/2024	HARIHAR SINGH , CHORBA TEH MAJHAULI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	MP53ZA1046	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	005815	12/01/2024	-
20	93	6/2/2024	ABHIRAJ SAHU , GUDUADHAR TEH KUSMI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	MP53AA9660	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	004026	10/02/2024	-
21	94	8/2/2024	RAM PRASAD CHAUDHARY , DUKARIA TEH RAMPUR NAIKIN DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (10 Tons)	MP19ZD5388	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	58799	57799	003317	08/02/2024	-
22	95	8/2/2024	CHANDRABHAN YADAV , CIVIL LINE REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP18H5308	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	39533	39533	003598	09/02/2024	-
23	96	8/2/2024	GENDLAL YADAV , GHUGHUTA TEH RAMPUR NAIKIN DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP91T6500	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	1600	65643	65643	003340	08/02/2024	-
24	97	8/2/2024	RAMAYAN SINGH , WARD 24 DWARIKA NAGAR REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53HA0417	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	28280	33322	003325, 003312	08/02/2024	-
25	98	9/2/2024	DHIRENDRA SINGH , NORTH KARAUNDIYA SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA3455	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	005339	13/02/2024	-
26	100	16/2/2024	ONKAR KEWAT , JAMUA TEH MAJHAULI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	MP53AA8817	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	006154	15/02/2024	-
27	102	16/2/2024	PRASHOON PANDEY , RAGAIRA TEH BEOHARI DIST SHAHDOL	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZB9077	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	44750	44750	013283	29/02/2024	-
28	103	16/2/2024	SHUKLA RAWAT , PATPARA TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53HA2176	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	33322	33322	013231	29/02/2024	-
29	104	16/2/2024	DEENBANDHU YADAV , KATHAUTAHA TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53HA2159	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	33322	33322	013251	29/02/2024	-
30	105	16/2/2024	KEMALNARAYAN PANIKA , BHUMKA TEH MAJHAULI DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53HA2022	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	33322	33322	103261	29/02/2024	-
31	106	16/2/2024	SHUBHLAYAK KOL , PATPARA TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53ZA9481	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	44750	44750	013277	29/02/2024	-
32	99	16/2/2024	RAJESH SAHU , GUDUADHAR TEH KUSMI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	MP53AA7065	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	31625	31625	007653	18/02/2024	-
33	108	29/2/2024	AAKASH VISHWAKARMA , SAHIJANAHA TEH GURH DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP53HA2081	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	33322	33322	000206	01/03/2024	-
34	109	4/3/2024	TRIYUGI NARAYAN SHUKLA , ODHAKI KALA GOVINDGARH DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4803	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	800	39533	39533	002164	05/03/2024	-
35	112	4/3/2024	USHA SINGH , SIHAWAL TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA0929	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	007025	14/03/2024	-
36	115	16/3/2024	PRADEEP SINGH PARIHAR , MADARIYA TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA2462	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	56625	56625	013164	23/03/2024	-
37	01	6/4/2024	BIHARILAL VISHWAKARMA , PAHADI TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (8 Tons)	MP53GA4218	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	106625	106625	001309	03/05/2024	-
38	02	6/4/2024	DEVNARAYAN SAKET , KOLHUDEEH TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	0853/05/24 /0117	24/05/2024	-

39	04	25/4/2024	CHANDRAMANI SINGH , PAVA TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA1114	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	0					Pending in Collector court
40	06	30/4/2024	ANIL PRASAD MISHRA , MUDARIYA CHAUBAN REWA	Vehicle/Truck	MP18GA3729	Sand	26.000 - Cubic Meter	3250	23400	449750	0					Pending in Collector court
41	07	30/4/2024	ANIL PRASAD MISHRA , MUDARIYA CHAUBAN REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP18GA3727	Sand	26.000 - Cubic Meter	3250	23400	449750	0					Pending in Collector court
42	08	30/4/2024	MAHIPAT SINGH , CHAMPAGARH TEH JAWA DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZG3607	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	31625	31625	0853/05/24 /0117	22/05/2024			-
43	11	6/5/2024	DILIP DWIVEDI , JAMUNIHA TEH HANUMANA DIST MAUGANJ	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH3702	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	41402	41402	010277	21/05/2024			-
44	12	6/5/2024	RAHUL KUMAR GAUTAM , BAIKUNTHPUR TEH SIRMOUR DIST REWA	Vehicle/Truck	MP17HH5015	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	41402	41402	006076	13/05/2024			-
45	13	6/5/2024	SACCHIDANAND PANDEY , CHIRAHULA COLONY REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZF9325	Sand	4.500 - Cubic Meter	500	4050	74166	74166	006358	13/05/2024			-
46	14	9/5/2024	ANKUSH SINGH , DUARA TEH CHURHAT SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA2813	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	849	10/05/2024			-
47	15	9/5/2024	GAJENDRA SINGH , DUARA TEH CHURHAT SIDHI	Vehicle/Tempo	UP64T1045	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	850	10/05/2024			-
48	16	9/5/2024	SAJAN SINGH , DUARA TEH CHURHAT SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA3187	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	849	10/05/2024			-
49	20	9/5/2024	SHOSHAN GUPTA , GOTRA TEH KUSMI DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA2565	Sand	1.000 - Cubic Meter	125	900	16960	16960	006571	14/05/2024			-
50	21	13/5/2024	ANIL MISHRA , SAMAN NAKA NAI BASTI REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP66H0687	Sand	6.000 - Cubic Meter	750	5400	162250	162250	009782	23/05/2024			-
51	23	16/5/2024	SHIVNARAYAN GAUTAM , KAKARAHA KAMARJI SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA2645	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	0853/07/24 /0020	05/07/2024			-
52	27	20/5/2024	AMRESH PATEL , RAIRA TEH MANGAWAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZB7058	Sand	8.000 - Cubic Meter	1000	7200	161454	161454	009694	20/05/2024			-
53	28	20/5/2024	UMA SWEETS 7 BAKERS , HOTEL UMA RESIDENCY SATNA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP19HA6774	Sand	8.990 - Cubic Meter	1124	8100	167690	167690	009678	20/05/2024			-
54	29	20/5/2024	ATUL SINGH , WARD 15 AJAGARAH REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP64BT1904	Sand	9.619 - Cubic Meter	1202	8657	193927	193927	009686	20/05/2024			-
55	30	20/5/2024	SHIVRAJ SINGH , BAIKUNTHPUR DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZB9933	Sand	17.000 - Cubic Meter	2125	15300	232875	232875	009700	20/05/2024			-
56	31	20/5/2024	JYOTI SINGH , AMILAI DIST SHAHDOL	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP18H5433	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	75167	75167	009522	20/05/2024			-
57	32	20/5/2024	DILRAJ GUPTA , MANGAWAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4767	Sand	6.000 - Cubic Meter	750	5400	121341	121341	008768	18/05/2024			-
58	33	20/5/2024	ASHOK DUBEY , MANGAWAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4679	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	65643	65643	008779	18/05/2024			-


 प्रभारी खनि निरीक्षक
 जिला-सीवी (म.प्र.)

59	34	20/5/2024	ASHOK DUBEY , MANGAWAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZB5558	Sand	6.000 - Cubic Meter	750	5400	121341	121341	008788	18/05/2024	-
60	35	20/5/2024	RAJENDRA SINGH , KODDAIDAND TEH RAMPUR NAIKIN DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZD8002	Sand	9.224 - Cubic Meter	1153	8302	193991	193991	009490	20/05/2024	-
61	36	20/5/2024	ROSHANLAL SINGH , DANDI TOLA TEH RAMPUR BAGHELAN DIST SATNA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP19HA4051	Sand	7.500 - Cubic Meter	881	6750	102344	102344	009732	20/05/2024	-
62	37	20/5/2024	ATUL SINGH BAGHEL , MOUHAR TEH KOTHI DIST SATNA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP19ZF5481	Sand	9.619 - Cubic Meter	1202	8657	193927	193927	010157	21/05/2024	-
63	41	30/5/2024	BEENA DEVI PANDEY , ARUN NAGAR REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH6203	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	61171	61171	003053	06/06/2024	-
64	42	31/5/2024	HARILAL YADAV , BANJARI TEH MAJHAULI DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	MP18AA6147	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	31625	31625	051/0853/06/24/	24/06/2024	-
65	43	31/5/2024	KISHORILAL SONI , GODARI CHOWK AMBIKAPUR SARGUJA CG	Vehicle/Dumper (25 Tons)	CG15EB8820	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	67760	67760	003108	06/06/2024	-
66	44	31/5/2024	KISHORILAL SONI , GODARI CHOWK AMBIKAPUR SARGUJA CG	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP64BT5713	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	003122	06/06/2024	-
67	45	5/6/2024	RANA PRATAP SINGH , AMARWAH TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA3572	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	58500	58500	0853/7/24/00688	18/07/2024	-
68	46	5/6/2024	AJAY SAHU , REWA DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17HH4710	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	56625	007760	14/06/2024	-
69	47	6/6/2024	DEEPAK KUMAR DWIVEDI , SAMALIPUR POST BISRI DIST PRAYAGRAJ UP	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP70LT6742	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	51070	51070	003177	06/06/2024	-
70	48	6/6/2024	DHARMENDRA SINGH , KHABADA TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolly	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	31625	31625	051/0853/06/24/	24/06/2024	-
71	49	7/6/2024	SANTOSH SHUKLA , PATNA TEH RAIPUR KARCHULIYAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZE3896	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	73292	73292	007552	14/06/2024	-
72	50	10/6/2024	ASHUTOSH PATEL , GAURI DISTT MAUGANJ	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZE3896	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	49482	49482	009771	18/06/2024	-
73	51	10/6/2024	NITISH KUMAR YADAV , BHAISOD BALAY PAHAD DISTT MIRZAPUR UP	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP63AT1000	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	58799	58799	009769	18/06/2024	-
74	53	15/6/2024	VIPIN SINGH , KOTHAR TEH RAGHURAJ NAGAR DIST SATNA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP19HA3947	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	58500	58500	009815	18/06/2024	-
75	52	16/6/2024	RAJESH SAHU , DHANWAHI TEH SARAI DIST SINGRAULI	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP63AT7262	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	0	0			Pending in Collector court
76	54	20/6/2024	RAMESH KUMAR SINGH , KHICHRIGAWAN TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Dumper (10 Tons)	MP53ZC2562	Sand	1.000 - Cubic Meter	125	900	22875	22875	012688	21/06/2024	-
77	55	20/6/2024	DILRAJ GUPTA , MANGAWAN DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP17ZB5605	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	1800	39533	39533	012557	21/06/2024	-
78	56	20/6/2024	RAKESH KUMAR , RANI NANGAL KALLUWALA BIJNAUR	Vehicle/Dumper (25 Tons)	UP90LT9587	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	1200	49482	49482	051/0853/07/24/	22/07/2024	-


79	58	25/6/2024	VIKAS SINGH , DUARA TEH CHURHAT DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP532C4810	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	31625	31625	000342	01/07/2024	-
80	59	28/6/2024	DADDILAL SAHU , AMILIYA TEH SIHAWAL DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP53GA1941	Sand	2.000 - Cubic Meter	250	1800	54750	54750	000659	02/07/2024	-
81	65	19/7/2024	SAMSHER BAHADUR SINGH , AMARWAH TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP53AA7425	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	31625	31625	008975	23/07/2024	-
82	66	30/8/2024	LAVKESH RAWAT , JOGIPUR TEH GOPAD BANAS DIST SIDHI	Vehicle/Tempo	MP66G1709	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	56625	0			Pending in Collector court
83	67	12/9/2024	ATUL SINGH , AJGAHARA REWA DIST REWA	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP18H4799	Sand	4.000 - Cubic Meter	500	3600	55559	55559	004583	14/09/2024	-
84	70	20/9/2024	BRIJESH JAISWAL , KATARWAR TEHSIL- KUSAMI DISTT-SIDHI (M.P)	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	0	0			Pending in Collector court
85	69	21/9/2024	PUSHPENDRA JAISWAL , VILLAGE-KATARWAR, TEHSIL KUSAMI DISTT-SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	3.000 - Cubic Meter	375	2700	0	0			Pending in Collector court
86	73	23/10/2024	ASHISH KUMAR DWIVEDI , VILLAGE-KHAIRA, TEHSIL-RAMPUR NAIKIN DISTT, SIDHI	Vehicle/Tractor Trolley	MP53AA6481	Sand	3.000 - Cubic Meter	0	0	0	0			Pending in Collector court
										Total	6153603	4917645		

खनिज विभाग सीधी द्वारा माह नवम्बर 2023 से अक्टूबर 2024 तक रेत के अवैध परिवहन के 85 प्रकरण व अवैध मण्डारण का 01 प्रकरण म0प्र0 खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा मण्डारण का निवारण) नियम 2022 अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। उक्त प्रकरणों में कुल राशि रुपये 6153603 शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसके विरुद्ध कुल 4917645 रुपये वसूल की गयी है। कुल दर्ज 86 प्रकरणों में से 77 प्रकरणों का निकाराकरण किया जा चुका है तथा 09 प्रकरण माननीय न्यायालय कलेक्टर में लंबित है।


 प्रभारी खनि निरीक्षक
 जिला-सीधी (म.प्र.)

व्यवसायिक प्रयोजन हेतु सीधी जिले में स्वीकृत रेत मण्डरण की सूची

क्र.	अनुज्ञापितधारी का नाम	खनिज	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा हे० में	अवधि	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति का क्र./दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मे० नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग सर्विसेस लि० पता शक्तिनगर हाउसनम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2, हबीबगंज भोपाल (म०प्र०)	रेत	चंदवाही	बहरी	269, 270	1.631	17.01.2024 से 01.11.2026 अथवा ठेका अवधि तक	15872 / 28.02.2024
2	मे० नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग सर्विसेस लि० पता शक्तिनगर हाउसनम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2, हबीबगंज भोपाल (म०प्र०)	रेत	डोल कोठार	गोपद बनास	369 / 2	1.100	17.01.2024 से 01.11.2026 अथवा ठेका अवधि तक	15836 / 05.02.2024
3	मे० नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग सर्विसेस लि० पता शक्तिनगर हाउसनम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2, हबीबगंज भोपाल (म०प्र०)	रेत	पड़री	गोपद बनास	314	4.110	17.01.2024 से 01.11.2026 अथवा ठेका अवधि तक	15991 / 19.06.2024
4	मे० नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग सर्विसेस लि० पता शक्तिनगर हाउसनम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2, हबीबगंज भोपाल (म०प्र०)	रेत	कंजवार	मझौली	312, 313	0.792	17.01.2024 से 01.11.2026 अथवा ठेका अवधि तक	15990 / 19.06.2024


 खनि अफिसरी
 जिला-सीधी (म०प्र०)

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

क्रमांक:- 711/1150385/2023/MRD-12


भोपाल, दिनांक:- 17/02/2023

प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित रेत खदानों के समूहवार ठेकों की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत एवं असंचालित समूहों की रेत खदानों हेतु शीघ्र निविदाएँ आगामी 05 वर्ष हेतु आमंत्रित की जानी है। रेत खदानों के संचालन के पूर्व विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा पूर्णविचारोपरांत प्रदेश में रेत खदानों की 05 वर्ष की अवधि हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा-माईनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल-वायु सम्मति आदि प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को अधिकृत किया जाता है। वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी मान्य समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा भादेअनुसार


17/2/23

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक- 712/1150385/2023/MRD-12

भोपाल, दिनांक :- 17/02/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश।



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेश दिवस, भोपाल- 462011

क्रमांक/स्था0/2023/न0कं- 251/16

दिनांक : 17/04/2023

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक:711/1150385/2023/MRD-12, दिनांक 17-02-2023 के तहत राज्य शासन द्वारा प्रदेश में रेत खदानों की 05 वर्ष की अवधि हेतु यथासंभव वैधानिक स्वीकृतियों यथा-माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, जल-वायु सम्मति आदि प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को अधिकृत किया गया है।

निम्न सूची अनुसार निगम सेवकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित जिले में अवस्थित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां, निगम के पक्ष में प्राप्त करने हेतु नामित किया जाता है -

क्रमांक	जिला	निगम सेवक का नाम एवं पदनाम	पदस्थापना
1	2	3	4
1	जबलपुर	श्री अनूप कुमार सक्सेना, उप महाप्रबंधक (भौमिकी)	संभागीय कार्यालय, जबलपुर
2	मंडला	श्री सुरेन्द्र कुमार नामदेव, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, जबलपुर
3	डिण्डोरी	श्री आर0 पी0 मिश्रा, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, डिण्डोरी
4	बालाघाट	श्री पूरन लाल लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	जिला कार्यालय, बालाघाट
5	सिवनी	श्री ओम प्रकाश दुबे, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, सिवनी
6	छिंदवाड़ा	श्री जे0एस0 चंदेल, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	संभागीय कार्यालय, जबलपुर
7	नरसिंहपुर	श्री शशी भूषण सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, नरसिंहपुर

3 D N 111

2-

241

मिडि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

-2-

क्रमांक	जिला	निगम सेवक का नाम एवं पदनाम	पदस्थापना
1	2	3	4
8	कटनी	श्री एस0 के0 पाठक, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, कटनी
9	शहडोल	श्री हरिशंकर शुक्ला, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	संभागीय कार्यालय, शहडोल
10	उमरिया	श्री जी0 पी0 अंजने, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	संभागीय कार्यालय, रीवा
11	अनूपपुर	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, अनूपपुर
12	रीवा	श्री विराटदेव सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, रीवा
13	सीधी	श्री राम लखन सोनी, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	जिला कार्यालय, सिंगरौली
14	सिंगरौली	श्री योधदा सिंह ऊमरे, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, जबलपुर
15	नर्मदापुरम	श्री गोपाल सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, नर्मदापुरम
16	हरदा	श्री के0 पी0 पाण्डेय, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	जिला कार्यालय, हरदा
17	बैतूल	श्री पी0 के0 धवई, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, नर्मदापुरम
18	टीकमगढ़	श्री नागेन्द्र सिंह, उप महाप्रबंधक (फोरमेन)	संभागीय कार्यालय, टीकमगढ़

3-

3 DN LH

2

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

-5-

क्रमांक	जिला	निगम सेवक का नाम	पदस्थापना
1	2	3	4
43	देवास	श्री सी० एम० साहू, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, नर्मदापुरम
44	मुरैना	श्री राजेन्द्र कुमार यादव, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड)	संभागीय कार्यालय, ग्वालियर
45	श्योपुर	श्री दिनेश कुमार पाठक, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)	संभागीय कार्यालय, ग्वालियर



पू० क्रमांक/स्था०/2023/न०क्र०- 25/117

प्रतिविधि:-

(राजीव रंजन मीना)

प्रबंध संचालक,

दिनांक : 17/04/2023

- माननीय अध्यक्ष के निज सहायक को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
- माननीय उपाध्यक्ष के निज सहायक को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म०प्र० राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
- अध्यक्ष/ सदस्य सचिव, म०प्र० राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
- उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ ।
- प्रबंध संचालक के निज सहायक को प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ ।
- संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला (समस्त).....को सूचनार्थ ।
- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), मुख्य कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ ।

3 DN LH


6-

5

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल

-6-

11. महाप्रबंधक (भौमि०की)/(खान), मुख्य कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ ।
12. प्रभारी अधिकारी, संभागीय/उप संभागीय/जिला कार्यालय.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. संबंधित सेवकों को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ ।
14. व्यक्तिगत नस्ती ।
15. गार्ड फाईल ।


मुख्य कार्मिक-अधिकारी

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29-ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स - 0755-2551795
E-mail - dirgeomn@nic.in

क्रमांक - 5965 सुप-3/न.क.-19 /2023

भोपाल दिनांक - 18/5/23

प्रति

कलेक्टर
खनिज शाखा,
जिला - समस्त (म.प्र.)।

विषय :- रेत खदानों का समूह बनाया जाना।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 का नियम 5(3)।

संदर्भित विषयांतर्गत मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 5(3) में विहित प्रावधान अनुसार, उप नियम 3(घ) के तहत रेत खदानों का समूह बनाये जाने के संबंध में प्रावधानों का विवरण दिया गया है।

उक्त संबंध में जिला स्तर पर रेत खदानों का समूह बनाया जाकर, उचित समूह का प्रस्ताव उप नियम 3(घ) अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 22/05/2023 तक आवश्यक रूप से भेजा जाये ताकि आगामी ई-निविदा के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ. क्रमांक-5966-68/सुप-3/न.क.- /2023

भोपाल दिनांक -18/5/23

प्रतिलिपि -

- (1) स्टाफ अफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज सार्वजनिक विभाग, अखिल भोपाल की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (2) कार्यपालक संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, जवाहर भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही रेत प्रेषित।
- (3) खनिज भौतिकी/महायुक्त सर्वेक्षक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्यालय खनिज शाखा, जिला समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही रेत प्रेषित।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म०प्र०)

Email-modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक/378/खनिज/2023
प्रति,

सीधी, दिनांक 23/05/2023

संचालक
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
'खनिज भवन', 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषय:- रेत खदानों का समूह बनाया जाना।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5965 दिनांक 18.05.2023।

—00—


विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम 2019 के निये 5(3) में विहित प्रावधान अनुसार, उपनियम 3(घ) के तहत रेत खदानों का समूह बनाये जाने के संबंध में प्रावधानों का विवरण दिया गया है।

जिले में चिन्हित/घोषित रेत खदानों का मौका निरीक्षण तथा रेत खदानों में उपलब्ध रेत की मात्रा एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार सीधी जिले में सभी रेत खदानों का एकल समूह बनाया जाकर आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। सूची संलग्न है।

अतः जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला सीधी (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/379/खनिज/2023
प्रतिलिपि:-

सीधी, दिनांक 23/05/2023

कार्यपालक संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला सीधी (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी (म0प्र0)

सीधी जिले की रेत खदानों के समूह की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	समूह का नाम	तहसील	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	खदान का नाम/ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	मात्रा (घ.मी.)	नदी का नाम
1	सीधी	सीधी	कुसमी	गोतरा	गोतरा-1	1936	4.400	39640	गोपद
2			कुसमी	गोतरा	गोतरा-2	571	3.700	33300	गोपद
3			कुसमी	गोतरा	गोतरा-3	1, 571	35.440	425280	गोपद
4			कुसमी	पोंड़ी	पोंड़ी	46	4.900	29400	गोपद
5			कुसमी	गुडुआधार	गुडुआधार-1	1	7.180	86160	गोपद
6			कुसमी	गुडुआधार	गुडुआधार-2	173	12.100	145200	गोपद
7			मझौली	भुमका	भुमका	1229	23.000	345000	गोपद
8			मझौली	धुआंडोल	निधिपुरी-1	176	5.000	45000	गोपद
9			मझौली	धुआंडोल	निधिपुरी-2	176	1.450	13050	गोपद
10			मझौली	टिकरी	टिकरी-2	2152	3.200	19200	गोपद
11			मझौली	टिकरी	डालापीपर	1351	2.000	12000	गोपद
12			गोपद बनास	पड़री	पड़री	95	4.980	44820	गोपद
13			बहरी	डोल	डोल-1	619	4.300	25800	गोपद
14			बहरी	डोल	डोल-2	21	4.250	25500	गोपद
15			बहरी	भरुही	भरुही-1	199	4.800	72000	गोपद
16			बहरी	पोंड़ी	पोंड़ी-1	1667	8.000	120000	गोपद
17			बहरी	पोंड़ी	पोंड़ी-2	1667	7.000	63000	गोपद
18			बहरी	पोंड़ी	पोंड़ी-3	1667	7.000	63000	गोपद
								कुल मात्रा -	1607350

Dmy
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-सीधी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला सीधी (म.प्र.)

क्रमांक/1637/खनिज/रेत/रिप्ले.स्ट./2024

सीधी, दिनांक 12/11/24

प्रति,

महाप्रबंधक,

म.प्र.राज्य खनिज निगम

भोपाल (म.प्र.)

विषय :- सीधी जिला समूह की रेत खदानों Replenishment Study कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- म0प्र0राजपत्र में प्रकाशित संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.05.2023।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन उपरान्त सीधी जिला समूह की रेत खदानों 10 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनि पट्टे पर दि म0प्र0स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि0 के पक्ष में आवंटित की गई हैं। संदर्भित अधिसूचना अनुसार उपरोक्त खदानों से सम्बन्धित समस्त वैधानिक अनुमतियां आपके द्वारा प्राप्त किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि सीधी जिला समूह की रेत खदानों की अद्यतन Replenishment Study रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि सीधी जिला समूह की रेत खदानों की अद्यतन Replenishment Study यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


खनि अधिकारी

जिला सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक 12/11/24

पृ. क्रमांक/1638/खनिज/रेत/रिप्ले.स्ट./2024

प्रतिलिपि,

01- संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
की ओर सादर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी

जिला सीधी (म.प्र.)